उभरती अर्थव्यवस्थाएं : वैश्विक विकास एवं व्यापार की संवाहक

वैश्विक अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में व्यापार तथा वृद्धि में मंदी प्रदर्शित करने के साथ-साथ ईक्विटी बाजार, पण्यों के मूल्यों तथा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव तथा वित्तीय बाजार की अन्य समस्याओं से ग्रसित रही है। वैश्विक जी डी पी के वर्ष 2006 के 5.0 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2007 में 4.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। इस वैश्विक मंदी का प्रमुख कारण उन्नत अर्थ-व्यवस्थाओं द्वारा दर्ज की गई कमजोर आर्थिक वृद्धि रही है । तथापि उभरती अर्थ-व्यवस्थाओं के सशक्त निष्पादन ने वैश्विक मंदी को काफी हद तक न्यूनीकृत कर दिया तथा अमेरिकी घरेलू मांग में आई कमी के संभावित प्रभाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था को दूर रखा है। गत वर्षों के रूझानों से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि मुख्य रूप से उभरती अर्थ-व्यवस्थाओं यथा भारत तथा चीन जैसे देशों में दर्ज वास्तविक जी डी पी की उच्च संपोषी वृद्धि से प्रेरित रही है। यद्यपि 2007 के अंत में उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी मंदी प्रदर्शित हुई है, तथापि समग्र वर्ष के लिए यह 7.9 प्रतिशत के सशक्त स्तर पर रही है जो वर्ष 2006 में दर्ज तीव्रगामी वृद्धि से भी अधिक है। यहां तक कि हाल के वर्षों की यह सशक्त वृद्धि अफ्रीका सहित सभी क्षेत्रों में प्रदर्शित हुई है। यह संपोषी वृद्धि आंशिक रुप से यह इंगित करती है कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं निरंतर आत्म निर्भर हो रही हैं तथा संपोषी आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए विकसित देशों पर उनकी निर्भरता कम हुई है। वैश्विक जगत के लिए स्वयं को काफी हद तक खोल देने के बावजूद, उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक स्तर पर वित्तीय उथल-पुथल के दुष्परिणामों से स्वयं को बचाने में सफल रही हैं। बाह्य ऋण में बड़ी मात्रा में कमी, विदेशी मुद्रा भंडार में पर्याप्त वृद्धि तथा सशक्त घरेलू उपभोग के चलते उभरती अर्थव्यवस्थाएं काफी समुत्थानशील रही हैं। इन्हें वृद्धिशील घरेलू मांग की ओर झुकाव तथा विकसित देशों को निर्यातों पर पारंपरिक निर्भरता में कमी से बल मिला है। इससे वे न केवल विकसित देशों में मंदी के प्रभाव के कारण मांग में आई कमी से बचने बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि पथ पर बनाए रखने में सफल रही हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई मंदी विश्व व्यापार में आई कमी से भी प्रदर्शित होती है जो वर्ष 2006 के 8.5 प्रतिशत से घटकर 5.5 प्रतिशत रह गया है। इसके बावजूद विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक पण्य बाजार में वर्ष 2007 में अपने रिकार्ड 34 प्रतिशत हिस्से के साथ अभूतपूर्व वृद्धि बनाए रखी है। इन अर्थव्यवस्थाओं में निर्यातों की तुलना में आयातों में अधिक वृद्धि दर्ज करने की संभावना है। साथ ही वैश्विक आयात वृद्धि का हिस्सा वर्ष 2008 मे डेढ़ गुना तक पहुंच जाने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार में हुई बढ़ोत्तरी ने विकसित देशों में आई मंदी के प्रभाव को समीकृत कर दिया है। भारत इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में समुत्थानशील कार्यनिष्पादन प्रदर्शित करने वाले देशों में अग्रणी रहा है। निर्यात वृद्धि के मामले में वस्तुत: 30 सबसे बड़े निर्यातकों में भारत (वैश्विक पण्य निर्यात में 1.04 प्रतिशत हिस्से के साथ) चौथे स्थान पर रहा है जिससे इसकी रैंकिंग 2006 के 28 वें स्थान से सुधर कर वर्ष 2007 में 26 वें स्थान पर पहुंच गई है । यह सकारात्मक परिवर्तन विदेश व्यापार नीति के वार्षिक पूरक के रूप में परिलक्षित हुआ है, जिसमें 2020 तक सेवाओं तथा माल के वैश्विक व्यापार में 5 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस पृष्ठभूमि तथा विदेश व्यापार नीति में निर्धारित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में एक्ज़िम बैंक के लिए कई अवसर विद्यमान हैं। भारतीय कंपनियों के अंतरराष्ट्रीयकरण प्रयासों को अपनी विविध सेवाओं तथा उत्पादों के माध्यम से सहायता प्रदान करना एक्ज़िम बैंक का प्रमुख कार्य रहा है। भारत के अंतरराष्ट्रीय परियोजना निर्यातों के वित्तपोषण, सुगमीकरण तथा संवर्धन के रूप में बैंक के नवोन्मेषी प्रयास, यथा भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में अधिग्रहणों अथवा ग्रीनफील्ड वेंचर के लिए निवेश, दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने के लिए अन्य विकासशील देशों को ऋण-व्यवस्थाएं, निर्यातोन्मुखी भारतीय कंपनियों को वित्तीय तथा व्यवसाय सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना आदि, इस दिशा में बैंक के सशक्त प्रयासों को प्रदर्शित करते हैं।

विषय-वस्तु

निदेशक मंडल	1
गत दशक	2
अध्यक्ष का वक्तव्य	3
आर्थिक वातावरण	7
निदेशकों की रिपोर्ट	23
तुलन-पत्र एवं लाभ हानि लेखा	43

ऑनलाइन पर इस वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति के लिए, कृपया आप हमें **www.eximbankindia.in** पर देखिए

निदेशक मंडल

श्री टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक

डॉ. अरविंद विरमानी
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय

श्री जी. के. पिल्लई
सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री अजय शंकर
सचिव
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री एन. रवि
सचिव (ईस्ट)
विदेश मंत्रालय

श्री राकेश सिंह
संयुक्त सचिव (आइ एफ)
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
(27 मई, 2008 तक)

श्रीमती रवनीत कौर
संयुक्त सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
(11 जून, 2008 से)

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
उप गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री योगेश अगरवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
आई डी बी आई बैंक लिमिटेड

श्री ए. वी. मुरलीधरन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.

श्री ओ. पी. भट्ट
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक

श्री एम. बी. एन. राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
केनरा बैंक

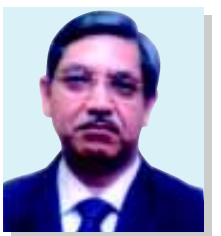

डॉ. के. सी. चक्रबर्ती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पंजाब नेशनल बैंक

श्री एस. पी. ओसवाल
चेअरमैन
वर्धमान ग्रुप
लुधियाना
(27 अप्रैल, 2008 तक)

श्री ए. वेल्लयन
चेअरमैन
ई आइ डी पैरी (इंडिया) लि.
चेन्नै
(27 अप्रैल, 2008 तक)

श्रीमती किरन मज़ूमदार-शॉ
चेअरमैन एण्ड मैनेजिंग डायरेक्टर
बायोकॉन लि.
बैंगलोर
(27 अप्रैल, 2008 तक)

गत दशक

(रुपये मिलियन में)

	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	संचयी (1998-2008)	वार्षिक औसत संवृद्धि
ऋण												
अनुमोदन	18380	28318	21743	42407	78283	92657	158535	204887	267622	328045	1240877	38%
संवितरण	12707	17296	18964	34529	53203	69575	114352	150389	220760	271587	963362	41%
ऋण आस्तियाँ [1]	42641	50833	56443	68260	87736	107751	129104	175931	228862	287767		24%
गारंटियाँ												
अनुमोदित	2633	4404	2118	5450	9328	10792	15887	43264	49978	21994	165848	27%
जारी	2474	3017	1741	4164	7275	5743	16602	21959	16972	20386	100333	26%
गारंटी संविभाग	10553	11147	10740	11273	16133	15769	23727	34023	35360	34556		14%
संसाधन												
प्रदत्त पूँजी	5000	5500	5500	6500	6500	6500	8500	9500	10000	11000		
आरक्षित राशियाँ	8352	9584	10664	12026	13171	14933	16625	17703	18741	21064		
अपरक्राम्य वचनपत्र, बाँड और डिबेंचर	12850	20944	22915	33158	64902	76701	98972	126727	154230	179273		
जमा राशियाँ [2]	104	2617	2797	3416	9121	20922	82	454	702	2839		
अन्य उधार राशियाँ	21285	20354	20255	16619	16467	21583	21064	32909	61684	111149		
कुल संसाधन	56665	70264	73981	82734	123189	155192	156922	201401	262439	349397		
निष्पादन												
कर पूर्व लाभ	2400	2273	2047	2212	2686	3042	3144	3769	3909	5334	30816	
करोत्तर लाभ	1650	1651	1541	1712	2066	2292	2579	2707	2994	3330	22522	
केंद्र सरकार को अंतरित/ अंतरणीय निवल लाभ अधिशेष	330	350	380	420	450	470	654	868	956	1008	5886	
स्टाफ़ (संख्या) [3]	147	150	154	163	167	190	193	200	212	222		
अनुपात												
जोखिम आस्ति की तुलना में पूँजी अनुपात (%)	26.6	24.4	23.8	33.1	26.9	23.5	21.6	18.4	16.4	15.1		
पूँजी पर कर पूर्व लाभ (%)	48.0	43.3	37.2	36.9	41.3	46.8	41.9	41.9	40.1	50.8		
निवल संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%)	18.9	16.0	13.1	12.8	14.1	14.2	13.5	14.4	14.0	17.5		
आस्तियों पर कर पूर्व लाभ (%)	4.4	3.6	2.8	2.8	2.6	2.2	2.0	2.1	1.7	1.7		
प्रति कर्मचारी कर पूर्व लाभ (रुपये मिलियन में)	17.0	15.3	13.5	14.0	16.3	17.0	16.4	19.2	19.0	24.6		

1 ऋण आस्तियां, भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम लि. द्वारा निपटाये गये दावों को घटाकर निवल हैं तथा 1997-98 से प्रभावी हैं और 2004-05 से प्रभावी अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों का निवल भी हैं।

2 जमा राशियां प्रति पक्षकारों के साथ रखी जमाराशियों / किए गए निवेशों की अनुरूपी निवल राशियां हैं जो 2004-05 से प्रभावी हैं।

3 यह एक्ज़िम बैंक की सेवा में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है।

टिप्पणी : ये आँकड़े सामान्य निधि से संबंधित हैं।

अध्यक्ष का वक्तव्य

विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2007-08 में 9 प्रतिशत की वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि के अनुमान के साथ लगातार मज़बूत वृद्धि दर्ज करना जारी रखा है। बाहरी मोर्चे पर जहां वैश्विक पण्य निर्यातों में भारत ने 1 प्रतिशत के हिस्से को पार कर लिया है वहीं 2.7 प्रतिशत हिस्से के साथ यह वाणिज्यिक सेवा निर्यातों में अपनी बढ़त बनाए हुए है। यह सकारात्मक परिवर्तन विदेश व्यापार नीति के वार्षिक पूरक के रूप में भी परिलक्षित हुआ है जिसमें 2020 तक सेवाओं तथा माल के वैश्विक व्यापार में 5 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि तथा क्षेत्रीय और भौगोलिक पहुंच के विस्तार तथा मात्रा में वृद्धि ने भारत के बाह्य क्षेत्र के निष्पादन को गति दी है।

देश की एक शीर्ष निर्यात वित्त संस्था होने तथा भारत की विदेश व्यापार नीति के अनुरूप बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के परिप्रेक्ष्य में एक्ज़िम बैंक अपने विभिन्न सहायकारी और परामर्शी कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों के प्रत्येक व्यवसाय चरण में उनकी मदद कर उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। बैंक भारत में प्रौद्योगिकी के आयात तथा विदेशों में भारतीय कंपनियों के निवेश तथा संयुक्त उद्यमों / अनुषंगियों की स्थापना तथा विदेशी अधिग्रहणों के जरिए दुतरफा प्रौद्योगिकी अंतरण का भी सुगमीकरण कर रहा है। बैंक लघु एवं मध्यम उद्यमों, ग्रास रूट व्यवसाय उद्यमों तथा कृषि उद्योगों में क्षमता निर्माण में भी सक्रिय रूप से संलग्न है।

व्यावसायिक पहलें

बाज़ार विशाखन में वृद्धि के लिए बैंक ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करने पर ज़ोर देता है जो विशेषकर लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए बाज़ार पहुँच सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात के लिए 704 मिलियन यू एस डॉलर की 17 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं। वर्तमान में एशिया, अफ्रीका, सी आइ एस, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका के देशों को शामिल करते हुए 89 देशों में 3.0 बिलियन यू एस डॉलर की ऋण वचनबद्धता के साथ बैंक की 89 ऋण-व्यवस्थाएं कार्यशील हैं। बैंक अपने इस कार्यक्रम की भौगोलिक पहुँच तथा मात्रा में तत्परता के साथ वृद्धि भी करना चाहता है।

भारत के परियोजना निर्यातों को सहायता में अपनी प्रमुख भूमिका की दृष्टि से बैंक ने इस दिशा में अपने प्रयासों को तेज किया है। फलस्वरूप 147 भारतीय निर्यातकों ने 92 देशों में 326.8 बिलियन रुपये की 977 संविदाएं प्राप्त की हैं। यह भारतीय परामर्शकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा ठेकेदारों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के सफल निष्पादन में उनकी बढ़ती प्रतिस्पर्धी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

विदेशी बाजारों में पहुँचने के भारतीय कंपनियों के वृद्धिशील प्रयासों के साथ ही इस दिशा में भी बैंक ने उनकी वैश्विक अपेक्षाओं को पूरा करने पर अपना ध्यान संकेंद्रित किया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष के दौरान विदेशी निवेश के लिए विभिन्न बाजारों तथा क्षेत्रों में आंशिक वित्तपोषण हेतु 41 कंपनियों को एक्ज़िम बैंक द्वारा निधिक तथा गैर निधिक सहायता प्रदान की गई। बैंक द्वारा गत वर्षों में औद्योगिक देशों, विकासशील तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में स्थित 61 देशों में 180 कंपनियों के 223 संयुक्त उद्यमों को सहायता प्रदान की गई।

एक्ज़िम बैंक ने ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स कार्यक्रम (जी टी एफ) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आइ एफ सी), वाशिंग्टन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार से एक्ज़िम बैंक लगभग चालीस विकासशील देशों के अनुमोदित बैंकों द्वारा जारी साख पत्र, गारंटी, तथा अन्य वाणिज्यिक लिखतों को पुष्टि प्रदान कर सकेगा । कुछ देशों में डाक्यूमेंटरी व्यवसाय के लिए किसी समुचित व्यवस्था के न होने के कारण उच्च जोखिमों की संभावना थी किंतु अब एक्ज़िम बैंक की 'पुष्टिकर्ता बैंक' के रूप में भूमिका से निर्यातक इन बाजारों में भी बिना भुगतान जोखिम के पहुंच सकेंगे।

सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में एक्ज़िम बैंक, सितंबर 2007 में लंदन, यू के में संपन्न हुई अंडर -14 इंटरनैशनल स्कूल रग्बी चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज की रग्बी टीम को सहायता प्रदान कर रहा है। कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज उड़ीसा के 5000 से अधिक आदिवासी बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न नवोन्मेषी तरीकों से उनका सर्वांगीण विकास कर उन्हें रोजगार परक शिक्षा प्रदान करता है। एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता में प्रशिक्षण एवं संबद्ध बुनियादी सुविधाएं तथा विभिन्न घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए सहायता शामिल है।

समावेशी वैश्वीकरण के सुगमीकरण तथा गावों और ग्रामीण क्षेत्रों पर भारत सरकार द्वारा ध्यान संकेंद्रण के साथ ही, बैंक ने अपने 'ग्रासरूट व्यवसाय पहल' के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों के वैश्वीकरण हेतु एक नवोन्मेषी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम में समाज के गरीब तबकों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा देश के ग्रामीण उद्यमियों, पारंपरिक कारीगरों, हस्तशिल्पियों के लिए नए अवसरों के सृजन की व्यवस्था है। इस के लिए बैंक ने चुनिंदा गैर सरकारी संगठनों / स्वयं सहायता समूहों के साथ वैविध्यपूर्ण संस्थागत संबंधों को स्थापित तथा संपोषित करना जारी रखा है जिसका उद्देश्य उनके सदस्यों को क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के जरिए राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करना है। बैंक ने इसके लिए एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी निर्यात विकास निधि की स्थापना के लिए निधि सुरक्षित रखी है जिसका उद्देश्य निर्यात संवर्धन के साथ-साथ भारत की ग्रामीण प्रौद्योगिकी की निर्यात क्षमता को भी बढ़ाना है। इस प्रकार एक्ज़िम बैंक का उद्देश्य भारत के ग्रामीण उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक लाने में मदद करने के अलावा भारत में भी कार्पोरेटों तथा संस्थाओं के साथ सहयोग संबंध स्थापित कर इनके लिए वैकल्पिक चैनल तलाशना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यंत गतिशील और महत्त्वपूर्ण एस एम ई क्षेत्र को सहायता बढ़ाने के लिए बैंक ने इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (आइ टी सी), जिनेवा के साथ एक नवोन्मेषी 'इंटरप्राइजेस डिवेलपमेंट सर्विस' (ई एम डी एस) कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सहयोग व्यवस्था करार किया है। यह एक सूचना प्रौद्योगिकी क्षम कार्यक्रम है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय कार्यक्रम तैयार करने में लघु उद्यमियों की सहायता करेगा । यह लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को सहायता पहुंचाने तथा चिन्हित इकाइयों को आवधिक ऋण एवं निर्यात वित्त सुविधाएं प्रदान कर उनके वैश्वीकरण प्रयासों में मदद पहुंचाने की एक अनूठी पहल है। इस प्रकार बैंक लघु एवं मध्यम उद्यमों को क्षमता निर्माण तथा व्यवहार्य प्रस्तावों को तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम से प्राप्त अनुभवों को अन्य विकासशील देशों में भी लागू किया जाएगा और इस प्रकार यह संपूर्ण विश्व में क्षमता सृजन तथा संस्था निर्माण में मदद करेगा ।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्रकाशित शोध अध्ययनों में : ट्रेड एंड एनवायरमेंट ए थियोरिटीकल एण्ड इम्पीरिकल एनेलिसिस; इंडियन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री : सर्जिंग ग्लोबली; रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स: गेटवे टु ग्लोबल ट्रेड; नॉलेज प्रोसेस आउट सोर्सिंग; इमर्जिंग अपॉरच्युनिटीज फार इंडिया; इंडियन मिनिरल सेक्टर एंड इट्स एक्सपोर्ट पोटेंशियल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बैंक ने 'हेल्थकेयर पर्यटन : भारत के लिए अवसर' विषय पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की है, जिसमें भारत को एक प्रमुख हेल्थकेयर पर्यटक स्थल बनाने के लिए अवसरों, चुनौतियों तथा विभिन्न रणनीतियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। श्री केमल दर्विश, प्रशासक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ने वर्ष 2008 के लिए बैंक का स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान दिया। श्री दर्विश ने 'विश्व की नई आर्थिक संरचना का परिदृश्य' विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

वर्ष के दौरान बैंक के एक्ज़िमिअस केंद्र द्वारा भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाज़ार की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए विभिन्न विषयों पर 39 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें ग्यारह देश / क्षेत्र विशिष्ट व्यवसाय अवसर सेमिनार शामिल हैं। ब्रिटिश मिडलैंड क्षेत्र में निवेश अवसरों पर सेमिनारों की एक शृंखला का आयोजन कोच्चि, पुणे तथा जयपुर में किया गया । बहरीन राज्य

पर इसी प्रकार के सेमिनार कोयम्बटूर, कोच्चि तथा तिरूवनंतपुरम में आयोजित किए गए। ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के ऑस्ट्रेलिया राज्य में व्यापार तथा निवेश अवसरों पर पुणे, अहमदाबाद, लुधियाना, चेन्नै तथा हैदराबाद में इसी प्रकार के सेमिनारों का आयोजन किया गया। एशियाई विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं में व्यवसाय अवसरों पर तीन सेमिनार क्रमश: मुंबई, नई दिल्ली, तथा कोलकाता में आयोजित किए गए।

वर्ष के दौरान बैंक ने डकार, सेनेगल, पश्चिम अफ्रीका में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला। बैंक का डकार कार्यालय पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र सहित फ्रेंच भाषी देशों के साथ भारत के व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण एवं उत्प्रेरकीय भूमिका निभाएगा । डकार कार्यालय को सेनेगल सरकार द्वारा 'एकॉर्ड दि सीज' का दर्जा प्रदान किया गया है जो कि सेनेगल में कार्यरत बहुपक्षीय एजेंसियों के समतुल्य है।

सहयोग संबधों के माध्यम से सक्षम वातावरण के सृजन की दिशा में बैंक ने अफ्रीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक; सी बी आइ नीदरलैंड्स; कार्पोरेसियन एंडिना डि फोमेंटो (सी ए एफ), वेनेज्युएला; एक्सपोर्ट फाइनान्स एण्ड इन्शुरेन्स कार्पोरेशन (ई एफ आइ सी) ऑस्ट्रेलिया; सहित गल्फ निवेश परिषद (जी आइ सी), कुवैत; तथा सीलोन चेंबर ऑफ़ कॉमर्स, श्री लंका के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही भारत में पंचायती राज मंत्रालय के साथ इसकी ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र (आर बी एच) के जरिए अपनी निर्यात संवर्धक गतिविधियों को बढ़ाने तथा ग्रासरूट उद्यमों तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता संबंधी अपनी पहल को और बल प्रदान करने के लिए बैंक ने लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और रेपको बैंक के साथ भी सहभागिता करार किए हैं।

एशियन एक्ज़िम बैंक फोरम की संकल्पना तथा स्थापना भारतीय एक्ज़िम बैंक की पहल पर 1996 में हुई। एशियन एक्ज़िम बैंक फोरम की 13 वीं बैठक नवंबर 2007 में बाली, इंडोनेशिया में संपन्न हुई। 2007 की बैठक का मुख्य विषय था 'एशियाई एक्ज़िम बैंकों के बीच सहभागिता को बढ़ाना'। इसके अतिरिक्त विभिन्न सत्रों में चर्चा किए गए अन्य प्रमुख विषयों में वैश्विक तथा क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य, एशियाई एक्ज़िम बैंकों के बीच व्यापार तथा वित्तपोषण सहयोग को बढ़ावा, स्वच्छ ऊर्जा व्यापार तथा निवेश सहित एशिया में इस्लामिक बैंकिंग को बढ़ावा देना आदि प्रमुख विषय थे।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा निवेश को बढ़ाने के लिए एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क 'जी-नेक्ज़िड' की स्थापना भारतीय एक्ज़िम बैंक तथा एशिया, अफ्रीका, सी आइ एस तथा लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के अन्य एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के सहयोग से अंकटाड के तत्वावधान में जिनेवा में की गई थी। अंकटाड द्वारा जी-नेक्ज़िड को प्रदान किया गया 'प्रेक्षक' का दर्जा फोरम को इसके सहयोग को दर्शाता है। इसकी सदस्य संख्या मार्च 2008 तक बढ़कर 23 हो गई है जो विकासशील देशों में फोरम के विजन की स्वीकार्यता को दर्शाती है।

कारोबार परिणाम

सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि और भारत के बाह्य क्षेत्र में तेज़ी के अनुरूप वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के कारोबार निष्पादन में विशिष्ट वृद्धि परिलक्षित हुई है। ऋण मंजूरियां 328.1 बिलियन रुपये की थीं और इनमें गत वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। संवितरण 271.6 बिलियन रुपये के थे जिनमें 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ऋण आस्तियाँ गत वर्ष से 25 प्रतिशत बढ़कर 291.5 बिलियन रुपये हो गईं।

कर पूर्व लाभ गत वर्ष के 2.99 बिलियन रुपये की तुलना में 3.33 बिलियन रुपये तथा जोखिम आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 15.13 प्रतिशत रहा, जबकि निवल ऋण आस्तियों की तुलना में निवल गैर निष्पादक आस्तियाँ यथा 31 मार्च 2008 को 0.29 प्रतिशत थीं। वर्ष के दौरान भारत सरकार ने बैंक की पूंजी में 10 बिलियन रुपये का अभिदान किया जिससे बैंक की प्रदत्त पूंजी 10 बिलियन रुपये से बढ़कर 20 बिलियन रुपये हो गई। भारत सरकार ने बैंक की शेयर पूंजी में 1 बिलियन रुपये का अभिदान किया जिससे इसकी चुकता पूंजी 11 बिलियन रुपये हो गयी ।

जुटाए गए विदेशी मुद्रा संसाधनों में द्विपक्षीय/क्लब ऋणों के जरिए 1,083 मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य राशियाँ तथा

एफ आर एन एस के जरिए 197 मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य राशियाँ थीं। यथा 31 मार्च 2008 को बैंक के पास कुल विदेशी मुद्रा संसाधन राशियाँ 3.53 बिलियन यू एस डॉलर की थीं । बांडों तथा वाणिज्यिक पत्रों सहित बकाया रुपया उधार राशियाँ 188.9 बिलियन रुपये की रहीं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स तथा फिच ने भी बैंक की रेटिंग को बढ़ाकर बी बी + से बी बी बी - कर दिया। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जे सी आर ए) द्वारा भी बैंक को प्रदान की गई रेटिंग में वृद्धि कर इसे बी बी बी + कर दिया गया। मूडीज द्वारा प्रदान की गई बी ए ए 3 रेटिंग सहित बैंक को समग्र रूप में वर्तमान में चार अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य की निवेश ग्रेड की रेटिंग प्राप्त है।

संस्थागत संबद्धताएं

व्यापार तथा निवेश के संवर्धन में लगी एजेंसियों तथा संस्थाओं के साथ विकसित बैंक के विशिष्ट तथा अनौपचारिक संस्थागत संबंधों से बैंक के विभिन्न प्रयासों को सहायता मिली है। सी आइ आइ, फिक्की, एसोचेम, नैसकॉम, फिओ, ई ई पी सी, भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पी ई पी सी), भारत में यूरोपीय यूनियन चेंबर ऑफ़ कॉमर्स तथा अन्य वाणिज्य मंडल और आर्थिक शोध संस्थाएं बैंक के कार्य में ज्ञान तथा सहायता का एक मूल्यवान स्रोत रही हैं। बैंक को उद्योगों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, भारत सरकार के मंत्रालयों, विशेषकर वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ परस्पर संवाद से भी शक्ति तथा महत्त्व प्राप्त हुआ है।

निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन हुआ है। डॉ. अरविंद विरमानी, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय; श्री अजय शंकर, सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग; श्री योगेश अगरवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आइ डी बी आइ बैंक लिमिटेड; श्री एम.बी.एन. राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक; और डॉ. के. सी. चक्रबर्ती, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। डॉ. अशोक लाहिरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय; डॉ अजय दुआ, सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग; श्री वी. पी. शेट्टी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आइ डी बी आइ बैंक लिमिटेड; श्री एस.सी.गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक, एवं डॉ. विनयशील गौतम, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली, ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर या कार्यालय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप अपने-अपने निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिये हैं। निदेशकों के रूप में दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए बैंक उनका आभार मानता है ।

बैंक के स्टाफ़, जो मुख्य संसाधन हैं, ने उत्कृष्टता, नवोन्मेषिता और कारोबार वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सतत समर्पण और प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है तथा बैंक के मिशन को आगे बढ़ाने में उनका विशेष योगदान रहा है। बैंक की सहभागी तथा व्यावसायिक कार्य संस्कृति बैंक के लिए शक्ति का एक निरंतर स्रोत रही है।

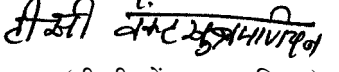

(टी.सी. वेंकट सुब्रमणियन)
28 अप्रैल, 2008

आर्थिक परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था

सब प्राइम बंधक संकट के बाद लगातार वित्तीय उतार-चढ़ाव के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2007 के दौरान सामान्य वृद्धि प्रदर्शित की है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइ एम एफ) की वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक, अप्रैल 2008 के अनुसार, वैश्विक जी डी पी की वृद्धि दर के गत वर्ष में दर्ज की गई 5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2007 में घटकर 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में मंदी का होना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर 2006 के 3 प्रतिशत से घटकर 2007 में 2.7 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में यह वृद्धि दर 2006 के 7.8 प्रतिशत की तुलना में 2007 में बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। तथापि समग्र रूप में 2003-07 की पांच वर्षीय अवधि, सत्तर के दशक के प्रारंभ से सबसे ठोस वृद्धि की अवधि रही है जो विश्व व्यापार तथा वित्तीय खुलेपन में तेज़ी, उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की प्रमुखता और स्थिर वृद्धि रूझानों से प्रभावित रही है। वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के वर्ष 2008 में कम होकर 3.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो 2007 में अनुमानित वृद्धि दर से 1.2 प्रतिशत कम है।

संयुक्त राज्य में जहां आवासीय क्षेत्र में मूल्य सुधार का अर्थव्यवस्था के विकास पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ना जारी रहा है, वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर 2006 में दर्ज की गई 3 प्रतिशत की तुलना में 2007 में घटकर 2.2 प्रतिशत हो गयी । डॉलर के मूल्य में लगातार गिरावट के परिणाम स्वरूप निवल निर्यात में वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहा है जिससे चालू खाते में कुछ सहायता मिली है। आवासीय क्षेत्र में निवेशों में संकुचन और उपभोग तथा व्यावसायिक निवेशों में कमी के चलते आर्थिक कार्यकलापों की गति कमज़ोर हुई जिससे चौथी तिमाही में तीव्र मंदी देखी गयी तथा सिर्फ 0.6 प्रतिशत की वार्षिकीकृत वृद्धि दर दर्ज की गयी। कनाडा में मज़बूत देशी मांग वृद्धि का मुख्य संवाहक रही; इसे व्यापार शर्तों से लगातार लाभ तथा जोरदार ऋण और रोजगार में वृद्धि से बढ़ावा मिला है। 2007 में कनाडा की वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर 2006 के 2.8 प्रतिशत से कम होकर 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। कमजोर विदेशी मांग तथा कड़ी मौद्रिक स्थितियों के संयुक्त प्रभावों के कारण 2008 में कनाडाई अर्थव्यवस्था के 1.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

यूरो क्षेत्र में वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर 2006 के 2.8 प्रतिशत से कम होकर 2007 में 2.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह वृद्धि विशेषकर जर्मनी में मशीनों तथा उपकरणों की भारी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मांग, निर्माण कार्यकलापों में उछाल और जोरदार निर्यात की बदौलत निवेश व्यय में व्यापक वृद्धि से प्रेरित है तथापि वैश्विक विकास में मंदी तथा यूरो के मूल्य में वृद्धि के चलते 2008 की दूसरी छमाही तक निर्यात में वृद्धि की गति धीमी पड़ सकती है। यद्यपि

'विश्व अर्थव्यवस्था की नई संरचना का परिदृश्य' विषय पर एक्ज़िम बैंक स्थापना दिवस वार्षिक अभिभाषण -2008 देते हुए श्री केमल दर्विश, प्रशासक, यू एन डी पी । डॉ. अरविंद विरमानी मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने समारोह की अध्यक्षता की ।

यूरोप तथा यू एस के बीच आर्थिक संबंध पारंपरिक रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं है तथापि व्यापार माध्यमों को अब भी महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार, सब-प्राइम बंधक संकट के बाद यूरोप में भी ऋण शर्तों को सख्त बनाया जा रहा है। यूरो क्षेत्र में वृद्धि दर 2008 में कम होकर 1.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पश्चिम यूरोप में यूरो क्षेत्र से बाहर, यूनाइटेड किंगडम में वृद्धि दर मुख्यत: रोजगार में निरंतर वृद्धि के चलते जोरदार देशी मांग और तीव्र निवेश की बदौलत 2006 में 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 2007 में 3.1 प्रतिशत हो गयी । तथापि, यूनाइटेड किंगडम में वृद्धि दर के 2008 में कम होकर 1.6 प्रतिशत के स्तर पर आ जाने की आशा है।

जापान की अर्थव्यवस्था में वैश्विक मंदी के बावजूद जोरदार निवल निर्यात तथा व्यावसायिक निवेश की बदौलत 2007 की चौथी तिमाही में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष के अंत तक लचीलापन बना रहा । यद्यपि जापानी वित्तीय प्रणाली पर सब प्राइम संकट जोखिम का प्रभाव सीमित रहा है तथापि वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता से जापान की भावी विकास संभावना क्षीण दिखाई दे रही है। निर्यात में वृद्धि को उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं, जिनका जापानी निर्यात में अब लगभग आधा हिस्सा है, को देशी मांग में लगातार मज़बूती से अच्छा समर्थन मिलते रहने की आशा है। इसे प्रतिबिंबित करते हुए वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर 2006 के 2.4 प्रतिशत से घटकर 2007 में 2.1 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। कारोबारी उपभोक्ता विश्वास के घटने और निर्यात वृद्धि में कमी होने के कारण इसके 2008 में और घटकर 1.4 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है। तथापि, 2008 की दूसरी छमाही में आवासीय क्षेत्र में निवेश में बढ़ोतरी के कारण वृद्धि की संभावना की गति सकारात्मक हो सकती है।

एशियाई क्षेत्र में उभरते एशिया (विकासशील एशिया, जिसमें नई औद्योगीकृत एशियाई अर्थव्यवस्थाएं तथा मंगोलिया शामिल हैं) में वृद्धि दर चीन तथा भारत में तीव्र वृद्धि की बदौलत 2006 के 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 2007 में 9.1 प्रतिशत हो गयी। चीन की वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर निवेश तथा निवल निर्यात में जोदार वृद्धि की बदौलत 2006 के 11.1 प्रतिशत से सुधरकर 2007 में 11.4 प्रतिशत हो गयी। नई औद्योगीकृत एशियाई

भारत के पण्य व्यापार की प्रवृत्तियां

(बिलियन रुपये)

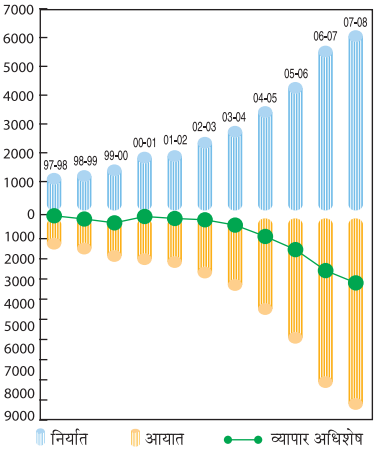

भारत के सेवा व्यापार की प्रवृत्तियां

(बिलियन रुपये)

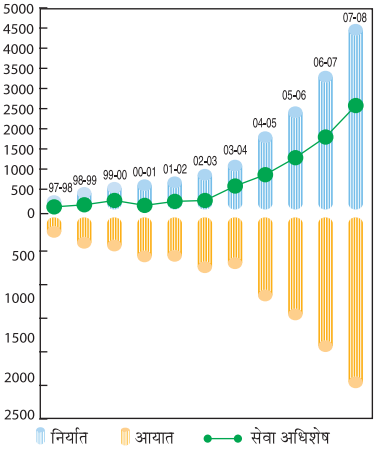

भारत में ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरणों के विनिर्माण में संलग्न अग्रणी कंपनी जैन इरिगेशन सिस्टम्स लि., जलगांव ने नंदन इरीगेशन सिस्टम्स इजराइल में नियंत्रक हिस्से का अधिग्रहण किया ।

अर्थव्यवस्थाओं ने भी अमेरिका में कमज़ोर संभावनाओं के बावजूद लचीलापन दर्शाया है क्योंकि 2007 में इस क्षेत्र के लिए वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत के स्तर पर अपरिवर्तित रही। एशियाई निर्यात और विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए मांग में मंदी तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों में और उतार-चढ़ाव की संभावना इस क्षेत्र में गिरावट की कुछ चिंताएं हैं। क्षेत्र में विदेशी मुद्रा अंतर्वाह में मजबूती रही है जिससे 2007 में जी डी पी के 6.5 प्रतिशत का क्षेत्रीय चालू खाता अधिशेष उत्पन्न होने की संभावना है। क्षेत्र में निवल पूंजी प्रवाह विदेशी मुद्रा अंतर्वाह का प्रमुख स्रोत रहा जो भारत, चीन तथा हांगकांग एस ए आर में पोर्टफोलियो अंतर्वाह में तीव्र वृद्धि की बदौलत 2007 में रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। क्षेत्र की विकास संभावनाएं इन अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय प्रणालियों के लचीलेपन की मात्रा और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में चल रहे बाजार विस्थापन तथा संबंद्ध मंदी और साथ ही क्षेत्र के निर्यात पर घटती वैश्विक मांग के प्रभाव की मात्रा द्वारा निर्धारित होंगी। यह मंदी मुख्यत: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा विशेषकर अमेरिका तथा पश्चिम यूरोप, को क्षेत्र के निर्यात को प्रभावित करेगी तथापि यह प्रभाव अधिक गंभीर नहीं होगा क्योंकि इन अर्थव्यवस्थाओं में जी डी पी में निर्यात का हिस्सा कम हो रहा है, जबकि अंत: एशियाई निर्यात बढ़ रहा है। इसके अलावा क्षेत्र की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में देशी मांग में मजबूती, जो जोरदार खपत तथा निवेश वृद्धि से आयी है, ने भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में घटते निर्यात के समग्र प्रभाव को कम किया है। वर्ष 2008 में चीन की वृद्धि दर मंद होकर 9.3 प्रतिशत के स्तर पर रहने की आशा है। भारत, पाकिस्तान तथा फिलीपीन्स जैसे देशों में वित्तीय समेकन के कार्य को प्राथमिकता जारी रहने की आशा है।

अफ्रीका में अधिकांश देशों ने बढ़ते व्यापार खुलेपन की सहायता से हाल के वर्षों में जोरदार वृद्धि दर्ज की है। तेल निर्यातक देशों ने तीव्र वृद्धि दर्ज की है क्योंकि उनका विदेशी मुद्रा भंडार निर्यात आय से काफी बढ़ गया है।

भारत सरकार के तत्वावधान में सी आइ आइ - एक्ज़िम बैंक द्वारा आयोजित चौथे' भारत - अफ्रीका परियोजना सहभागिता समारोह 2008' का उद्घाटन महामहिम डॉ. अली मोहमद शीन, उपराष्ट्रपति, तंजानिया गणराज्य द्वारा किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ उपस्थित थे।

अनुकूल व्यापार वातावरण की सहायता से उप-सहारीय अफ्रीका के कुछ देश निजी पूंजी प्रवाह के लिए एक आकर्षक स्रोत के रूप में उभरे हैं। निवल निजी अंतर्वाह 2007 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया जो मुख्यत: एफ डी आइ अंतर्वाहों द्वारा प्रेरित है। दक्षिण अफ्रीका को उसकी विकसित वित्तीय संरचना के साथ इन निधियों का भारी हिस्सा मिला है। अन्य देशों जैसे घाना तथा यूगांडा में भी वृद्धिशील पूंजी अंतर्वाह दर्ज किया जा रहा है। अफ्रीकी क्षेत्र के 2006 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2007 में 6.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। उप-सहारीय अफ्रीका (एस एस ए) में अंगोला ने तेल तथा हीरे के उत्पादन में तीव्र वृद्धि की बदौलत जोरदार वृद्धि दर्ज की है। नाइजीरिया में गैर-तेल क्षेत्र में जोरदार वृद्धि ने समग्र आर्थिक वृद्धि में योगदान दिया तथा नाइजर डेल्टा में तेल उत्पादन में गिरावट के प्रभाव को भी समंजित किया है। तथापि, क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक कार्यकलापों की गति खाद्य पदार्थों तथा तेल की कीमतों से बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई कठोर मौद्रिक नीति के कारण थोड़ी मंद पड़ गयी है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका में निवेशों में लगातार महत्त्वपूर्ण वृद्धि हो रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था स्वयं को 2010 फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रही है। समग्र रूप में, उप-सहारीय अफ्रीका में 2006 के 6.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2007 में 6.8 प्रतिशत और 2008 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। क्षेत्र में विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात की बढ़ती भूमिका से अर्थव्यवस्था का अधिक विशाखन हुआ है जिससे समग्र वृद्धि में व्यापार शर्तों से लाभ की भूमिका कम हुई है। इसके अलावा निर्यात गंतव्य स्थानों के अधिक विशाखन और निर्यात के बड़े हिस्से

के अब अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को जाने से उप-सहारीय अफ्रीका को 2008 तथा 2009 में वृद्धि में अल्प मंदी का सामना करना पड़ सकता है।

मध्य पूर्व क्षेत्र में ठोस वृद्धि के लंबे दौर को तेल की ऊंची कीमतों तथा जोरदार देशी मांग से समर्थन मिलना जारी है। क्षेत्रीय वृद्धि दर पिछले चार वर्षों के दौरान 5 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक दर पर बनी हुई है। 2006 में दर्ज की गई 5.8 प्रतिशत की वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर मिश्र तथा सऊदी अरब जिनमें 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई, के जोरदार वृद्धि निष्पादन की सहायता से वर्ष 2007 के दौरान भी बनी रही। क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर 2008 तथा 2009 दोनों वर्षों में बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो जाने की आशा है। 2007 में देशी व्यय तथा आयात में वृद्धि के चलते क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को तेल की ऊंची कीमतों की बदौलत भारी निर्यात आय से बढ़ावा मिला। हालांकि तेल क्षेत्र में निवेश बढ़ती लागतों के कारण मूल्य की दृष्टि से स्थिर रहा। तेल निर्यातक देशों में वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर गैर-तेल क्षेत्रों में विस्तार, तेल आय में से बढ़ते सरकारी व्यय, विदेशी पूंजी अंतर्वाह तथा तेजी से बढ़ते देशी निजी ऋणों की बदौलत बनी रही। चूंकि खाड़ी सहयोग के अधिकांश देशों ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्राओं की दरें निर्धारित की हैं अत: अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से इन देशों में स्फीतिकारी दबाव बढ़ सकता है।

लैटिन अमेरिका में वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर 2006 के 5.5 प्रतिशत की तुलना में सुधरकर 2007 में 5.6 प्रतिशत रही। यह वृद्धि मुख्यत: देशी मांग द्वारा संचालित थी और इस प्रकार यह सत्तर के दशक से अब तक क्षेत्र का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। यद्यपि अमेरीकी मंदी का मेक्सिको (3.3 प्रतिशत) तथा वैनेजुएला (5.7 प्रतिशत) की वृद्धि दर पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तथापि मध्य अमेरिका (6.5 प्रतिशत) तथा अर्जेंटीना (8.7 प्रतिशत), कोलंबिया (7 प्रतिशत), पेरू (9 प्रतिशत), चिले (5 प्रतिशत) तथा वेनेजुएला (8.4 प्रतिशत) सहित दक्षिण अमेरिका के कुछ पण्य निर्यातक देशों में वृद्धि की दर ऊंची रही। वास्तविक ब्याज दरों में लगातार गिरावट तथा मजबूत रोजगार की बदौलत ब्राजील में वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर में 2006 के 3.8 प्रतिशत की तुलना में 2007 में 5.4 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। क्षेत्र में वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर के संयुक्त राज्य में कार्यकलापों की मंदी के परिणामस्वरूप क्षमता प्रतिबंधों के कारण 2008 में 4.4 प्रतिशत के सामान्य स्तर पर बने रहने की आशा है। लैटिन अमेरिका के लिए मुख्य स्थूल आर्थिक चुनौती विदेशी मुद्रा भंडार का कुशलतापूर्वक संचालन है।

स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल (सी आइ एस) भी क्षेत्र हाल की वित्तीय हलचलों से अछूता नहीं रहा है। बल्कि संक्रमण-काल से ही सबसे लंबे आर्थिक विस्तार की पृष्ठभूमि में बढ़ा है। क्षेत्र में वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर 2007 में तेज रही जो 2006 के 8.2 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 8.5 प्रतिशत रही। क्षेत्र में जबर्दस्त विस्तार को पण्यों की ऊँची कीमतों, विस्तारकारी स्थूल आर्थिक नीतियों, जोरदार पूंजी अंतर्वाह और तीव्र ऋण वृद्धि से मजबूती मिली है। तथापि इस क्षेत्र में वृद्धि की गति 2008 में घटकर 7 प्रतिशत हो जाने की आशा है क्योंकि कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था और धीमी ऋण वृद्धि विकास की गति को मंद कर सकती है। बढ़ती वास्तविक आय तथा ऋण की आसान सुलभता और साथ ही निवेशों में उछाल की बदौलत उपभोग रूसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि का मुख्य संवाहक रहा। 2007 में रूसी अर्थव्यवस्था में 8.1 प्रतिशत का विस्तार हुआ और 2008 में भी इसमें 6.8 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि की आशा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी से पण्यों की कीमतों, जो क्षेत्र में आर्थिक विकास की मुख्य संवाहक हैं, में कमी आ सकती है और बाह्य वित्तपोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता

एक्ज़िम बैंक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास शोध वार्षिक पुरस्कार (आइ ई डी आर ए) 2006 की विजेता डॉ. मोनिका दास भारत, बांग्लादेश, भूटान तथा श्री लंका के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक, श्री धनेंद्रकुमार से वांशिग्टन डी. सी. में आयोजित समारोह में पुरस्कार ग्रहण करते हुए ।

भारत की पण्य वस्तुओं के निर्यात का गठन

(बिलियन रुपये)

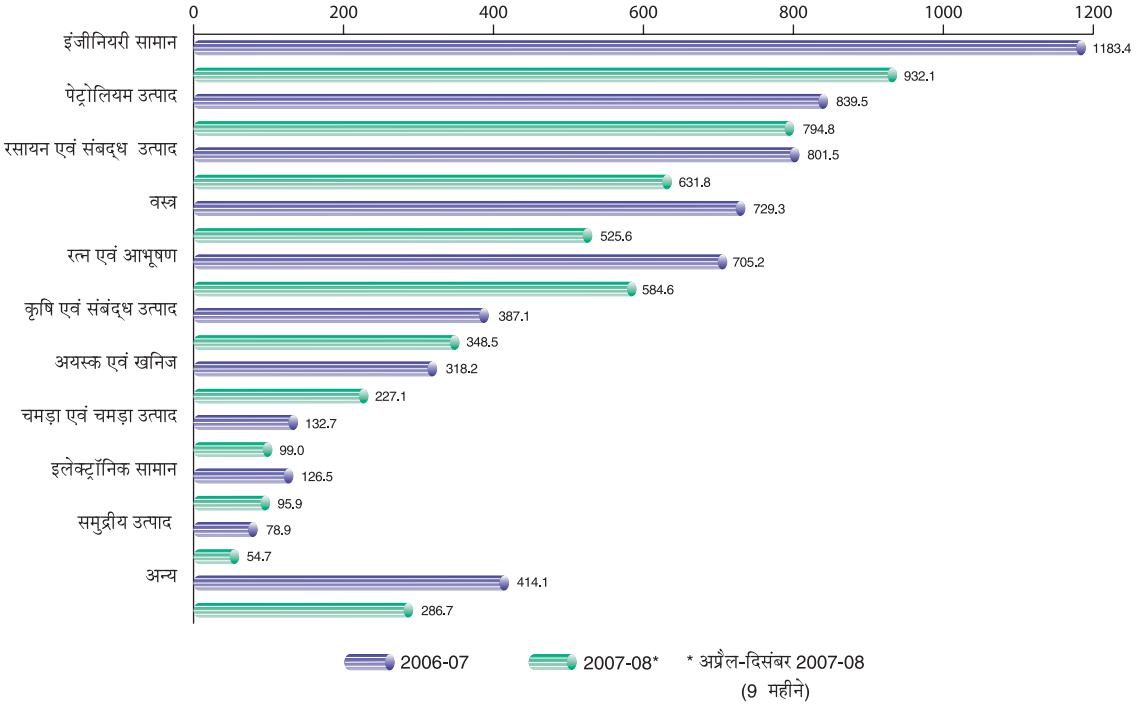

है। ऐसी परिस्थितियों में, क्षेत्र के छोटे देशों जैसे अर्मेनिया, जॉर्जिया, माल्डोवा, किरगिज गणराज्य तथा तजाकिस्तान से आयात की मांग और इन देशों को निजी विप्रेषणों के प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

उभरते यूरोप में वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर 2006 के 6.7 प्रतिशत से घटकर 2007 में 5.8 प्रतिशत हो गयी। हंगरी, तुर्की, ईस्टोनिया तथा लैटविया में वृद्धि में महत्त्वपूर्ण कमी देखी गयी। तथापि, वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर स्लोवाक गणराज्य, अल्बेनिया, क्रोएशिया, मैसीडोनिया, सर्बिया तथा पोलैंड में प्रभावशाली रही। लिथुआनिया, जिसने 2006 के 7.7 प्रतिशत की तुलना में 2007 में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, को छोड़कर बाल्टिक देशों में आर्थिक कार्यकलापों में मंदी रही। हंगरी में वृद्धि, क्षेत्र के शेष देशों की तुलना में कमजोर रही जो अंशत: वित्तीय समेकन के अल्पकालिक प्रभाव को दर्शाता है। क्षेत्र के अधिकांश देशों में वृद्धि को उच्च घरेलू मांग से समर्थन मिला है। यह मांग 2007 में उत्पादन से बहुत अधिक थी। घरेलू मांग में मंदी आने और पश्चिमी यूरोप से कमजोर मांग के चलते निर्यात वृद्धि में कमी के कारण क्षेत्र की वृद्धि दर 2008 में कम होकर 4.4 प्रतिशत होने की आशा है।

विश्व व्यापार

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइ एम एफ) के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार, विश्व व्यापार (तेल को छोड़कर) 1980 से मूल्य की दृष्टि से पांच गुना बढ़ा है और वैश्विक जी डी पी में इसका हिस्सा इस अवधि के दौरान 36 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। नब्बे के दशक में व्यापार एकीकरण में तेजी आयी, क्योंकि एशिया में कई विकासशील देशों ने लगातार उदारीकरण किया और पूर्ववर्ती पूर्वी खंड के देशों ने वैश्विक व्यापारिक प्रणाली में अधिक एकीकरण अपनाया। इस प्रकार अधिकांश उभरते बाजार तथा विकासशील देश अपने व्यापार खुलेपन में उच्च-आय वर्ग वाले देशों के बराबर आ पहुँचे हैं या उनसे आगे निकल गये हैं।

माल का वैश्विक निर्यात 2007 में 13.7 ट्रिलियन यू एस डॉलर रहा है जो गत वर्ष के कुल 11.9 ट्रिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 15.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मात्रा की दृष्टि से 2007 में वैश्विक निर्यात में वृद्धि 2006 में दर्ज की गई 9.1 प्रतिशत की तुलना में 6.4 रही है। उन्नत अर्थ-व्यवस्थाओं ने वर्ष 2007 में 5.3 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि दर्ज की है जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। गैर-ईंधन प्राथमिक पण्यों की वैश्विक व्यापारिक कीमतों

भारत में पण्य वस्तुओं के आयात का गठन

(बिलियन रुपये)

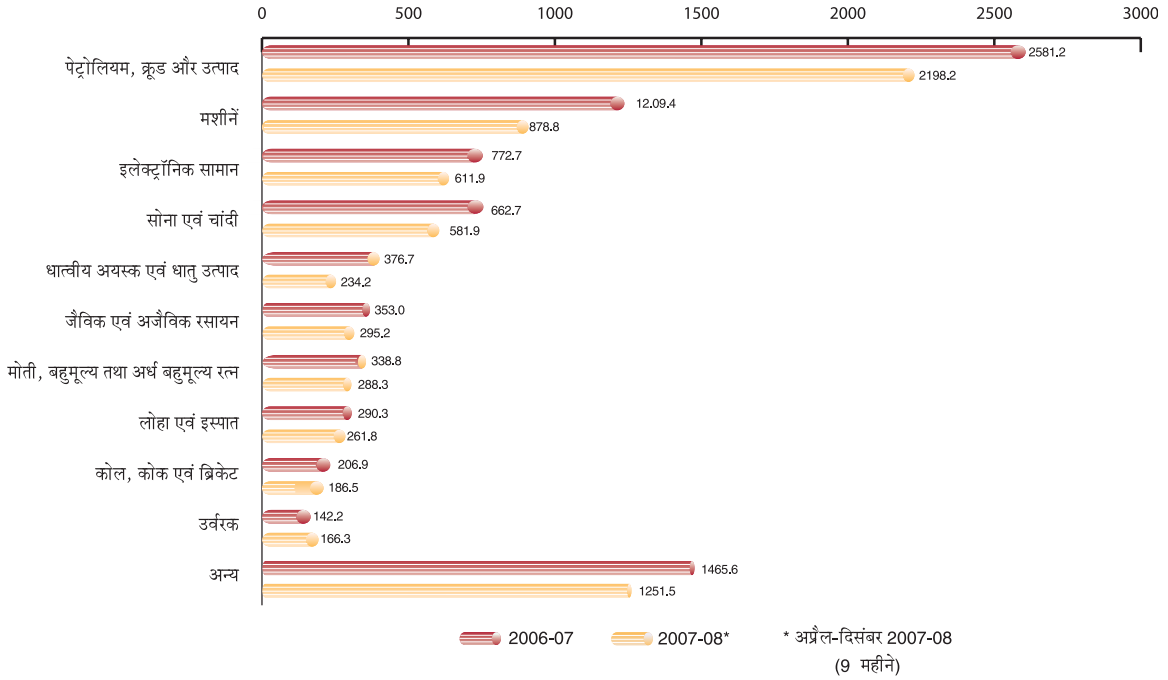

में 2006 में 23.2 प्रतिशत की जबर्दस्त वृद्धि की तुलना में वर्ष 2007 में यू एस डॉलर मूल्य की दृष्टि से 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। तेल की कीमतें, जिनमें 2006 में 20.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी 2007 में घटकर 10.7 प्रतिशत रहीं। विनिर्मित वस्तुओं की वैश्विक व्यापारिक कीमतें 2006 में दर्ज की गई 3.8 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि की तुलना में बढ़कर 2007 में 9.7 प्रतिशत के स्तर पर रहीं। सेवाओं का वैश्विक निर्यात 2007 में 3.3 ट्रिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष की तुलना में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी प्रवाह, चालू खाता शेष और विदेशी ऋण

कई उभरते बाजारों तथा देशों ने विगत वर्षों में चालू तथा पूंजी दोनों खातों के माध्यम से निवल विदेशी मुद्रा अंतर्वाह का ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर दर्ज किया है। हाल के वर्षों में निवल विदेशी मुद्रा प्रवाह में निजी पूंजी प्रवाह एशियाई संकट के ठीक पूर्व 1996 के चरम स्तर के दुगुने से अधिक बढ़ा है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए निवल प्रवाह में वृद्धि कुछ कम तेज रही है, किंतु फिर भी यह 2005-06 के दौरान रिकार्ड स्तर पर रहा है तथा इसमें, 2007 की पहली छमाही में और बढ़ोत्तरी हुई है। वित्तीय बाजार के हाल के उतार-चढ़ावों के बावजूद समग्र रूप में इसके उच्च स्तर पर बने रहने की आशा है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निवल निजी पूंजी प्रवाह 2007 में मजबूत बना रहा और गत वर्ष में दर्ज किए गए 568.2 बिलियन यू एस डॉलर से 37.7 प्रतिशत बढ़कर 782.4 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। जबकि निवल प्रत्यक्ष निवेश 2007 में 255.6 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष के कुल 167.4 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में काफी अधिक है। निवल पोर्टफोलियो निवेश 2006 के 53.3 बिलियन यू एस डॉलर से घटकर 43.5 बिलियन यू एस डॉलर रहा। 2007 में उभरते एशियाई क्षेत्र में निवल निजी पूंजी प्रवाहों में मामूली गिरावट उभरते यूरोप तथा लैटिन अमेरिका को प्रवाहों में तेजी द्वारा बहुत कुछ संमजित हो गयी ।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं को निवल निजी पूंजी प्रवाह में उभरते यूरोप का 46 प्रतिशत हिस्सा रहा । कुल अंतर्वाह 2007 में 365.2 बिलियन यू एस डॉलर रहा । क्षेत्र में जोरदार आर्थिक कार्यकलापों के चलते निवल प्रत्यक्ष निवेश 2006 के 48.3 बिलियन यू एस डॉलर से 2007 में बढ़कर 66.9 बिलियन यू एस डॉलर अधिक था । उभरते अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में, निवल प्रत्यक्ष निवेश के दुगुना होने और साथ ही निवल गैर-बैंक तथा निवल वाणिज्यिक

बैंक दोनों उधारों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि से 2007 में निवल पूंजी प्रवाहों में समग्र रूप में वृद्धि हुई जो 2007 में 11 बिलियन यू एस डॉलर से अधिक बढ़कर 38.1 बिलियन यू एस डॉलर रहा । उभरते एशियाई क्षेत्र में, सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उच्चतम जी डी पी वृद्धि दर्ज करने के बावजूद, क्षेत्र को निवल निजी पूंजी प्रवाह गत वर्ष के 258.3 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2007 में मामूली रूप से घटकर 249.8 बिलियन यू एस डॉलर रहा । तथापि, इस क्षेत्र में निवल प्रत्यक्ष निवेश 2007 में बढ़कर 117.7 बिलियन यू एस डॉलर हो गया जो कुल निवल प्रवाह का 47 प्रतिशत है। लैटिन अमेरिका को निवल निजी पूंजी प्रवाह निवल पोर्टफोलियो निवेश, निवल प्रत्यक्ष निवेश तथा गैर बैंकों से निवल उधार में भारी वृद्धि की बदौलत गत वर्ष के 46.8 बिलियन यू एस डॉलर से तीव्र रूप से बढ़कर 2007 में 129.4 बिलियन यू एस डॉलर हो गया।

हाल के वर्षों में दर्ज वृद्धि की गति को जारी रखते हुए, उभरती अर्थव्यवस्थाओं का चालू खाता अधिशेष 2007 में बढ़कर 436.0 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। इस प्रकार इसमें गत वर्ष के 374.6 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 16.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। यह वृद्धि मुख्यत: उभरते एशियाई क्षेत्र से आयी है जिसने चालू खाता अधिशेष में 423.1 बिलियन यू एस डॉलर की तीव्र वृद्धि दर्ज की है जो 2006 में दर्ज किए गये 288.8 बिलियन यू एस डॉलर के अधिशेष से 46.5 प्रतिशत अधिक है। इसी के अनुरूप क्षेत्र के विदेशी मुद्रा भंडार में 244.5 बिलियन यू एस डॉलर की वृद्धि हुई। उभरते लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में चालू खाता अधिशेष वर्ष 2006 में दर्ज किए गए क्रमश: 52.7 बिलियन यू एस डॉलर तथा 14.3 बिलियन यू एस डॉलर से घटकर वर्ष 2007 में क्रमश: 28.3 बिलियन यू एस डॉलर तथा 11.0 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। उभरते लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व में प्रारक्षित निधि 2007 में बढ़कर क्रमश: 80.4 बिलियन यू एस डॉलर तथा 4.3 बिलियन यू एस डॉलर हो गयीं । तथापि, उभरते यूरोप में चालू खाता शेष जो 2006 में 18.7 बिलियन यू एस डॉलर का था, 2007 में 26.4 बिलियन यू एस डॉलर के घाटे में चला गया ।

उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का विदेशी ऋण माल तथा सेवाओं के उनके निर्यात के प्रतिशत के रूप में 2006 के 70.3 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 2007 में 70.7 प्रतिशत हो गया । यह अनुपात उभरते यूरोप तथा सी आइ एस क्षेत्र के मामले में अत्यधिक उच्च था जो 2006 में क्रमश: 118.8 प्रतिशत तथा 94.5 प्रतिशत की तुलना में क्रमश: 119.3 प्रतिशत तथा 110.3 प्रतिशत रहा। यह अनुपात मध्य-पूर्व क्षेत्र के लिए भी 2006 के 43.7 प्रतिशत से बढ़कर 46.7 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर उभरते एशिया क्षेत्र में यह अनुपात 2006 में 47.9 प्रतिशत से घटकर 2007 में 44.1 प्रतिशत हो गया। उप-सहारीय अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र में अनुपात कम हुआ है और 2007 में यह क्रमश: 66.2 प्रतिशत, तथा 96.3 प्रतिशत रहा। समग्र रूप में उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों का ऋण शोधन अनुपात 2006 के 14.9 प्रतिशत से घटकर 2007 में 11.7 प्रतिशत हो गया।

एक्जिम बैंक द्वारा घाना को प्रदान की गई 60 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय परियोजना निर्यातक मेसर्स शपूरजी पल्लोनजी एंड कंपनी द्वारा एक्रा, घाना में निर्माणाधीन राष्ट्रपति का कार्यालय तथा सरकारी दफ्तर ।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले दो वर्षों में औसतन 9.5 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर की तुलना में 2007-08 में 9 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ लचीलापन प्रदर्शित करना जारी रखा है तथापि यह अंशत: प्रत्याशित चक्रीय उतार-चढ़ाव की कुछ मात्रा प्रतिबिंबित करती है जिसे ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के लिए वृद्धि लक्ष्य निर्धारित करते समय हिसाब में लिया गया था।

* इस खंड में दिए गए आंकड़े भारतीय वित्त वर्ष के अनुरूप हैं जो अप्रैल से अगले वर्ष मार्च तक रहता है ।

कृषि

कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों ने 2007-08 में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। यह गत वर्ष में दर्ज की गई 3.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में सुधार दर्शाती है। 2007-08 में 219.3 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। वाणिज्यिक फसलों में यद्यपि 2007-08 में कपास का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में अनुमान से अधिक था, गन्ने का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कम होने का अनुमान है।

उद्योग

केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) के अनुसार उद्योग क्षेत्र की वास्तविक जी डी पी, जिसने 2006-07 में 11 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की थी, ने मुख्यत: विनिर्माण तथा खनन उप-क्षेत्रों में मंदी के कारण 2007-08 में 8.5 प्रतिशत की कमतर वृद्धि दर्ज की है। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर गत वर्ष में दर्ज की गई 12 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2007-08 में मंद होकर 8.8 प्रतिशत रही, जबकि खनन तथा उत्खनन क्षेत्रों ने गत वर्ष में दर्ज की गई 5.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2007-08 में 4.7 प्रतिशत की न्यून वृद्धि दर्ज की है। अपनी वृद्धि में कुछ मंदी के बावजूद निर्माण क्षेत्र ने 2006-07 में दर्ज की गई 12 प्रतिशत की वास्तविक जी डी पी वृद्धि की तुलना में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है। दूसरी ओर, बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति की वृद्धि दर गत वर्ष में दर्ज की गई 6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2007-08 में बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गयी।

भारत में पण्य वस्तुओं के व्यापार की दिशा

(बिलियन रुपये)

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2006-07 में दर्ज 11.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2007 में 8.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। औद्योगिक सूचकांक में कमी मुख्यत: विनिर्माण क्षेत्र में आई मंदी के कारण रही है। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार मूल पूंजी माल क्षेत्र गत वर्ष 18.2 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान 16.9 प्रतिशत की गति से बढ़ा है। दूसरी ओर, मूलभूत माल क्षेत्र 2007-08 के दौरान 7 प्रतिशत बढ़ा जबकि गत वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान यह 10.3 प्रतिशत था । मध्यवर्ती माल क्षेत्र ने भी 2007-08 के दौरान 8.8 प्रतिशत के स्तर पर वृद्धि दर्ज करते हुए गिरावट दिखाई है। जबकि गत वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान इसमें 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु खंड ने वर्ष के दौरान नकारात्मक वृद्धि (-1 प्रतिशत) दर्ज की, जिससे गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु खंड में यथोचित वृद्धि (8.3 प्रतिशत) के बावजूद उपभोक्ता माल खंड की वृद्धि (5.9 प्रतिशत) में कमी आयी।

विनिर्माण क्षेत्र में 17 औद्योगिक उप-क्षेत्रों में से 2007-08 के दौरान, सात उप-क्षेत्रों ने दो अंकीय वृद्धि दर दर्ज की है। इन सात उपखंडों में लकड़ी उत्पाद (38.9 प्रतिशत), जूट तथा अन्य वनस्पति फाइबर टेक्सटाइल (33.1 प्रतिशत), अन्य विनिर्मित उद्योग (19.8 प्रतिशत), मूल धातु तथा मिश्र धातु (12.1 प्रतिशत), पेय तथा तम्बाकू (11.8 प्रतिशत), चमड़ा उत्पाद (11.7 प्रतिशत) और, मूल रसायन तथा रसायन उत्पाद (10.6 प्रतिशत) शामिल हैं। 2007-08 में नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित

करने वाला एक मात्र उप-क्षेत्र धातु उत्पाद (-5.7 प्रतिशत) था। शेष नौ उप-क्षेत्रों ने 2007-08 के दौरान 2.7 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत के बीच वृद्धि दर्ज की ।

सेवाएं

सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर का व्यापक आधार बना रहा । इसमें वर्ष 2007-08 में दो अंकों में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो गत वर्ष में दर्ज की गई 11.1 प्रतिशत की तुलना में है। सेवा क्षेत्र के भीतर, दो उप क्षेत्रों अर्थात व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार और सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाओं में गत वर्ष की क्रमश: 11.8 प्रतिशत तथा 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 2007-08 में क्रमश: 12 प्रतिशत तथा 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।

बुनियादी क्षेत्र

छह बुनियादी तथा मूल उद्योगों अर्थात अपरिष्कृत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम शोधन उत्पाद, कोयला, बिजली, सीमेंट तथा तैयार इस्पात ने 2007-08 के दौरान 5.6 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की, जबकि गत वर्ष के दौरान यह वृद्धि 9.2 प्रतिशत थी। सभी क्षेत्रों में से क्रूड ऑयल आउटपुट में 2007-08 के दौरान वृद्धि में 0.4 प्रतिशत के स्तर पर सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई। जबकि गत वर्ष के दौरान यह वृद्धि 5.6 प्रतिशत थी। पेट्रोलियम शोधन उत्पादन 2006-07 के दौरान 12.9 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान 6.5 प्रतिशत बढ़ा। कोयले का उत्पादन 2006-07 के दौरान 5.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2007-08 के दौरान 6 प्रतिशत बढ़ा । बिजली के उत्पादन में 2006-07 के दौरान 7.3 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान 6.3 प्रतिशत का सुधार हुआ । सीमेंट का उत्पादन 2006-07 के दौरान 9.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2007-08 के दौरान 8.1 प्रतिशत बढ़ा। तैयार इस्पात के उत्पादन में 2006-07 के दौरान 13.1 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

एक्जिम बैंक द्वारा अंगोला सरकार को प्रदत्त 40 मिलियन यू एस डॉलर की एक ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत राइट्स लि. नई दिल्ली द्वारा एम्प्रेसा डि कैमिनो डि फेटो डि मोकेमडिस को प्रदत्त लोकोमोटिव तथा डिब्बे परिचालन अवस्था में ।

मुद्रास्फीति

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित, तथा बिंदु-दर-बिंदु आधार पर परिकलित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 29 मार्च 2008 को 7.4 प्रतिशत के स्तर पर रही, जबकि एक वर्ष पूर्व यह 5.9 प्रतिशत थी । मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन समूह तथा कुछ विनिर्मित उत्पाद मदों की कीमतों में वृद्धि था।

पूंजी बाजार

2007-08 में भारत में पोर्टफोलियो निवेश 29.4 बिलियन यू एस डॉलर रहा जिसमें 2006-07 के दौरान 7 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है। इसका कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ आइ आइ) द्वारा निवल निवेश में 2006-07 के दौरान 3.2 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2007-08 में 20.3 बिलियन यू एस डॉलर की भारी वृद्धि हो सकती है। यह कुल निवल पोर्टफोलियो निवेश के 69 प्रतिशत से अधिक रहा ।

विदेशी व्यापार तथा भुगतान संतुलन

भारत के विदेशी व्यापार ने 2007-08 में अपनी वृद्धि की गति जारी रखी। 2007-08 के दौरान निर्यात 155.5 बिलियन यू एस डॉलर तथा आयात 235.9 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर पहुँच गया जिनमें गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 23 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समग्र रूप में व्यापार घाटा गत वर्ष के 59.3 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2007-08 में 80.4 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। हालांकि हाल के वर्षों में निर्यात की महत्त्वपूर्ण उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को अनुप्रमाणित करती

है, आयात में वृद्धि मुख्यत: विनिर्माण क्षेत्र के कारण हो सकती है। जहाँ तक 2007-08 में भारत के निर्यात की पण्य संरचना का संबंध है यह कृषि तथा संबद्ध उत्पाद क्षेत्र में 42.4 प्रतिशत; पेट्रोलियम उत्पादों में 37 प्रतिशत; रत्न एवं आभूषण में 25.3 प्रतिशत; लौह अयस्क तथा खनिज में 21.5 प्रतिशत और इंजीनियरिंग माल में 20.8 प्रतिशत के स्तर पर अधिक तीव्र वृद्धि रही । तेल आयात 2007-08 के दौरान बढ़कर 77 बिलियन यू एस डॉलर हो गया जबकि गत वर्ष में यह 56.9 बिलियन यू एस डॉलर था। इस प्रकार इसमें 35.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी । 2007-08 के दौरान गैर-तेल आयात 158.9 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष में 128.8 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के आयात स्तर से 23.4 प्रतिशत अधिक था ।

भारत की सेवा मदों का निवल अंतर्वाह 2006-07 (अप्रैल-दिसंबर) में दर्ज किए गये 36.3 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2007-08 की अनुरूपी अवधि में 50.5 बिलियन यू एस डॉलर हो गया । इस अवधि में अदृश्य मदों के निवल अंतर्वाह में वृद्धि का श्रेय 61.3 बिलियन मूल्य के सेवा निर्यात तथा 27.9 बिलियन यू एस डॉलर के निवल अंतरण को दिया जा सकता है। सेवाओं का निर्यात 2007-08 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 27.5 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के स्तर पर सॉफ्टवेयर निर्यात में सतत वृद्धि और साथ ही व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में 12.1 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर वृद्धि के कारण जोरदार रहा । सेवाओं तथा अंतरणों से लाभ उठाते हुए और साथ ही आय घाटे के कम होने से चालू खाता घाटे को बढ़ते व्यापार घाटे के बावजूद अप्रैल -दिसंबर 2007-08 के दौरान 16.1 बिलियन यू एस डॉलर पर नियंत्रित रखा गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों के बढ़ते विश्वास को प्रतिबिंबित करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह 2007-08 में 29.9 बिलियन यू एस डॉलर रहा जिसमें से इक्विटी निवेश 84 प्रतिशत था। इसी प्रकार, भारतीय उद्योग के सतत वैश्वीकरण प्रयासों की पुष्टि करते हुए, भारत से कुल वास्तविक विदेशी निवेश 2007-08 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 10.1 बिलियन यू एस डॉलर रहा जिसमें से 90 प्रतिशत इक्विटी निवेश था ।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2007 के अंत में 199.2 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर मार्च 2008 के अंत मे 309.7 बिलियन यू एस डॉलर हो गया । भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का हिस्सा 96 प्रतिशत से अधिक रहा । भारत का विदेशी ऋण, जो मार्च 2007 के अंत में 169.6 बिलियन यू एस डॉलर था, दिसंबर 2007 के अंत में बढ़कर 201.4 बिलियन यू एस डॉलर हो गया । विदेशी ऋण स्टॉक में वृद्धि बाह्य वाणिज्यिक उधार (ई सी बी), अनिवासी भारतीय जमाराशियों, व्यापार घाटे तथा अल्पावधि ऋण के कारण हुई। अल्पावधि ऋण मार्च 2007 के अंत में कुल विदेशी ऋण के 15.5 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2007 के अंत में 17.5 प्रतिशत हो गया।

कोच्चि में 'लिंकिंग रूरल इंडिया टु ग्लोबल मार्केट - वैल्यू एडिशन थ्रू फेअर ट्रेड सर्टिफिकेशन' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया । समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. क्रिस्टी फर्नांडिज, सचिव, राष्ट्रपति, भारत सरकार ने बीज व्यक्तव्य दिया ।

चुनिंदा क्षेत्रों के लिए भावी संभावनाएं

वस्त्र एवं परिधान

भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग का देश में महत्त्वपूर्ण स्थान है और यह कुल औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात में महत्त्वपूर्ण योगदान करता है। वर्तमान में वस्त्र तथा परिधान उद्योग का कुल औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत, जी डी पी में 4 प्रतिशत और देश की कुल निर्यात आय में 11 प्रतिशत योगदान है। वस्त्र एवं परिधान उद्योग, कृषि के बाद अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है जिसमें 35 मिलियन से अधिक लोगों को सीधे रोजगार मिला है।

कोटा प्रतिबंधों के समाप्त हो जाने के बाद इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और खासकर

उन देशों जिनमें फाइबर आधार तथा प्रतिस्पर्धी विनिर्माण सुविधाएं हैं में बढ़त मिल रही है। 2006 में वस्त्र तथा परिधान उद्योग का विश्व पण्य निर्यातों में 4.5 प्रतिशत हिस्सा है और इसने कोटा प्रतिबंधों के समाप्त हो जाने के बाद 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।

2007-08 (अप्रैल-दिसंबर) में, भारत से वस्त्र तथा परिधान निर्यात 13 बिलियन यू एस डॉलर था। यह गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वृद्धि दर में मंदी का प्रमुख कारण अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में वृद्धि रही है। यूरोपीय संघ तथा यू एस ए भारतीय वस्त्र तथा परिधानों के लिए अग्रणी निर्यात केंद्र बने हुए हैं।

सरकार ने इस क्षेत्र को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई पहलें की हैं। उद्योग को भारतीय रुपये के मूल्य में हुई वृद्धि के विपरीत प्रभावों तथा प्रति यूनिट मूल्य में कमी और न्यून लाभप्रदता से निपटने के लिए कई प्रोत्साहन दिए गए हैं। जबकि यह प्रोत्साहन अनपेक्षित मुद्रा उतार चढ़ाव से निजात पाने के लिए हैं वहीं इस क्षेत्र को भविष्य में ऐसी समस्या से बचने के लिए दीर्घावधि रणनीतियाँ बनानी होंगी। केंद्रीय बजट 2008-09 में प्रस्तावित अनुसार प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्लस्टर अप्रोच इस क्षेत्र को और गतिशील बनाने में सहायक होगी।

औषध एवं औषधियां

भारतीय औषधि उद्योग उपचारात्मक उत्पादों की लगभग समूची श्रृंखला का विनिर्माण करता है और मूलभूत चरण से लेकर थोक औषधियों तक की एक व्यापक श्रृंखला विनिर्मित करने के लिए कच्चा माल तैयार करने में सक्षम है। यह उद्योग अपनी अंतर्निहित शक्तियों जैसे लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, अनुसंधान एवं विकास लागत सहित एक मज़बूत विनिर्माण आधार, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं से युक्त प्रयोगशालाओं के सुस्थापित नेटवर्क तथा रसायन एवं प्रक्रम विकास में सक्षमता के बल पर उन्नति कर रहा है।

वर्ष 2007 में औषधियों की वैश्विक बिक्री 695 बिलियन यू एस डॉलर अनुमानित है तथा वर्ष 2008 में इसके 5-6 प्रतिशत की दर से बढ़कर 735 बिलियन यू एस डॉलर का स्तर पार कर जाने का अनुमान है। वर्ष 2008 में वृद्धि के प्रमुख उपचार क्षेत्रों में चिकित्सा की घटती लागत, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के स्थान पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे चीन, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, भारत, तुर्की, तथा रूस में बढ़ते बाज़ार आदि के द्वारा संचालित होने का अनुमान है। इन उभरते बाजारों के 12-13 प्रतिशत की दर से बढ़ने तथा बाजार का आकार 85-90 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्य रूप से नई औषधियों तथा जेनरिक दवाइयों तक लोगों की वृद्धिशील पहुंच से संचालित होगी।

अप्रैल-दिसंबर 2007 की अवधि के दौरान दवाइयों, औषधियों तथा परिष्कृत रसायनों का भारत से निर्यात 5.1 बिलियन यू एस डॉलर रहा है। जो गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। भारतीय औषधि उद्योग संविदा अनुसंधान तथा नैदानिक परीक्षण व्यवसाय के फलने, फूलने तथा नई पेटेंट व्यवस्था के कारण महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसके साथ ही कंपनियाँ आर एंड डी व्यय तथा अपने पूंजीगत व्यय को भी पर्याप्त रूप से बढा रही हैं जो मुख्यत: संयंत्रों के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ यूनाइटेड स्टेट्स (यू एस-एफ डी ए) अनुमोदन प्राप्त करने की ओर उन्मुख है। भारतीय कंपनियां ड्रग मास्टर तथा एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करने की दृष्टि से भी अग्रिम पंक्ति में है। भारतीय औषधि कंपनियों ने निरंतर अपनी नवोन्मेषी खोजों तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है।

ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार सृजन में संलग्न 'ट्रस्ट फॉर विलेज सेल्फ गवर्नेंस' नामक एक गैर सरकारी संगठन की एक्ज़िम द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना के अंतर्गत कुथमबक्कम, तमिलनाडु में निर्यात हेतु हैमक बनाती हुई ग्रामीण महिलाएं।

ऑटो-पुरज़ा

भारतीय ऑटो पुरज़ा उद्योग एक तेज़ी से बढ़ते विनिर्माण क्षेत्र और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के रूप में उभरा है। मोटर पुरज़ा निर्माता संघ (ए सी एम ए) के अनुसार, भारतीय ऑटो पुरज़ा उद्योग ने वर्ष 2007-08 में 3.6 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के निर्यात सहित लगभग 18 बिलियन यू एस डॉलर की बिक्री आय दर्ज की है, उद्योग ने 2002-03 से लेकर 2007-08 की अवधि के दौरान 27 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) हासिल की है। अनुमान है कि 2025 तक भारत विश्व की पांच शीर्ष ऑटो पुरज़ा अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा ।

आज भारत के ऑटो पुरज़ा उद्योग के पास पुरज़ों की संपूर्ण शृंखला, जैसे इंजिन पुरज़े, ट्रान्समिशन पुरज़े, सस्पेंशन तथा ब्रेकिंग पुरज़े, इलेक्ट्रिकल पुरज़े और बॉडी तथा चैसिस पुरज़ों का निर्माण करने की क्षमता है। भारत के उन्नत इंजीनियरिंग कौशल, स्थापित उत्पादन लाइन, फलते-फूलते देशी मोटर उद्योग तथा प्रतिस्पर्धी कीमतों द्वारा उत्प्रेरित वैश्विक ऑटो कंपनियां भारत से सोर्स किए जाने वाले पुरज़ों का मूल्य तेजी से गिरा रही हैं। पुरज़ों के कुल उत्पादन में निर्यात का हिस्सा 1997-98 के 10 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 17 प्रतिशत हो गया है। भारतीय मोटर पुरज़ों का एक-तिहाई से अधिक निर्यात यूरोप को जाता है जबकि उत्तर अमेरिका दूसरे स्थान पर है।

भारतीय मोटर पुरज़ा उद्योग द्वारा निर्यात 2002-07 की अवधि के दौरान 40 प्रतिशत के सी ए जी आर के साथ जोरदार रहा है। मूल्य की दृष्टि से निर्यात 2002-03 के 760 मिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2007-08 में 3.6 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। मूल उपकरण निर्माता (ओ ई एम) तथा बाजार-पश्चात बिक्री के अनुपात की दृष्टि से निर्यात की संरचना में पिछले दशक से काफी परिवर्तन हुआ है। बाजार-पश्चात बिक्री की तुलना में ओ ई एम का अनुपात 1990 के 35:65 से परिवर्तित होकर 2006 में 75:25 हो गया है।

उद्योग अनुमानों के अनुसार 2006-2015 की अवधि के दौरान निर्यात के 24 प्रतिशत से अधिक के सी ए जी आर से बढ़ने की आशा है। विशेषकर पिछले तीन वर्षों में निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ ऑटो पुरज़ों के आयात में भी तीव्र वृद्धि हुई है। यह एक सकारात्मक रूझान है जो बढ़ती देशी मांग, क्षमता विस्तार तथा निवेश संभाव्यता में वृद्धि का सूचक है।

खाद्य प्रसंस्करण

तेजी से बढ़ती प्रति व्यक्ति आय तथा संगठित रिटेल बाजार में कार्पोरेट क्षेत्र की रुचि के साथ भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर है। इस प्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाले महत्त्वपूर्ण उप क्षेत्रों में अनाज प्रसंस्करण, फल तथा सब्जी प्रसंस्करण, मछली प्रसंस्करण, दुग्ध प्रसंस्करण, मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण, डिब्बा-बंद सुविधाजनक खाद्य, शराब तथा अन्य पेय पदार्थ आदि शामिल हैं।

अपनी वैविध्य कृषि वातावरणीय परिस्थितियों के कारण भारत के पास खाद्य फसलों, वाणिज्यिक फसलों, तथा बागबानी फसलों आदि के रूप में कच्चे माल का प्रचुर उत्पादन आधार है। वास्तव में इससे भारत को विभिन्न प्रकार की कृषि फसलों के सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में उभरने में मदद मिली है। भारत के पास प्रचुर खाद्य आपूर्ति होने के बावजूद भी यहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अभी प्रारंभिक अवस्था में ही है। उद्योग फलों तथा सब्जियों का केवल 2 प्रतिशत तथा दुग्ध उत्पादन का केवल 15 प्रतिशत

वेनेजुएला की एक क्षेत्रीय विकास वित्त संस्था कॉर्पोरेशियन एंडिना डि फोमेंटो (सी ए एफ) के कार्यकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एनरिक गार्शिया के नेतृत्त्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने मुंबई स्थित बैंक के मुख्यालय का दौरा किया । इसका उद्देश्य लैटिन अमेरिका में एंडियन क्षेत्र के साथ व्यवसाय तथा निवेश संबंधों को बढ़ाने हेतु संभावित क्षेत्रों की पहचान करना था ।

ही प्रसंस्कृत कर पाता है। इसके बावजूद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आकार की दृष्टि से देश में पांचवें स्थान पर है तथा यह सकल घरेलू उत्पाद में 6.3 प्रतिशत का योगदान करता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि तथा उद्योग जगत के बीच की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आकार 3 ट्रिलियन यू एस डॉलर अनुमानित है जो अधिकतर असंगठित क्षेत्र में है। कुल विनिर्माण उत्पादन में उद्योग का 14 प्रतिशत हिस्सा है और इसमें 1.6 मिलियन लोगों को रोज़गार मिला हुआ है।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ ई सी डी) तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (यू एन-एफ ए ओ) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए एग्रीकल्चर आउटलुक (2007-2016) के अनुसार कई विकासशील तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सशक्त मांग से विकासशील देशों में आयात विस्तार को बल मिलने की संभावना है जो विकासशील देशों में घरेलू उत्पादन क्षमताओं के विस्तार में सहायक होगा। परिणामस्वरूप कई ओ ई सी डी देशों के उत्पादन तथा निर्यात हिस्से के गैर ओ ई सी डी देशों में स्थानांतरित होने का अनुमान है।

रसायन

भारत के प्राचीनतम उद्योगों में से एक होने के कारण रसायन उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण संघटक है। भारतीय रसायन उद्योग का आकार 35 बिलियन यू एस डॉलर अनुमानित है जो जी डी पी के लगभग 3 प्रतिशत हिस्से के समतुल्य है। भारतीय रसायन उद्योग विश्व में बारहवां तथा एशिया में तीसरा स्थान रखता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए औद्योगिक उत्पादन इंडेक्स (आइ आइ पी) के अनुसार अप्रैल-फरवरी 2007-08 की अवधि के दौरान मूल रसायन तथा रसायन उत्पादों (पेट्रोलियम तथा कोल को छोड़कर) ने 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

भारतीय रसायन उद्योग, जिसमें अधिकांशत: बड़ी तथा एस एम ई इकाइयां हैं, वर्तमान में पुनर्गठन तथा समेकन के दौर से गुजर रहा है। गत दशक में भारतीय रसायन उद्योग ने वृद्धिशील निवेश तथा आर एंड डी गतिविधियों के माध्यम से मूल रसायन उत्पादक उद्योग की अपनी छवि से पृथक एक नवोन्मेषी उद्योग के रूप में अपनी पहचान बनाई है। विशिष्ट रसायन तथा परिष्कृत रसायन युक्त ज्ञान क्षेत्र में उद्योग महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्ज कर रहा है।

भारत की विकास प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रसायन उद्योग का निष्पादन तथा संभावना समग्र अर्थव्यवस्था के रूझानों तथा शेष विश्व के साथ भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश प्रवाह तथा प्रौद्योगिकी अंतरण जैसे क्षेत्रों में संबंधों पर निर्भर करेगी तथा उनसे ही निर्धारित होगी । घरेलू स्तर पर प्रशुल्कों में कमी के चलते भारतीय रसायन कंपनियां सुदृढ़ प्रणालियों तथा संगठित परिचालनों से भी लाभान्वित होंगी। प्रतिस्पर्धी बढ़तवाली कंपनियां अर्थात जिनके पास उच्च मूल्य वर्धित रसायनों के क्षेत्र में दक्षता है तथा वे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन करती हैं, घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं।

इंजीनियरी माल

भारतीय इंजीनियरी माल क्षेत्र, जो ऑटोमोबाइल, पूंजीगत माल / मशीनें एवं उपकरण, हल्के इंजीनियरी माल का उत्पादन करता है निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा अभिकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, 2007-08 की अवधि के दौरान कुछ क्षेत्रों यथा मूल धातुओं तथा मिश्र उद्योगों (12.2 प्रतिशत), परिवहन उपकरण को छोड़कर मशीनरी तथा उपकरण (9.3 प्रतिशत) के लिए तो सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। किंतु परिवहन उपकरण क्षेत्र में यह कम वृद्धि तथा धातु उत्पाद तथा पुरजा उद्योग क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

इंजीनियरी क्षेत्र का निष्पादन पिछले वर्षों में सकारात्मक रहा है तथा इंजीनियरी माल का निर्यात गत वर्ष की अनुरूपी अवधि में 20.8 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2007-08 के दौरान 23.1 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। बढ़ती विनिर्माण गतिविधियों तथा विभिन्न प्रकार के उत्पादों के उत्पादक के रूप में भारत की पहचान तथा भारतीय कंपनियों के बढ़ते आर्थिक कार्य-निष्पादन ने इस क्षेत्र में एक अनुकूल निवेश माहौल बनाया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स

आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्षेत्र में भारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से उत्पादन तथा निर्यातों में काफी वृद्धि हुई है। गत पांच वर्षों के दौरान, भारतीय रसायन उद्योग का उत्पादन लगभग 25 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 808 बिलियन रुपये तक पहुंच गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग द्वारा निर्यातों

में भी वृद्धि हुई है तथा यह गत वर्ष में 23 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए वर्ष 2006-07 में 2.8 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुंच गया है। अप्रैल-दिसंबर 2007 की अवधि के दौरान निर्यात 10 प्रतिशत की दर से बढ़कर 2.4 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक पुरजों तथा तैयार उपकरणों का एक बड़ा आयातक भी है।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का सबसे बड़ा खंड उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक है जिसने वर्ष 2007 में काफी तेज वृद्धि प्रदर्शित की है। इस खंड में विभिन्न उत्पाद जैसे डी वी डी, वी सी डी, एम पी 3 प्लेयर, टेली-वीजन, माइक्रोवेव ओवन आदि शामिल हैं। माइक्रोवेव ओवन क्षेत्र के 25-30 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। निर्यातों के मामले में भी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा क्षेत्र 53 प्रतिशत हिस्से के साथ पहले स्थान पर रहा है। इसके पश्चात औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स 30 प्रतिशत, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक 46 प्रतिशत, तथा टेलीकॉम उपकरण 30 प्रतिशत का स्थान रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खंड क्षेत्र में हुई वृद्धि का प्रमुख कारण टेलीकॉम क्षेत्र में बढ़ती मांग रही है क्योंकि भारत में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या प्रतिमाह 6 मिलियन की दर से बढ़ रही है। इस वृद्धि के अगले दशक में भी जारी रहने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007 इस मामले में भी महत्त्वपूर्ण रहा है क्योंकि विश्वव्यापी आइ टी खर्च 3 ट्रिलियन यू एस डॉलर पार कर गया है जिसके वर्ष 2008 के अंत तक 3.3 ट्रिलियन तक पार कर जाने का अनुमान है।

पेट्रोलियम उत्पाद

भारतीय पेट्रोलियम रिफाइनरी क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी उत्कृष्ट पहचान बना रहा है। गत पांच वर्षों में भारत से पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात 50 प्रतिशत की दर से बढ़े हैं। कुल निर्यातों में पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात का हिस्सा 2001-02 के 4.8 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 14.7 तथा अप्रैल-दिसंबर 2007 के दौरान 17.4 प्रतिशत तक हो गया है। परिणामत: पेट्रोलियम पदार्थ उत्पाद भारतीय निर्यातों की प्रमुख मदों में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। अप्रैल-दिसंबर 2007 की अवधि के दौरान पेट्रोलियम पदार्थ 37 प्रतिशत की दर से बढ़कर 19.7 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर पहुंच गए हैं।

विश्व ऊर्जा संभावना 2007 के अनुसार भारत की तेज आर्थिक वृद्धि के चलते ऊर्जा की मांग बढ़ेगी तथा वैश्विक ऊर्जा उपभोग में देश का हिस्सा बढ़ेगा । यह भी अनुमान है कि 2030 तक भारत में ऊर्जा की मांग 3.6 प्रतिशत की दर से बढ़कर दुगुनी हो जाएगी । इसमें से अधिकांश वृद्धि परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा की मांग से संचालित होगी क्योंकि बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप गाड़ियों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी का अनुमान है। 'विजन 2020' दस्तावेज़ में भी इस बात का अनुमान लगाया गया है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों को मांग में वृद्धि चालू परिवहन उद्योग से संचालित होगी । इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग तथा भारत सरकार द्वारा इसके बाजार को विनियमित तथा विनियंत्रित करने की नीतियों से इस क्षेत्र में कई अवसर उपलब्ध होंगे।

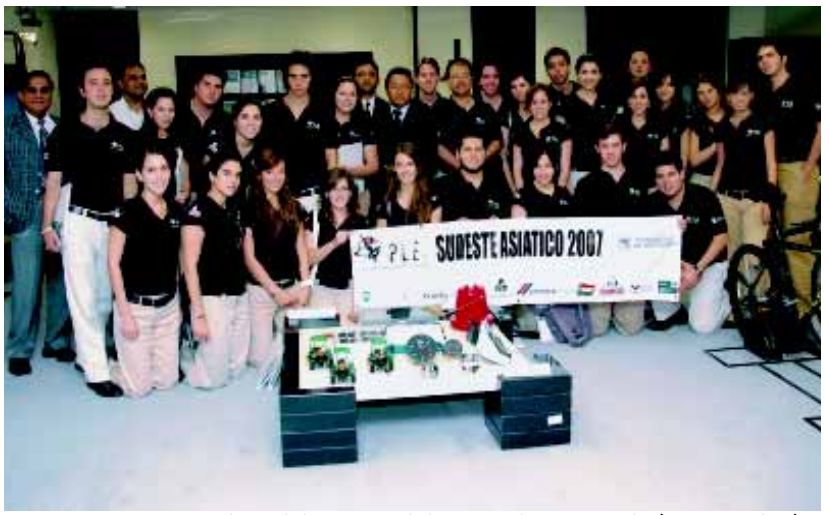

पी एल ई विश्वविद्यालय, मेक्सिको के प्रबंधन छात्रों के एक दल ने भारत में अपने शैक्षिक भ्रमण के दौरान एक्ज़िम बैंक का भी दौरा किया । एक्ज़िम बैंक भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए एजेंसियों / संस्थाओं के साथ संबंद्धताएं स्थापित करता है।

नीतिगत परिवेश

भारत के निर्यात को गति प्रदान करने के लिए विदेश व्यापार नीति 2004-2009 के वार्षिक अनुपूरक 2008 में कई नए कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना (ई पी सी जी स्कीम) के तहत आयात शुल्क में कमी, शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयों को आयकर अधिनियम की धारा 10 (बी) के अंतर्गत उपलब्ध आयकर छूट को एक और वर्ष के लिए बढ़ाना, रुपये के मूल्य में बढ़ोत्तरी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित क्षेत्रों को एक और वर्ष के लिए ब्याज राहत विस्तार; फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफ पी एस)

के अंतर्गत अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट प्रावधानों के जरिए प्रतिकूल रूप से प्रभावित खेल सामग्री का संवर्धन; विशेष कृषि तथा ग्राम उद्योग योजना (वी के जी यू वाइ) के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध ड्यूटी क्रेडिट के अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत ज्यादा डयूटी क्रेडिट प्रावधान के जरिए ताज़े फलों, सब्ज़ियों तथा पुष्पों आदि के निर्यात में आने वाली उच्च भाड़ा लागत को कम करना; आदि शामिल हैं। फ़ोकस मार्केट स्कीम का दायरा भी दस नए देशों को शामिल करते हुए विस्तारित किया जा रहा है। विगत कुछ वर्षों में व्यापार तथा वाणिज्य में हासिल उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2020 तक विश्व व्यापार में 5 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

बढ़ती मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए हैं। नकदी प्रारक्षित अनुपात (सी आर आर) वर्ष के दौरान कई चरणों में अप्रैल 2007 में 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर अप्रैल 2008 में 7.75 प्रतिशत किया गया तथा मई 2008 में इसे पुन: बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत कर दिया गया।

विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों को भारतीय कंपनियों के पूर्ण स्वामित्व की विदेशी सहायक कंपनियों की अनुषंगियों को विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों तथा कुछ अतिरिक्त जोखिम सावधानियों के साथ ऋण तथा गैर ऋण सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दे दी। भारत में वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण की प्रक्रिया को क्रमश: आगे बढ़ाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों तथा प्राथमिक डीलरों को सिंगल एंटिटी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स (सी डी एस) संव्यवहारों के लिए भी अनुमति प्रदान की ।

बाह्य क्षेत्र में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता पर गठित समिति की अनुसंशाओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान विनियामक व्यवस्था में चालू खाता तथा पूंजी खाता संव्यवहारों के क्षेत्र में विसंगतियों की पहचान करने तथा सुधार हेतु उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्यदल की कुछ अनुसंशाओं को स्वीकार किया गया। तदनुसार भारतीय कंपनियों को ढांचागत परियोजनाओं के निष्पादन हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क को प्राथमिक डीलरों के माध्यम से विप्रेषित करने के लिए पूर्व में निर्धारित एक मिलियन यू एस डॉलर की सीमा को बढ़ाकर 10 मिलियन यू एस डॉलर तक कर दिया गया। साथ ही प्राथमिक डीलरों को कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन बी पी ओ कंपनियों द्वारा विदेशों में अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर स्थापित करने हेतु उपकरणों की लागत के भुगतान की राशि को विप्रेषित करने के अनुरोधों को भी मंजूर करने संबंधी अनुमति प्रदान की गई। प्राथमिक डीलरों को शिप मैनिंग / क्रू मैनेजिंग एजेंसियों, जो कि भारत से बाहर निगमित शिपिंग कंपनियों को सेवाएं प्रदान करती हैं, के भी विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति प्रदान की गई।

भारतीय कंपनियों को विदेशों में निवेश के लिए सहायता प्रदान करने हेतु किसी भारतीय कंपनी द्वारा उसके समग्र विदेशी निवेश की सीमा अर्थात उसके सभी संयुक्त उद्यमों एवं / अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली कंपनियों के लिए, स्वत: रूट के जरिए सितंबर 2007 में 300 प्रतिशत से बढ़ाकर 400 प्रतिशत की गयी; तथा जून 2008 में इसे ऊर्जा तथा प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों जैसे तेल, गैस कोयला तथा खनिज अयस्कों के क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से 400 प्रतिशत से अधिक कर दिया गया। म्युच्युअल फंडों द्वारा विदेशों में निवेश की कुल उच्चतम सीमा सितंबर 2007 में 4 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़ाकर 5 बिलियन यू एस डॉलर तथा अप्रैल 2008 में इसे पुन: बढ़ाकर 7 बिलियन यू एस डॉलर कर दिया गया।

सीमा शुल्क के संबंध में वर्ष 2008-09 के केंद्रीय बजट में गैर कृषि उत्पादों के लिए 10 प्रतिशत की उच्च दर को अपरिवर्तित रखा गया है साथ ही फॉस्फोरिक एसिड तथा परियोजना आयातों के लिए इसे 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। विटामिन पूर्व मिश्रणों तथा खनिज मिश्रणों पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत तथा जीवन रक्षक औषधियों और इनके विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली थोक औषधियों पर आयात शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया। स्टील मेल्टिंग स्क्रैप तथा एल्यूमिनियम स्क्रैप, पर आयात शुल्क वापस ले लिया गया। किंतु क्रोम पर निर्यात शुल्क 2,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया जिसका उद्देश्य मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए इसको संरक्षित तथा उपलब्ध कराना है।

भारत द्रुतगामी प्रगति

(2007-08 के दौरान प्रमुख नीतिगत परिवर्तन)

ऋण नीति

- नकदी प्रारक्षित अनुपात (सी आर आर) वर्ष के दौरान कई चरणों में अप्रैल 2007 में 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर अप्रैल 2008 में 7.75 प्रतिशत तथा मई 2008 में इसे पुन: बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत कर दिया गया।
- रेपो दर को 25 आधार बिंदु बढ़ाकर मार्च 2007 के 7.75 प्रतिशत से बढ़ाकर जून 2008 में 8.0 प्रतिशत कर दिया गया।

व्यापार नीति

- इस्पात द्रवण स्क्रैप तथा ऐल्युमिनियम स्क्रैप सहित कई मदों पर से सीमा-शुल्क हटाया गया।
- निर्दिष्ट मशीनरी, कुछ विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक दवाइयों, विटामिन पूर्व-मिश्रण तथा खनिज मिश्रण, अपरिष्कृत मूंगा, कच्चा तेल तथा अपरिष्कृत सल्फर और फॉस्फोरिक ऐसिड सहित कई मदों पर सीमा-शुल्क की दरें कम की गयीं।

निवेश नीति

- सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ आइ आइ) के लिए निवेश सीमा 2.6 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़ाकर जनवरी 2008 में 3.2 बिलियन यू एस डॉलर की गयी। इसे जून 2008 में पुन: बढ़ाकर 5 बिलियन यू एस डॉलर कर दिया गया।
- अप्रैल 2008 में पण्य एक्सचेंजों तथा ऋण सूचना कंपनियों में कतिपय शर्तों तथा अधिकतम 49 प्रतिशत की संयुक्त सीमा के अध्यधीन विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई।

समुद्रपारीय निवेश नीति

- भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों में निवेश सीमा सितंबर 2007 में 300 प्रतिशत से बढ़ाकर उनकी निवल संपत्ति का 400 प्रतिशत कर दी गयी तथा जून 2008 में ऊर्जा तथा प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों में निवेश सीमा 400 प्रतिशत से अधिक कर दी गई।
- म्युच्युअल फंडों द्वारा विदेशों में निवेश की कुल उच्चतम सीमा सितंबर 2007 में 4 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़ाकर 5 बिलियन यू एस डॉलर तथा अप्रैल 2008 में इसे पुन: बढ़ाकर 7 बिलियन यू एस डॉलर कर दिया गया।
- बुनियादी क्षेत्र में उधारकर्ताओं को अंतिम उपभोग हेतु अनुमन्य रुपया मूल्य में खर्च के लिए 100 मिलियन यू एस डॉलर तक की बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ई सी बी), तथा अन्य उधारकर्ताओं के लिए रुपया व्यय हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ई सी बी) की सीमा को अगस्त 2007 में 20 मिलियन यू एस डॉलर तथा पुन: मई 2008 में इसे बढ़ाकर 50 मिलियन यू एस डॉलर कर दिया गया।

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लेखों के साथ, इस बैंक द्वारा निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है ।

परिचालनों की समीक्षा

2007-08 (अप्रैल-मार्च) के दौरान, बैंक ने अपने विभिन्न उधारदात्री कार्यक्रमों के अंतर्गत 328.05 बिलियन रुपये की राशि मंजूर की है जो 2006-07 (अप्रैल-मार्च) में मंजूर की गई 267.62 बिलियन रुपये की राशि के मुकाबले 23 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है । वर्ष के दौरान संवितरण 2006-07 के 220.76 बिलियन रुपये की तुलना में 271.59 बिलियन रुपये के थे, इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इसमें 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। यथा 31 मार्च 2008 को ऋण-आस्तियाँ 291.52 बिलियन रुपये थीं। वर्ष के दौरान बैंक ने 2006-07 के 49.98 बिलियन रुपये की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान कुल 21.99 बिलियन रुपये की गारंटियाँ मंजूर कीं। 2006-07 में जारी की गई 16.97 बिलियन रुपये की गारंटियों की तुलना में 2007-08 में 20.39 बिलियन रुपये की गारंटियाँ जारी की गयीं । 31 मार्च 2008 को बैंक की बहियों में बकाया गारंटियाँ 31 मार्च 2007 के 35.36 बिलियन रुपये की तुलना में 34.56 बिलियन रुपये की थीं। यथा 31 मार्च 2008 को कुल ऋण आस्तियों में रुपया ऋणों तथा अग्रिमों का 56 प्रतिशत हिस्सा रहा जबकि शेष 44 प्रतिशत विदेशी मुद्रा के ऋण थे। यथा 31 मार्च 2008 को कुल ऋणों तथा अग्रिमों में अल्पावधि-ऋण का हिस्सा 26 प्रतिशत था ।

बैंक ने वर्ष 2006-07 के लिए 3.91 बिलियन रुपये के लाभ की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान सामान्य निधि लेखे में 5.33 बिलियन रुपये का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है । 2 बिलियन रुपये का आय कर का प्रावधान करने के बाद 2007-08 के दौरान कर पश्चात लाभ की राशि 3.33 बिलियन रुपये रही जबकि 2006-07 में यह 2.99 बिलियन रुपये थी । इस लाभ में से 1.72 बिलियन रुपये की राशि आरक्षित निधि में अंतरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त बैंक ने निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि लेखे में 100 मिलियन रुपये, ऋण शोधन निधि में 100 मिलियन रुपये तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में 400 मिलियन रुपये अंतरित किये हैं। शेष 1.01 बिलियन रुपये की राशि एक्विज़म बैंक अधिनियम में दिए गए अनुसार भारत सरकार को अंतरित की जाएगी ।

वर्ष 2007-08 के दौरान निर्यात विकास निधि का कर पूर्व लाभ 28.92 मिलियन रुपये है जबकि 2006-07 में यह 23.61 मिलियन रुपये था । 9.83 मिलियन रुपये का कर प्रावधान करने के बाद कर पश्चात लाभ की राशि 19.09 मिलियन रुपये होती है जबकि वर्ष 2006-07 के दौरान यह राशि 15.66 मिलियन रुपये थी । 19.09 मिलियन रुपये का लाभ अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया गया है ।

व्यवसाय परिचालन

बैंक के व्यवसाय परिचालनों की समीक्षा निम्नलिखित शीर्षों के अधीन प्रस्तुत की गई है :

I. परियोजना, उत्पाद और सेवा निर्यात
II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन
III. संयुक्त उद्यम
IV. नई पहलें
V. वित्तीय निष्पादन
VI. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ
VII. संस्थागत संबंध
VIII. सूचना प्रौद्योगिकी
IX. शोध एवं विश्लेषण
X. मानव संसाधन प्रबंधन
XI. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति
XII. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व ।

पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में डकार, सेनेगल में बैंक के कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर बैंक के अधिकारियों से बातचीत करते हुए सेनेगल के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्दुल्ला वाडे। डकार कार्यालय को सेनेगल में स्थित वित्तीय संस्थाओं के समतुल्य 'अकॉर्ड दि सीज' का दर्जा दिया गया है।

I. परियोजना, उत्पाद और सेवा निर्यात

निर्यात संविदाएं

परियोजना निर्यात संवर्धन के लिए एक्ज़िम बैंक एक समन्वयक तथा सहायक की भूमिका निभाने के साथ-साथ परियोजना निर्यातों पर कार्यकारी दल[1] के लिए केंद्र बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। वर्ष 2007-08 के दौरान एक्ज़िम बैंक की सहायता से 147 भारतीय निर्यातकों द्वारा 92 देशों में कुल 326.83 बिलियन रुपये की 977 निर्यात संविदाएं प्राप्त की गईं ।

वर्ष के दौरान एक्ज़िम बैंक की सहायता से प्राप्त की गयी संविदाओं में 155.43 बिलियन रुपये मूल्य की 98 टर्नकी संविदाएं, 105.31 बिलियन रुपये मूल्य की 32 निर्माण संविदाएं, 51.86 बिलियन रुपये मूल्य की 784 आपूर्ति संविदाएं; 8.52 बिलियन रुपये मूल्य की 10 तकनीकी परामर्शी तथा सेवा संविदाएं शामिल थीं। इसके अतिरिक्त ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत 5.71 बिलियन रुपये मूल्य की अन्य सविदाएं भी प्राप्त की गईं।

वर्ष के दौरान प्राप्त कुछ प्रमुख टर्नकी संविदाओं में कतर में विद्युत संप्रेषण प्रणाली के विस्तार के लिए 66 के वी के उपस्टेशन की डिज़ाइन, इंजीनियरी तथा आपूर्ति; लीबिया में 2X157 मेगावाट की गैस टरबाइन आधारित विद्युत परियोजना का विस्तार; कतर में एक आवासीय परियोजना के लिए मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तथा प्लंबिंग कार्य की आपूर्ति, संस्थापन तथा परीक्षण संबंधी कार्य; ईराक में 4X126 मेगावाट की गैस टर्बाइन विद्युत परियोजना की आपूर्ति तथा संस्थापना संबंधी कार्य आदि शामिल हैं।

निर्माण संविदाओं में शामिल हैं - मलेशिया में दुहरी लाइन के इलेक्ट्रिकल ट्रैक की डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य; यू ए ई में 295 आवासीय

बैंक के प्रमुख कार्यक्रम

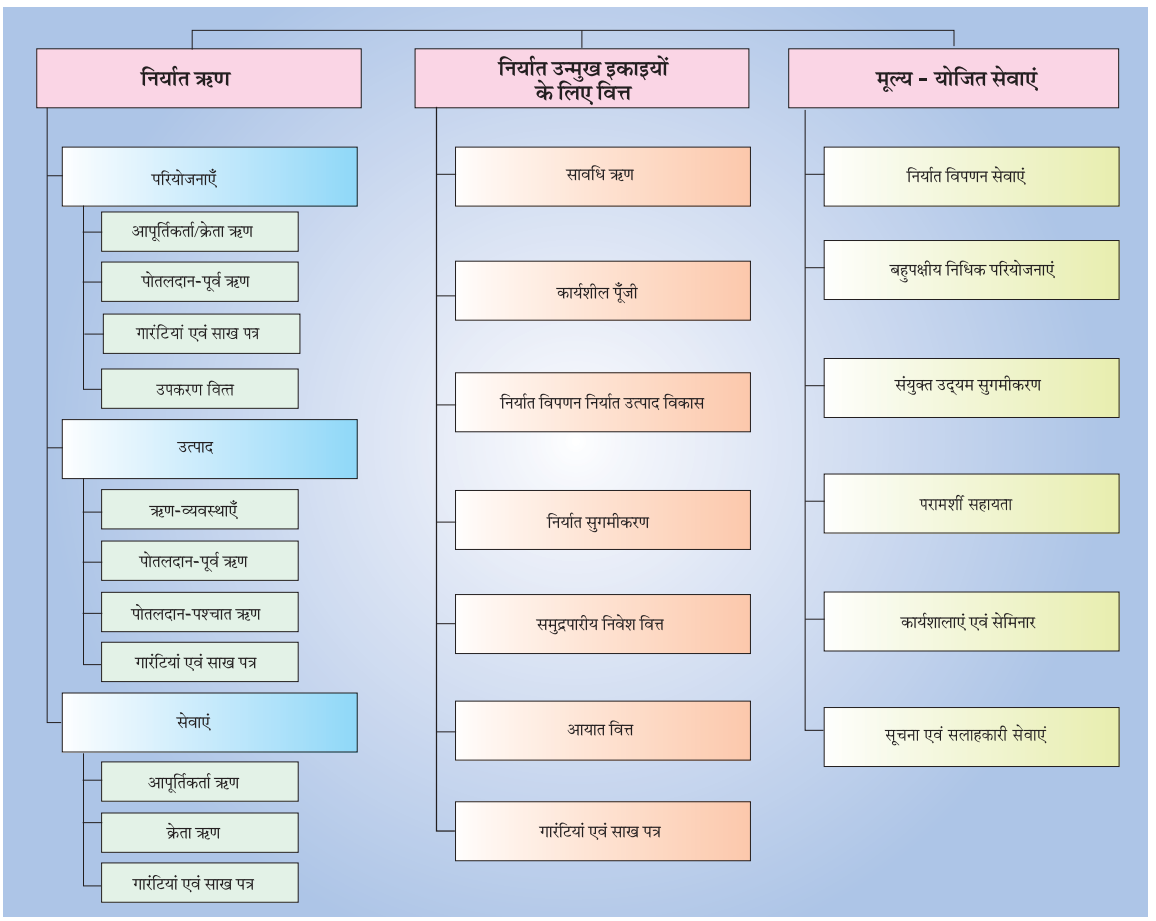

[1] कार्यकारी दल एक अंतर-संस्थागत व्यवस्था है जिसमें एक्ज़िम बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम लि., भारत सरकार तथा वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं । यह एक्ज़िम बैंक के तत्वावधान में कार्य करता है ।

मकानों का निर्माण; नवीन दोहा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए ईंधन आपूर्ति प्रणाली का निर्माण; कतर में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रो मेकेनिकल तथा सिविल कार्य तथा संस्थापना में सहायता।

वर्ष के दौरान प्राप्त आपूर्ति संविदाओं में चीन, यू एस ए, यू ए ई, सिंगापोर तथा यू के जैसे देशों को खनिजों, टायरों, औषधि एवं वस्त्रों का निर्यात आदि शामिल है। साथ ही भारतीय कंपनियों ने तुर्की, हांगकांग,स्विट्ज़रलैंड तथा ब्राजील जैसे देशों में रसायन तथा धातुओं के निर्यात संबंधी संविदाएं भी हासिल की हैं।

तकनीकी परामर्शी सेवा संविदाओं में ईरान में एक कंपनी के लिए एक रिग का चार्टर तथा अन्य परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं शामिल हैं।

निर्यात ऋण तथा गारंटियां

वर्ष के दौरान बैंक ने आपूर्तिकर्ता ऋण, क्रेता ऋण और परियोजना निर्यात के लिए वित्त के जरिए कुल 104.56 बिलियन रुपये की राशि मंजूर की जबकि पिछले वर्ष में ये मंजूरियाँ 110.19 बिलियन रुपये की थीं। वर्ष के दौरान किए गए संवितरणों की राशि गत वर्ष के 93.89 बिलियन रुपये की तुलना में 112.72 बिलियन रुपये थी, इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

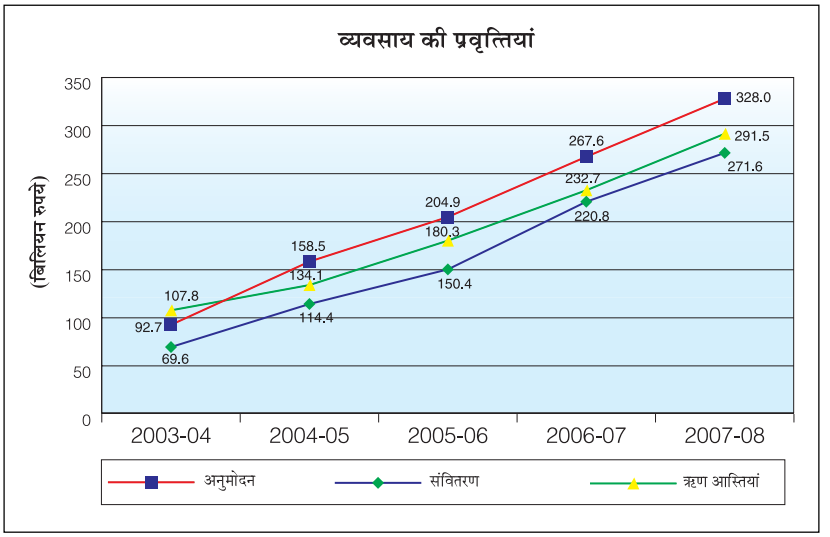

वर्ष के दौरान अनुमोदित तथा जारी की गई गारंटियों की राशि गत वर्ष के क्रमश: 49.98 बिलियन रुपये तथा 16.97 बिलियन रुपये की तुलना में क्रमश: 21.99 बिलियन रुपये तथा 20.39 बिलियन रुपये थीं । ये गारंटियां बिजली उत्पादन, पारेषण तथा वितरण, आधारभूत संरचना विकास और निर्यात दायित्व गारंटियों जैसे क्षेत्रों में समुद्रपारीय परियोजनाओं से संबंधित थीं ।

ए बी जी शिपयार्ड लि., सूरत निजी क्षेत्र में भारत की प्रमुख शिप निर्माण कंपनी है जिसे निर्यात व्यापार हेतु एक्ज़िम बैंक ने दीर्घावधि ऋण तथा गारंटी सुविधाएं प्रदान की हैं।

क्रेता ऋण

क्रेता ऋण एक्ज़िम बैंक का एक विशिष्ट कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत बैंक भारतीय निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी क्रेताओं को भारत से उनके आयातों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए ऋण देता है। क्रेता-ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातकों को पात्र मूल्य का भुगतान उनकी बिना किसी जिम्मेदारी के करता है। क्रेता-ऋण भारतीय निर्यातकों, विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक सुरक्षित तथा अवलंब रहित वित्तपोषण माध्यम उपलब्ध कराता है और उन्हें विदेशी बाजारों में अपनी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

वर्ष 2007-08 के दौरान क्रेता-ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक द्वारा 15 विदेशी कंपनियों को 5.95 बिलियन रुपये की ऋण सुविधाएं प्रदान की गईं। जिसके अंतर्गत कुल 5.28 बिलियन रुपये के संवितरण किए गए जिनमें ब्राज़ील, इटली, सिंगापोर,

दक्षिण अफ्रीका, श्री लंका, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निर्यात शामिल हैं। क्रेता-ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यात किए गए सामानों में परिवहन, वाहन एवं ऑटो स्पेअर पार्ट्स, फल तथा सब्ज़ियाँ, सादे तथा जड़ाऊ आभूषण, इस्पात तथा इस्पात उत्पाद, अगरबत्ती, सीमेंट क्लिंकर, पेट्रो रसायन उत्पाद, औषधियाँ एवं तैयार वस्त्र आदि शामिल हैं। क्रेता ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत जोखिम रहित भुगतान प्राप्त करने वाले लाभकर्ताओं में लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के कई निर्यातक शामिल हैं।

ऋण-व्यवस्थाएं

बैंक ने ऋण-व्यवस्थाओं के विस्तार पर विशेष बल दिया है क्योंकि यह लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए प्रभावी बाज़ार प्रवेश तंत्र के रूप में सहायक है। एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य समुद्रपारीय सत्ताओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है ताकि इन देशों के क्रेता आस्थगित भुगतान शर्तों पर भारत से माल तथा सेवाओं का आयात कर सकें। भारतीय निर्यातक पोतलदान दस्तावेज़ों के परक्रामण पर एक्ज़िम बैंक से दायित्व रहित आधार पर पात्र मूल्य का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ऋण-व्यवस्था एक ऐसी वित्तपोषण व्यवस्था है जो भारतीय निर्यातकों, विशेषकर लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को, वित्तपोषण के विकल्पों का सहारा लेने का एक सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराती है; और प्रभावी बाज़ार प्रवेश माध्यम के रूप में कार्य करती है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परिवेश में होने के कारण एक्ज़िम बैंक अपने ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के अधीन इसकी भौगोलिक पहुँच तथा मात्रा में तत्परतापूर्वक विस्तार करना चाहता है।

समुद्रपारीय सत्ताओं को अपनी स्वयं की ऋण-व्यवस्थाओं के अलावा, एक्ज़िम बैंक वर्ष 2003-04 से भारत सरकार के निर्देश पर तथा की सहायता से विकासशील विश्व में चुनिंदा देशों को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात को सहायता देने के लिए कुल 704.10 मिलियन यू एस डॉलर की सत्रह ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं। एक्ज़िम बैंक द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाओं में अफ्रीकी एक्ज़िम बैंक, अफ्रीका; नाइजीरियाई एक्ज़िम बैंक, नाइजीरिया; पी टी ए बैंक, अफ्रीका; म्यांमा फॉरेन ट्रेड बैंक, म्यांमार; कंबोडिया, दजिबाउटी, इथियोपिया, गैबन, माली, नेपाल, सेनेगल, श्री लंका, सूडान, सूरीनाम तथा वियतनाम सरकार को ऋण-व्यवस्थाएं शामिल हैं। यह ऋण-व्यवस्थाएं बिजली पारेषण और संवितरण परियोजनाओं, विद्युतीकरण परियोजनाओं, सीमेंट संयंत्र परियोजना, आइ टी ट्रेनिंग परियोजनाओं, सड़क परियोजनाओं, वाटर पंप की आपूर्ति, जल आपूर्ति परियोजना, आवास परियोजना, लघु उद्योग परियोजनाओं, चारा उत्पादन एवं विकास तथा चीनी उद्योग के विकास, आदि क्षेत्रों में वित्तपोषण प्रदान करेंगी और निर्यात को बढ़ावा देंगी। विद्यमान में कुल 2.96 बिलियन यू एस डॉलर की ऋण वचनबद्धताओं के साथ अफ्रीका, एशिया, सी आइ एस, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका में 89 देशों को शामिल करते हुए 89 ऋण-व्यवस्थाएं उपभोग के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कई ऋण-व्यवस्थाएं बातचीत के विभिन्न चरणों में हैं।

कंबोडिया सरकार को जल आपूर्ति तथा उर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 35.20 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। तत्संबंधी करार पर नई दिल्ली में भारत के प्रधान मंत्री डॉ. मन मोहन सिंह तथा कंबोडिया के प्रधान मंत्री श्री हुन सेन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन

बैंक भारतीय कंपनियों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तपोषण कार्यक्रमों की एक शृंखला परिचालित करता है। 2007-08 के दौरान एक्ज़िम बैंक ने निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 195.42 बिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये । इन कार्यक्रमों के अंतर्गत संवितरण 142.63 बिलियन रुपये के थे ।

निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण

वर्ष के दौरान, बैंक ने 62 निर्यात उन्मुख इकाइयों को 27.47 बिलियन रुपये के सावधि ऋण मंजूर किये हैं । संवितरणों की राशि 13.81 बिलियन रुपये है । उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अधीन 20 निर्यातक कंपनियों को उत्पादन उपकरणों की प्राप्ति के वित्तपोषण के लिए 8.19 बिलियन रुपये मंजूर किये गये। इस कार्यक्रम के अधीन संवितरणों की राशि 3.11 बिलियन रुपये है ।31 कंपनियों को कुल मिलाकर 26.67 बिलियन रुपये के कार्यशील पूँजी ऋण मंजूर किये गये हैं। संवितरणों की राशि 25.19 बिलियन रुपये है ।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)

कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, एक्ज़िम बैंक को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को स्थापित करने एवं पात्रता हेतु अनुमोदन प्रदान करने सहित अनुमोदित परियोजनाओं को सीधे सहायता राशि प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। यथा 31 मार्च, 2008 को बैंक ने 148 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है, जिनकी कुल लागत 94.55 बिलियन रुपये है। अनुमोदित और संवितरित ऋणों की समग्र राशि क्रमश: 27.80 बिलियन रुपये तथा 18.66 बिलियन रुपये है। कपड़ा उद्योग को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता वस्त्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों तथा भारत के कई राज्यों में फैली हुई है।

विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम

भारतीय बाह्य निवेश को सहायता प्रदान करने के लिए ईक्विटी वित्त, ऋण, गारंटियां और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से बैंक के पास एक विस्तृत कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष के दौरान 41 कंपनियों को 20 देशों में उनके समुद्रपारीय निवेश के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल 50.29 बिलियन रुपये की निधिक तथा गैर-निधिक सहायता मंजूर की गई। एक्ज़िम बैंक ने अब तक ऑस्ट्रिया, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, इंडोनेशिया, इटली, मलेशिया, मॉरिशस, मोरक्को, नीदरलैंड्स, रोमानिया, स्पेन, शारजाह, सिंगापोर, श्री लंका तथा यू एस ए सहित 61 देशों में 180 से अधिक कंपनियों द्वारा स्थापित 223 उद्यमों को वित्त प्रदान किया है। विदेशी निवेश के लिए प्रदान की गई कुल राशि 99.91 बिलियन रुपये की है जिसमें विभिन्न क्षेत्र यथा फार्मास्यिूटिकल्स, घर सज्जा, तैयार वस्त्र, रसायन तथा रंजक, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी सामान, प्राकृतिक संसाधन (कोयला तथा वन), धातु तथा धातु प्रसंस्करण और कृषि तथा कृषि आधारित उत्पाद आदि शामिल हैं। वर्ष के दौरान एक्ज़िम बैंक द्वारा सहायता प्राप्त समुद्रपारीय निवेश परियोजनाओं में : मोटर वाहन पुरजों के विनिर्माण में संलग्न एक जर्मन फाउंड्री तथा ओ ई आपूर्तिकर्ता; इंडोनेशिया में कोयला खान अधिकारों का अधिग्रहण; यू एस ए तथा यू के में औषधि कंपनियों का अधिग्रहण; एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिनियम उत्पादों के विनिर्माण में संलग्न एक कनाडाई कंपनी का अर्जन; यू एस ए में एनोड ग्रेड तथा टाइटेनियम ऑक्साइड ग्रेड कैल्सीकृत पेट्रोलियम कोक का विनिर्माण करने वाली कंपनी का अर्जन जिसका विश्व बाजार में क्रमश: 17 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत हिस्सा है। साइमन द्वीप में स्थित एक कंपनी का अर्जन जिसके परिचालन यू के में भी हैं तथा जिसके पास काफी गहरे वाटर ड्रिलिंग रिग्स हैं; यू एस ए में ग्रीन फील्ड वेल्डेड पाडप विनिर्माण सुविधा का अर्जन; ब्रिटिश वार्जिन द्वीप में होटेल तथा रिसॉर्ट्स की एक अंतरराष्ट्रीय शृंखला का अधिग्रहण, इज़राइल में सिंचाई उपकरणों के विनिर्माण व्यवसाय में संलग्न एक कंपनी का अर्जन आदि शामिल हैं।

आयात के लिए वित्त

थोक आयात वित्त

थोक आयात वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर तथा संवितरित की गई राशि क्रमश: 8.11 बिलियन रुपये तथा 9.40 बिलियन रुपये रही है।

आयात वित्त कार्यक्रम

आयात वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनियों को मंजूर आवधिक ऋण 8.15 बिलियन रुपये तथा संवितरण 4.78 बिलियन रुपये के थे।

ऋण निगरानी समूह

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सुस्थापित ऋण निगरानी तथा वसूली नीति के साथ बैंक में एक ऋण वसूली निगरानी समूह कार्यरत है जो ऋणों की वसूली, अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन तथा मानक आस्तियों को अवमानक आस्तियों की श्रेणी में जाने से रोकता है। ऋण खातों के ए बी सी वर्गीकरण की एक प्रणाली मौजूद है। प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की प्रणाली के आधार पर अनर्जक आस्तियों तथा कमज़ोर (स्ट्रेस) आस्तियों की मासिक समीक्षा अलग से गठित एक समिति द्वारा की जाती है। एकबारीय निपटान (ओ टी एस) प्रस्तावों की जाँच करने तथा इन्हे आस्ति पुनर्निमाण कंपनी को अंतरित करने के लिए एक

सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विधि तथा बैंकिंग के क्षेत्रों में गहन अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से युक्त एक स्वतंत्र जाँच समिति का गठन किया गया है। यह समिति निदेशक मंडल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है ।

III. संयुक्त उद्यम

बैंक के संयुक्त उद्यम, ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंट्स लि. (जी पी सी एल) ने लाभप्रद परिचालनों का एक और वर्ष पूरा कर लिया है। कंपनी ने 12.13 मिलियन रुपये के कर पूर्व लाभ के साथ 2007-08 में 33.37 मिलियन रुपये की परामर्शी आय दर्ज की है। जी पी सी एल, एक्ज़िम बैंक तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखनेवाली 12 प्रतिष्ठित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। जी पी सी एल विभिन्न विकासशील देशों में बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा निधिक परियोजनाओं के लिए प्रापण संबंधी सलाहकारी तथा लेखा-परीक्षा सेवाएं प्रदान करता है।

ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लि. (जी टी एफ), एक्ज़िम बैंक; एफ आइ एम बैंक, माल्टा; और बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंग्टन द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम है। जी टी एफ भारत में एक ही छत के नीचे घरेलू फैक्टरिंग, अंतरराष्ट्रीय फैक्टरिंग तथा फोरफेटिंग सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था है। अपने ग्राहकों को मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करते हुए जी टी एफ ने अंतरराष्ट्रीय फैक्टरिंग के क्षेत्र में स्वयं को अग्रणी संस्था के रूप में स्थापित किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने जी टी एफ में अपनी पूरी हिस्सेदारी भारतीय स्टेट बैंक को बेच दी। अत: वित्तीय वर्ष 2007-08 से जी टी एफ बैंक का संयुक्त उद्यम नहीं रहा ।

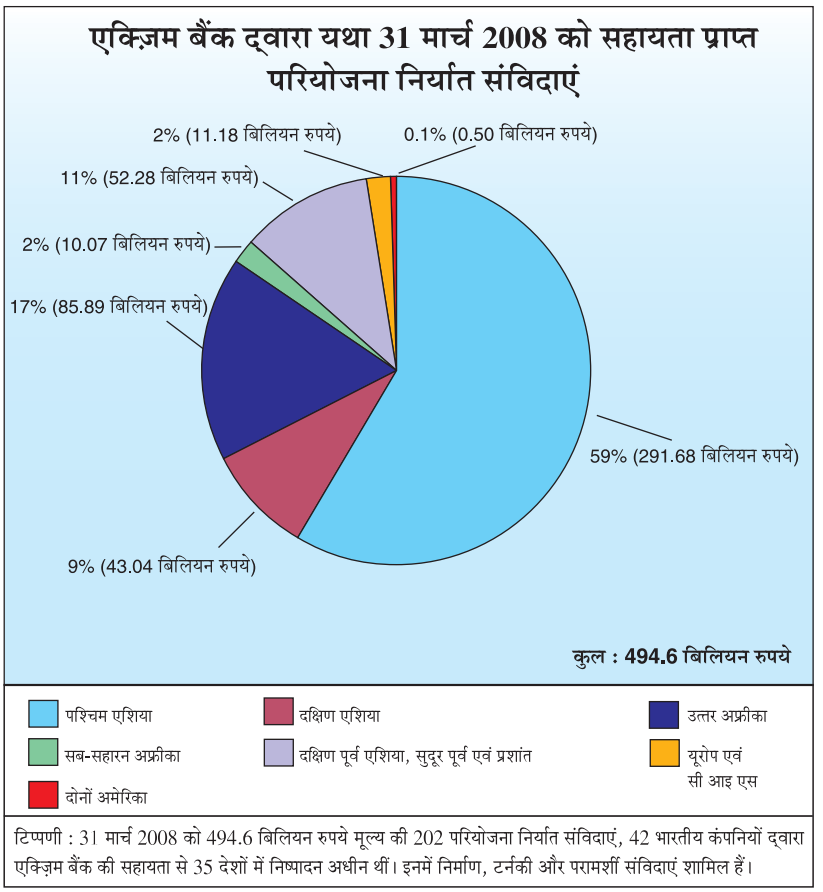

टिप्पणी : 31 मार्च 2008 को 494.6 बिलियन रुपये मूल्य की 202 परियोजना निर्यात संविदाएं, 42 भारतीय कंपनियों द्वारा एक्ज़िम बैंक की सहायता से 35 देशों में निष्पादन अधीन थीं। इनमें निर्माण, टर्नकी और परामर्शी संविदाएं शामिल हैं।

एल फोर्ज लि., चेन्नई ने बरमिंघम, यू के स्थित मध्यम आकार की एक ऑटो फोर्जिंग विनिर्माण कंपनी का अर्जन एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तपोषण के जरिए किया ।

IV. नई पहलें

पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र पर फ़ोकस

वर्ष के दौरान बैंक ने डकार, सेनेगल में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला। बैंक का डकार कार्यालय पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र तथा भारत के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण एवं उत्प्रेरकीय भूमिका निभाएगा। डकार कार्यालय को सेनेगल सरकार द्वारा 'एकॉर्ड दि सिएज' का दर्जा प्रदान किया गया है जो कि वहां स्थित बहुपक्षीय एजेंसियों के समतुल्य है।

ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्रोग्राम

एक्ज़िम बैंक ने ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स कार्यक्रम (जी टी एफ पी) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आइ एफ सी), वांशिग्टन के साथ दिसंबर 2007 में एक करार पर हस्ताक्षर किए । इस करार से एक्ज़िम बैंक मध्य एशिया, मध्य एवं यूरोप, लैटिन अमेरिका तथा कैरेबिया, मध्य पूर्व एवं उत्तर अफ्रीका सहित एशिया एवं अफ्रीका के कई अन्य क्षेत्रों, जो भारत के लिए आकर्षक निर्यात बाजार हैं, के लगभग चालीस विकासशील देशों में अनुमोदित बैंकों द्वारा जारी साख पत्र, गारंटी, तथा अन्य वाणिज्यिक लिखतों को पुष्टि प्रदान कर सकेगा। कुछ देशों में डाक्यूमेंटरी व्यवसाय के लिए किसी समुचित व्यवस्था के न होने के कारण उच्च जोखिमों की संभावना थी किंतु अब एक्ज़िम बैंक की 'पुष्टिकर्ता बैंक' के रूप में भूमिका से निर्यातक इन बाजारों में भी बिना भुगतान जोखिम के पहुंच सकेंगे।

ग्रामीण ग्रासरूट स्तर पर व्यावसायिक पहलें

ग्रामीण उद्योगों के वैश्वीकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए ग्रासरूट व्यवसाय पहल कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक के पास एक नवोन्मेषी सुविधा है। यह कार्यक्रम बैंक के अन्य सहायता कार्यक्रमों के आधार पर बनाया गया है जिसका उद्देश्य समाज के तुलनात्मक रूप से कमज़ोर वर्गों यथा देश के पारंपरिक हस्तशिल्पियों, कारीगारों और ग्रामीण उद्यमियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उनके लिए वृद्धिशील अवसरों का सृजन कर उनकी सहायता करना है। इस उद्देश्य के लिए बैंक ने विभिन्न संस्थागत संबद्धताएं स्थापित करने, संपोषित करने और उनके साथ सहयोग बढ़ाने की अपनी नीति को जारी रखा है। इसी कड़ी में बैंक ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य ग्रामीण व्यवसाय केंद्रों (आर बी एच) के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय की निर्यात संवर्धन गतिविधियों को बढ़ाना है जो ग्रामीण भारत से निर्यात प्रोत्साहन की बैंक की पहलों के अनुरूप है।

एक्ज़िम बैंक अपनी नवोन्मेषी निर्यात विपणन सेवाओं के माध्यम से भी ग्रामीण उत्पादों की बाज़ार पहुंच में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। इसके लिए बैंक अपने विदेशी कार्यालयों तथा संस्थागत संबद्धताओं का प्रभावी उपयोग करता है, और विदेशी क्रेताओं तथा डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भारत से विभिन्न उत्पादों के आयात के लिए ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कर सहायता करता है। इस प्रकार एक्ज़िम बैंक ने अपनी ऐसी ऋण-व्यवस्थाओं के माध्यम से कृषि तथा ग्रामीण उत्पादों के निर्यात संवर्धन में सफलता पाई है तथा सिंगापोर, दक्षिण अफ्रीका, हंगरी और यू एस ए से ऐसे उत्पादों के लिए आदेश प्राप्त किए हैं।

बैंक दक्षिण-दक्षिण सहयोग के अंतर्गत एशिया, अफ्रीका तथा सी आइ एस जैसे विकासशील देशों में भारत की ग्रामीण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है। बैंक ने इसके लिए एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी निर्यात विकास निधि की स्थापना के लिए निधि सुरक्षित रखी है जिसका उद्देश्य निर्यात संवर्धन के साथ-साथ भारत की ग्रामीण प्रौद्योगिकी की निर्यात क्षमता को भी बढ़ाना है। इस प्रकार एक्ज़िम बैंक का उद्देश्य भारत के ग्रामीण उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक लाने में मदद करने के अलावा भारत में भी कार्पोरेटों तथा संस्थाओं के साथ सहयोग संबंध स्थापित कर इनके लिए वैकल्पिक चैनल तलाशना है।

बैंक अपने विदेशी कार्यालयों के नेटवर्क, व्यापार संवर्धन संगठनों तथा विदेशी संस्थाओं के साथ अपने संस्थागत संबद्धताओं का उपयोग कर भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों में व्यवसाय तथा निवेश अवसरों की पहचान करता है। साथ ही आवश्यकतानुसार भारतीय कंपनियों के लिए व्यवसाय प्राप्त करने हेतु क्रेता-विक्रेता सम्मेलन तथा सेमिनारों का भी आयोजन करता है और विदेशी क्रेताओं तथा डिपार्टमेंट स्टोर्स को भारत से विभिन्न उत्पादों के आयात के लिए ऋण-व्यवस्था प्रदान कर सहायता प्रदान करता है।

विजय टैंक्स एंड वेसेल्स लि., वड़ोदरा ने एक्ज़िम बैंक के सहयोग से शारजाह, यू ए ई में एक पेट्रोलियम कंपनी के लिए ईंधन टैंकों के विनिर्माण संबंधी टर्नकी परियोजना पूर्ण की ।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

एक्ज़िम बैंक, सितंबर 2007 में लंदन में संपन्न हुई अंडर -14 इंटरनैशनल स्कूल रग्बी चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज की रग्बी टीम को सहायता प्रदान कर रहा है। अप्रैल 1993 में स्थापित कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज उड़ीसा के 5000 से अधिक आदिवासी बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें रोजगार परक शिक्षा भी प्रदान करता है। कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज का उद्देश्य उड़ीसा के विभिन्न भागों के गरीब आदिवासी बच्चों को केवल स्कूली शिक्षा न प्रदान कर विभिन्न नवोन्मेषी तरीकों से उनका सर्वांगीण विकास कर उन्हें आजीविका परक शिक्षा प्रदान करना है। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में एक्ज़िम बैंक कलिंगा इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रग्बी टीम को प्रशिक्षण की ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ-साथ चुनिंदा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान करेगा जो रग्बी टीम की दक्षता तथा एक्सपोजर बढ़ाने में सहायक होगा।

लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए नवोन्मेषी कार्यक्रम

बैंक ने इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (आइ टी सी), जिनेवा के साथ एक नवोन्मेषी 'इंटरप्राइजेस डिवेलपमेंट सर्विस' (ई एम डी एस) कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सहयोग व्यवस्था करार किया है। यह एक सूचना प्रौद्योगिकी क्षम कार्यक्रम है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय कार्यक्रम तैयार करने में लघु उद्यमियों की सहायता करेगा । यह लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को सहायता पहुंचाने तथा चिन्हित इकाइयों को आवधिक ऋण एवं निर्यात वित्त सुविधाएं प्रदान कर उनके वैश्वीकरण प्रयासों में मदद पहुंचाने की एक अनूठी पहल है। बैंक इस कार्यक्रम को लागू करने में आइ टी सी को सहयोग प्रदान कर रहा है। इस प्रकार बैंक लघु एवं मध्यम उद्यमों को क्षमता निर्माण तथा व्यवहार्य प्रस्तावों को तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम से प्राप्त अनुभवों को अन्य विकासशील देशों में भी लागू किया जाएगा और इस प्रकार यह संपूर्ण विश्व में क्षमता निर्माण तथा संस्था निर्माण में मदद करेगा ।

बैंक राष्ट्रकुल सचिवालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम 'कॉमनवेल्थ -इंडिया स्मॉल बिज़नेस कॉम्पीटिटीवनेस डिवेलपमेंट प्रोग्राम' में सहभागिता कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रकुल के सदस्य देशों में नीति निर्माताओं को लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी रणनीतियाँ एवं कार्यनीतियाँ प्रदान कर आर्थिक विकास (वर्धित रोजगार, निवेश, व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलाप)का संवर्धन करने वाली क्षमता विकास पहलों को कार्यान्वित करना तथा संस्थागत क्षमता का निर्माण एवं विकास करना है।

एक बिलियन यू एस डॉलर का मीडियम टर्म नोट (एम टी एन) कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक द्वारा एक बिलियन यू एस डॉलर मीडियम टर्म नोट कार्यक्रम के अंतर्गत 24 बिलियन जापानी येन (197 मिलियन यू एस डॉलर) के लिए पांच वर्षीय फ्लोटिंग रेट नोट जारी किए गए।

अंतरराष्ट्रीय ऋण रेटिंग में सुधार

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान स्टैंडर्ड एंड पुअर्स तथा फिच ने बैंक की रेटिंग को बी बी$^{+}$ बढ़ाकर से बी बी बी $^{-}$ कर दिया। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जे सी आर ए) द्वारा भी बैंक को प्रदान की गई बी बी बी रेटिंग में वृद्धि कर इसे बी बी बी$^{+}$ कर दिया गया । मूडीज द्वारा प्रदान की गई बी ए ए 3 रेटिंग सहित बैंक को समग्र रूप

कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज (के आइ एस एस), भुवनेश्वर, उड़ीसा (5000 से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का सबसे बड़ा ट्राइबल स्कूल) की जूनियर रग्बी टीम को बैंक द्वारा गहन प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रग्बी टूर्नामेंटों में भाग लेने संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है।

में वर्तमान में चार अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य की निवेश ग्रेड की रेटिंग प्राप्त है।

V. *वित्तीय निष्पादन*

संसाधन

वर्ष के दौरान, बैंक को भारत सरकार से एक बिलियन रुपये की शेयर पूंजी प्राप्त हुई । यथा 31 मार्च 2008 को 11.00 बिलियन रुपये की चुकता पूँजी तथा 21.06 बिलियन रुपये की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन 325.32 बिलियन रुपये रहे । बैंक के संसाधन आधार में बांड, जमा - प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, सावधि ऋण और विदेशी मुद्रा जमा राशियाँ / उधार राशियाँ / दीर्घावधि विनिमय शामिल हैं । बैंक के घरेलू ऋण लिखतों को रेटिंग एजेंसियों यथा क्रिसिल, इक्रा द्वारा 'ए ए ए' की उच्च रेटिंग प्रदान की जाती रही है । वर्ष के दौरान बैंक ने कुल 140.4 बिलियन रुपये की विभिन्न परिपक्वता अवधियों की उधार राशियाँ जुटायीं, जिनमें 89.05 बिलियन रुपये के रुपया संसाधन और 1.28 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन शामिल हैं ।

यथा 31 मार्च 2008 को परिचालन गत ऋण-व्यवस्थाएं
(मिलियन यू एस डॉलर)

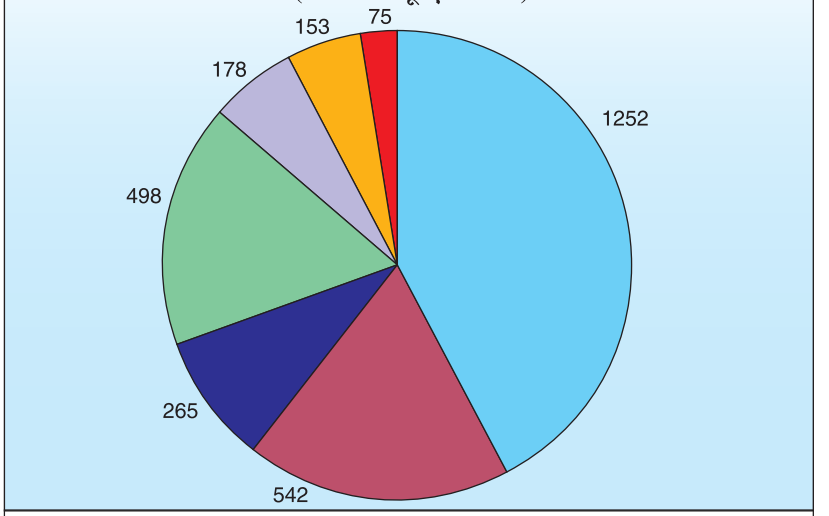

टिप्पणी : 31 मार्च 2008 को कुल 2963 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण वचनबद्धता के साथ 89 देशों में 89 ऋण-व्यवस्थाएं उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

जुटाए गए विदेशी मुद्रा संसाधनों में द्विपक्षीय/क्लब ऋणों के जरिए 1.08 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य राशियाँ तथा एफ आर एन एस के जरिए 197 मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य राशियाँ थीं। यथा 31 मार्च 2008 को बैंक के पास कुल विदेशी मुद्रा संसाधन राशियाँ 3.53 बिलियन यू एस डॉलर की थीं । बांडों तथा वाणिज्यिक पत्रों सहित बकाया रुपया उधार राशियाँ 188.90 बिलियन रुपये की रहीं। यथा 31 मार्च 2008 को बाज़ार से ली गई उधार राशियाँ कुल संसाधनों का 88 प्रतिशत थीं।

सुश्री आइटू पाउये, निदेशक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आइ टी सी / अंकटाड), प्रतिभागियों को एक कार्यशाला के दौरान संबोधित करती हुई । एस एम ई वित्तपोषण के लिए दक्षता निर्माण पर यह कार्यशाला एक्ज़िम बैंक तथा आइ टी सी द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई में आयोजित की गई।

आय / व्यय

2007-08 के दौरान बैंक का कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमश: 5.33 बिलियन रुपये और 3.33 बिलियन रुपये रहा, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमश: 3.91 बिलियन रुपये और 2.99 बिलियन रुपये था। कारोबारी आय में ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, दलाली और शुल्क से युक्त कारोबार आय वर्ष 2006-07 के दौरान 14.51 बिलियन रुपये की तुलना में वर्ष 2007-08 में

19.53 बिलियन रुपये रही । निवेश आय, बैंक जमा राशियों आदि पर ब्याज आय 2006-07 के 5.12 बिलियन रुपये की तुलना में वर्ष 2007-08 में 8.62 बिलियन रुपये रही। वर्ष 2007-08 में ब्याज व्यय 20.07 बिलियन रुपये था जो उधारियों की अधिकता के कारण 4.92 बिलियन रुपये से उच्चतर है। गैर ब्याज खर्च 2006-07 के 3.54 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान (कुल व्यय आकस्मिकताओं के लिए प्रावधानों को छोड़कर) का 2.83 प्रतिशत रहा। उधार राशियों की औसत लागत (औसत उधार राशियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज व्यय) वित्तीय वर्ष 2006-07 में 7.06 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2007-08 को 7.17 प्रतिशत हो गयी।

पूँजी पर्याप्तता

जोखिम आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (सी आर ए आर) 31 मार्च 2007 के 16.38 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2008 को 15.13 प्रतिशत रहा जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत न्यूनतम 9 प्रतिशत से अब भी काफी अधिक है। यथा 31 मार्च 2008 को ऋण ईक्विटी अनुपात 8.97:1 रहा जबकि 31 मार्च 2007 को यह 7.34:1 था।

ऋण निवेश (एक्सपोजर) के मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के लिए 31 मार्च 2002 से एकल उधारकर्ता के लिए वित्तीय संस्था की पूँजी निधियों का 15 प्रतिशत और समूह उधारकर्ताओं के लिए 40 प्रतिशत की ऋण सहायता सीमा निर्धारित की है। बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष मामलों में पाँच प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण सहायता (अर्थात एकल उधारकर्ता के लिए वित्तीय संस्था की पूँजी निधियों के 20 प्रतिशत और उधारकर्ता समूह के लिए पूँजी निधियों के 45 प्रतिशत तक कुल ऋण सहायता) दी जा सकती है । वैयक्तिक उधारकर्ताओं तथा उधारकर्ता समूहों की ऋण सहायता सीमा (क्रमश: 20 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत) को क्रमश: अतिरिक्त 5 प्रतिशत बिंदु (अर्थात कुल पूँजी निधियों का 5 प्रतिशत) और 10 प्रतिशत बिंदु (अर्थात कुल पूँजी निधियों का 10 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि अतिरिक्त ऋण सहायता बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए हो। 31 मार्च 2008 को एकल तथा समूह उधारकर्ताओं को बैंक की वित्तीय सहायता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत पूँजी निधियों की सीमा के भीतर थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया है कि वे विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों को ऋण सहायता के लिए आंतरिक सीमाएं अपनाएं ताकि विभिन्न क्षेत्रों को ऋण का समान रूप से फैलाव हो । बैंक में प्रत्येक उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण सहायता सीमा कुल ऋण संविभाग का 15 प्रतिशत तक निर्धारित की गई है, सिवाय वस्त्र उद्योग के मामले में जहाँ यह 20 प्रतिशत है । 31 मार्च 2008 को किसी एकल उद्योग को बैंक की कुल ऋण सहायता 12.60 प्रतिशत से अधिक नहीं थी।

ट्रेजरी

बैंक की एकीकृत ट्रेजरी अधिशेष निधियों के निवेश, मुद्रा बाज़ार परिचालनों तथा प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग सहित निधि प्रबंधन कार्य देखती है। बैंक ने फ्रंट / मिडल / बैक ऑफिस कार्यों को अलग किया है और एक आधुनिकतम डीलिंग रूम स्थापित किया है। बैंक की ट्रेजरी द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों में विदेशी मुद्रा सौदे,निर्यात दस्तावज़ों की वसूली / परक्रामण, अंतरदेशीय / विदेशी, साख पत्र / गारंटियाँ जारी करना तथा संरचित ऋण आदि शामिल हैं।

भारतीय एक्जिम बैंक तथा फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन द्वारा मिलकर एशियाई विकास बैंक के सहयोग से 'एशियाई विकास बैंक (ए डी बी) के साथ व्यवसाय अवसर' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन मुंबई में किया गया । सेमिनार का उद्देश्य एशियाई विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं में भाग लेने के लिए भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना था ।

बैंक अपने बाजार जोखिमों को कम करने तथा न्यून लागत पर निधियाँ जुटाने के लिए वित्तीय व्युत्पन्न (डेरीवेटिव) संव्यवहारों का उपयोग करता है। बैंक भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इंफिनेट) का एक सदस्य है और इसे प्रमाणक प्राधिकारी बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आइ डी आर बी टी) से पंजीकरण प्राधिकारी की हैसियत प्राप्त है। बैंक के पास भारतीय रिज़र्व बैंक की तयशुदा लेन-देन प्रणाली - आदेश मिलान खंड (एन डी एस-ओ एम) के माध्यम से सौदा करने के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त है, जो भारत सरकार की प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का एक मंच प्रदान करता है । बैंक की प्रतिभूतियाँ तथा विदेशी मुद्रा लेन-देन मुख्यत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सी सी आइ लि) द्वारा प्रदान की गई गारंटित निपटान सुविधा के जरिए किये जाते हैं । बैंक संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन से संबंधित दायित्व खंड (सी बी एल ओ) का भी एक सक्रिय सदस्य है। बैंक स्विफ्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर स्विफ्टनेट फेस-2 में अंतरण की प्रकिया में है।

आस्ति-देयता प्रबंधन (ए एल एम)

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के मिड ऑफिस, जो बाज़ार जोखिम का आकलन करता है तथा रिपोर्ट करता है, के सहयोग से बाज़ार जोखिम के प्रबंधन की देख-रेख करती है तथा बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक आस्ति-देयता प्रबंधन नकदी नीतियों के अनुसार नकदी/ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करती है । एल्को की भूमिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक / बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं की तुलना में बैंक की मुद्रा-वार संरचनात्मक नकदी तथा ब्याज दर संवेदनशीलता की स्थितियों की समीक्षा करना, नकदी प्रवाहों के आवधिक दबाव परीक्षणों के परिणामों की निगरानी करना और ड्यूरेशन गैप एनालिसिस का प्रयोग करते हुए ब्याज दर घट-बढ़ की तुलना में निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता और आर्थिक मूल्य की संवेदनशीलता के आकलन के माध्यम से आंकी गई ब्याज दर जोखिम की मात्रा के आधार पर कार्रवाई करना शामिल है। जोखिम पर मूल्य की गणना भारत सरकार की प्रतिभूतियों के लिए 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा 'ट्रेडिंग के लिए रोकी गई' पोर्टफोलियो के लिए की गई है । निधि प्रबंध समिति बोर्ड द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अनुमोदित संसाधन योजना के अनुसार निवेशों / विनिवेशों पर निर्णय लेने और उधार राशियाँ / संसाधन जुटाने से संबंधित निर्णय लेती है। तथा निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति भी आस्ति-देयता प्रबंधन समिति तथा निधि प्रबंधन समिति के कार्य का निरीक्षण करती है ।

माली सरकार को एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदत्त 30 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत माली (पश्चिम अफ्रीका) में स्थापित ट्रैक्टर संयंत्र ।

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति (आइ आर एम सी) का गठन किया है जो परिचालन समूहों से स्वतंत्र है और सीधे शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति विभिन्न जोखिमों (संविभाग, नकदी, ब्याज दर, तुलन पत्र से इतर और परिचालन जोखिम), निवेश नीतियों एवं उनसे संबंधित विनियामक तथा अनुपालन मुद्दों के संबंध में बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है । एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन समिति तथा ऋण-जोखिम प्रबंधन समिति के परिचालनों का निरीक्षण करती है जिनमें से दोनों के परस्पर कार्यात्मक प्रतिनिधित्व होते हैं । जहाँ आस्ति देयता प्रबंधन समिति, आस्ति देयता प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं से संबधित मुद्दों को देखती है और बैंक के समग्र बाज़ार जोखिम (चलनिधि, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम) का विश्लेषण करती है वहीं ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, ऋण नीति और प्रक्रियाओं

को देखती है और बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का नियंत्रण करती है। ऋण प्रस्ताव बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के पास जाते हैं जो उनके जोखिमों का विश्लेषण कर अनुमोदनकर्ता अधिकारियों को निविष्टियाँ प्रदान करता है। वर्ष के दौरान बैंक ने आस्ति गुणवत्ता और ऋण समीक्षा में सुधार के लिए अपने प्रयासों के अंतर्गत नए जोखिम प्रबंधन मॉडल का क्रियान्वयन किया है जो विद्यमान ऋण ग्रेडिंग माडल का स्थान लेगा । नया जोखिम प्रबंधन मॉडल उन्नत ऋण समीक्षा प्रक्रियाओं तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन क्षमताओं के कारण बैंक के लिए फायदे मंद होगा। व्यवसाय निरंतरता तथा आकस्मिकता प्रबंधन के लिए बैंक अपने प्रत्येक कार्यालय की समेकित वार्षिक समीक्षा करता है। प्रत्येक कार्यक्रम व्यवसाय निरंतरता तथा जोखिम घटनाओं की दृष्टि से उसके प्रभाव को कम करने के लिए उसकी पूर्णता के लिए पुनरीक्षित किया जाता है।

यथा 31 मार्च 2008 को ऋणों का क्षेत्रवार वितरण

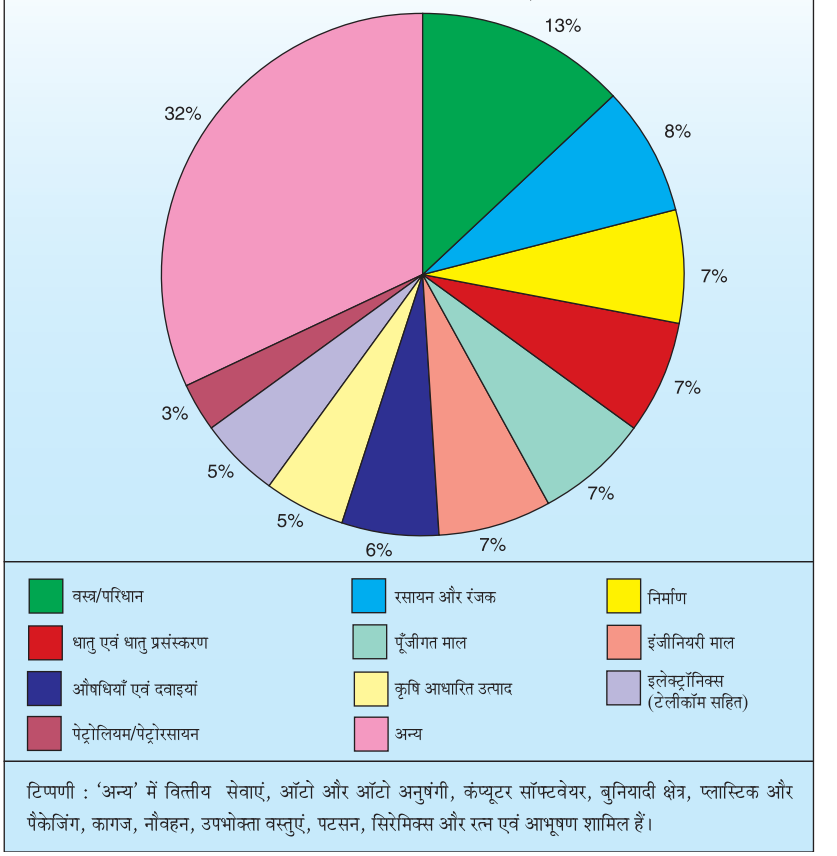

टिप्पणी : 'अन्य' में वित्तीय सेवाएं, ऑटो और ऑटो अनुषंगी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बुनियादी क्षेत्र, प्लास्टिक और पैकेजिंग, कागज, नौवहन, उपभोक्ता वस्तुएं, पटसन, सिरेमिक्स और रत्न एवं आभूषण शामिल हैं।

आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार उस ऋण / कर्ज़ सुविधा को अनर्जक आस्तियों (एन पी ए) के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके संबंध में देय ब्याज और / या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है। बैंक की सकल अनर्जक आस्तियाँ 4.58 बिलियन रुपये रही हैं जो, बैंक के कुल ऋणों तथा अग्रिमों का 1.57 प्रतिशत हैं। बैंक की अनर्जक आस्तियाँ (प्रावधान घटाकर) 31 मार्च 2007 के 0.50 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2008 को 0.83 बिलियन रूपये रही हैं जो इसके ऋण तथा अग्रिमों (प्रावधान घटाकर) का 0.29 प्रतिशत हैं।

एक्ज़िम बैंक अंतरराष्ट्रीय ऋण पूंजी बाजार में विदेशी मुद्रा बांड / फ्लोटिंग रेट नोट तथा समुराई बांड जारी करता है। क्योटो, जापान में एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान बाजार प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए एक्ज़िम बैंक के अधिकारी।

आस्ति वर्गीकरण

'अवमानक आस्तियाँ' वे आस्तियाँ होती हैं जिनके ब्याज और / अथवा जिनके मूलधन की किस्तें 90 दिनों से अधिक अतिदेय होती हैं। जहाँ अवमानक आस्ति 12 माह से अधिक अवधि से गैर निष्पादक संपत्ति के रूप में होती हैं , ऐसी आस्तियों को 'संदिग्ध आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 'हानि आस्तियाँ' वे होती हैं जो वसूली के योग्य नहीं समझी

जातीं। 1.57 प्रतिशत की सकल गैर निष्पादक आस्तियों में से अवमानक आस्तियाँ 0.16 प्रतिशत, संदिग्ध आस्तियाँ 1.22 प्रतिशत तथा हानि आस्तियाँ 0.19 प्रतिशत रहीं। यथा 31 मार्च 2008 को निवल ऋणों तथा अग्रिमों के 0.29 प्रतिशत के स्तर पर निवल गैर निष्पादित आस्तियों में से अवमानक आस्तियाँ 0.14 प्रतिशत रहीं जबकि संदिग्ध आस्तियाँ 0.15 प्रतिशत रही हालांकि हानि आस्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा

बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की देख-रेख निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (ए सी) द्वारा की जाती है । इस लेखा परीक्षा समिति की एक वर्ष में कम-से-कम छह बैठकें होती हैं । बैंक की लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य की देख-रेख करना तथा उसे मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि प्रबंधन के एक माध्यम के रूप में उसकी प्रभावशालिता में वृद्धि हो और वह सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाये गये सभी मुद्दों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे ।

बैंक के के वाइ सी, ए एम एल एवं पी एम एल उपाय

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपने ग्राहक को जानिए (के वाइ सी), धन शोधन निवारक (ए एम एल) तथा हवाला निरोधी (पी एम एल) नीतियाँ अपनाई हैं। के वाइ सी, ए एम एल तथा पी एम एल नीतियों में (क) ग्राहक स्वीकार्यता नीति (ख) ग्राहक पहचान प्रक्रिया (ग) संव्यहारों की निगरानी (घ) जोखिम प्रबंधन (ङ) विद्यमान ग्राहकों के लिए के वाइ सी मानदंड आदि शामिल हैं। बैंक के सभी ग्राहकों को न्यूनतम के वाइ सी मानकों की अपेक्षाओं के अधीन लाया जाता है जो स्वाभाविक / अधिकृत व्यक्ति तथा लाभकर्ता / स्वामित्व की पहचान स्थापित करते हैं। के वाइ सी मानदंडों के अनुपालन के संबंध में बैंक एक प्रश्नावली के माध्यम से अन्य बैंकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है। एक्ज़िम बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं तथा तरीकों के अनुसार कतिपय संव्यहारों के बारे में रिकार्ड/ सूचना भी रखता है तथा यह रिकार्ड संव्यहार की तारीख से 10 साल तक सुरक्षित रखे जाते हैं। बैंक ने के वाइ सी, ए एम एल तथा पी एम एल के उपायों के अनुपालन के लिए एक मुख्य अधिकारी भी नियुक्त किया है। के वाइ सी, ए एम एल नीति को बैंक की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

ऋणदात्री संस्थाओं के लिए उचित प्रचलन संहिता

बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण दात्री संस्थाओं के लिए उचित प्रचलन संहिता विद्यमान है।

VI. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ

बैंक सूचना, सलाहकारी और सहायता की ऐसी सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी प्रदान करता है जो उसके वित्तपोषण कार्यक्रमों को संपूर्ण बनाती हैं। ये सेवाएं भारतीय कंपनियों और समुद्रपारीय संस्थाओं को शुल्क के आधार पर प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं के दायरे में बाज़ारों से संबंधित सूचना, क्षेत्र और व्यवहार्यता अध्ययन, प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं की पहचान, भागीदारों की खोज, निवेश सुगमीकरण तथा भारत और विदेश दोनों में संयुक्त उद्यमों का विकास शामिल हैं।

वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय कंपनियों को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान की हैं। विभिन्न उद्योगों के बारे में आयातकों / निर्यातकों की सूची अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संलग्न कंपनियों को प्रदान की गई। बैंक ने ब्राजील में प्रस्तावित एक संयुक्त उद्यम के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की।

समुद्रपारीय बहुपक्षीय निधिक परियोजनाएं (एम एफ पी ओ)

विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक तथा यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं

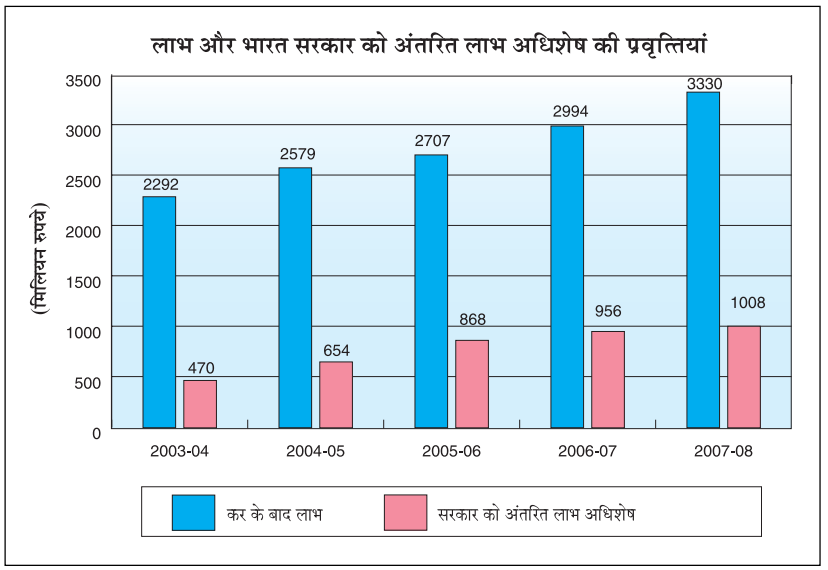

का व्यवसाय प्राप्त करने की भारतीय कंपनियों की संभावनाओं में वृद्धि करने, तथा उनकी सहायता करने के लिए बैंक इन कंपनियों को सूचना और सहायता सेवा का पैकेज प्रदान करता है। वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों यथा निर्माण, ऊर्जा, बुनियादी, परियोजनाएं, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, तथा दूरसंचार आदि पर भारतीय निर्यातक कंपनियों को समुद्रपारीय व्यवसाय के अनेक अवसरों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार किया है।

परामर्शदाता के रूप में बैंक

विकासशील देश के संदर्भ में एक निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में कार्य करने के अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को सहायता देने वाली एक संस्था के रूप में बैंक का अनुभव अन्य विकासशील देशों में विशेष रूप से प्रासंगिक है। बैंक परामर्शी कार्यों को हाथ में लेकर अपने अनुभव तथा विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करता रहा है ।

बैंक को रिज़र्व बैंक ऑफ़ ज़िम्बाब्वे द्वारा ज़िम्बाब्वे में एक निर्यात-आयात बैंक की स्थापना के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश के लिए ज़िम्बाब्वे में एक आधार ढांचा के सृजन में सहायता करने का दायित्व सौंपा गया । बैंक की सिफारिशों को काफी अच्छा माना गया और वे कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। विगत में, बैंक ने ज़िम्बाब्वे में एक निर्यात ऋण गारंटी निगम कंपनी (ई सी जी सी) की स्थापना में सहायता करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ जिम्बाब्वे को परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं।

निर्यात विपणन सेवाएं

वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी निर्यात विपणन सेवाओं के जरिए कई भारतीय कंपनियों को विदेशों में अपने उत्पादों को प्रतिष्ठित करने और नये बाज़ारों में प्रवेश करने में सहायता प्रदान की है। जिसमें कंपनियों को भावी व्यावसायिक साझेदार की पहचान से लेकर अंतिम आर्डर देने के कार्य को सुगम बनाने तक मार्गदर्शन दिया गया । बैंक भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों में अधिग्रहण अवसरों / संयुक्त उद्यमों / वितरण अवसरों की पहचान में भी सहायता करता है।

दक्षिण-दक्षिण निवेश तथा सहयोग बढ़ाने के लिए अंकटाड के तत्त्वावधान में जिनेवा में स्थापित एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड) की तीसरी वार्षिक बैठक के अवसर पर सहभागी।

वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक ने भारतीय कंपनियों के लिए सिंगापोर को अल्फान्सो आम का निर्यात, दुबई को बीज रहित अंगूर तथा भागव अनार एवं दक्षिण अफ्रीका के लिए खाद्य पदार्थ यथा पापड़म आदि के लिए आर्डर प्राप्त करने में सहायता की है। साथ ही भारत के हस्तशिल्प उत्पादों के आयात के लिए विश्व के दूसरे सबसे बड़े रिटेलर जिसके स्टोर्स लैटिन अमेरिका, यूरोप, तथा एशिया में हैं द्वारा सिंगापोर स्टोर्स के लिए आदेश प्राप्त हुए हैं। इन हस्तशिल्प उत्पादों में कर्टन टसल, घरेलू सजावटी सामान, एम्ब्राएडरी युक्त पार्टी बैग, लेदर फोटो फ्रेम, लकड़ी तथा लाख के आभूषण बॉक्स आदि शामिल हैं जो भारत के विभिन्न भागों में स्थित लघु एवं मध्यम उद्यमियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं।

बैंक भारतीय कंपनियों के लिए अधिग्रहण तथा संयुक्त उद्यम अवसरों की तलाश में मदद कर रहा है उदाहरण के लिए ब्राज़ील में वेटेरिनरी व्यवसाय का अधिग्रहण; सेनेगल की एक कंपनी के साथ मेडिकल डिस्पोजेबल के विनिर्माण के लिए संयुक्त उद्यम; एक बड़ी भारतीय कंपनी जो हेल्मेट तथा सैनिक वाहन आदि बनाती है के लिए अमेरिकी कंपनी से प्रौद्योगिकी अंतरण सहकार; मलेशिया में एक भारतीय कंपनी के लिए वितरण शृंखला आदि शामिल हैं।

बैंक इंडोनेशिया में पूर्ण रूप से तैयार (टर्नकी) आधार पर एक चीनी संयंत्र स्थापित करने में सहायता कर रहा है, एक अन्य एक भारतीय कंपनी को इंडोनेशिया में बॉक्साइट तथा लोहे की खानों के अधिग्रहण में मदद कर रहा है, अमेरिका स्थित एक लॉ फर्म के लिए एक भारतीय लॉ कंपनी से आउटसोर्सिंग कार्य; डकार, सेनेगल को डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का निर्यात, दक्षिण अफ्रीका तथा अन्य

देशों को परिष्कृत रसायन, वॉल्व एवं पंप तथा थोक दवाइयाँ एवं टर्नकी आधार पर ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना सहित दुबई को चमड़े के तैयार सामान, डिस्पोजिबल चिकित्सा सामग्री, यू के को कैंवेंडिश बनाना तथा प्रशीतित पोल्ट्री तथा अन्य मांस उत्पाद शामिल हैं।

बैंक भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों में व्यापार तथा निवेश के अवसर तलाशने के लिए अपने विदेशी कार्यालयों के नेटवर्क तथा ऐसे व्यापार संवर्धन संगठनों जिनके साथ बैंक ने सहयोग ज्ञापन किया है, की सहायता लेता है। जहां कही आवश्यक होता है वहां भारतीय कंपनियों के लिए व्यवसाय प्राप्त करने के लिए बैंक क्रेता / विक्रेता सम्मेलनों तथा सेमिनारों आदि का भी आयोजन करता है।

एक्जिमिअस प्रशिक्षण केंद्र

वर्ष के दौरान बैंक के एक्ज़िमिअस केंद्र द्वारा भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाज़ार की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए विभिन्न विषयों पर 39 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें ग्यारह देश /क्षेत्र विशिष्ट व्यवसाय अवसर सेमिनार शामिल हैं। ब्रिटिश मिडलैंड क्षेत्र पर सेमिनारों की एक शृंखला का आयोजन कोच्चि, तिरुअनंतपुरम, पुणे तथा जयपुर में किया गया । बहरीन राज्य पर इसी प्रकार के सेमिनार कोयम्बटूर तथा कोच्चि में और ऑस्ट्रेलिया तथा विक्टोरिया के ऑस्ट्रेलिया राज्य पर पुणे, अहमदाबाद, लुधियाना, चेन्नै तथा हैदराबाद में आयोजित किए गए। एशियाई विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं में व्यवसाय अवसरों पर तीन सेमिनार क्रमश: मुंबई, नई दिल्ली, तथा कोलकाता में आयोजित किए गए।

केंद्र ने सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ़ इंपोर्ट्स फ्रॉम डिवेलपिंग कंट्रीज़ (सी बी आइ), दि नीदरलैंड्स के सहयोग से कोलकाता तथा मुंबई में कार्यशालाएं आयोजित कीं। इसके साथ ही राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार तथा प्रशिक्षण केंद्र (एन आइ एस आइ ई टी), हैदराबाद के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा सत्र भी आयोजित किया गया।

लघु एवं मध्यम उद्यमों की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए केंद्र द्वारा 'निर्यात प्रविधि एवं दस्तावेज़ी करण' विषय पर बेंगलूर, अहमदाबाद, नई दिल्ली, बेलगाम, नासिक, गुंटूर तथा चेन्नै में कार्यशालाओं की एक शृंखला आयोजित की गई। निर्यात उद्यम विकास पर एक कार्यशाला शिलाँग में आयोजित की गई। कृषि उत्पादों / औषधीय पौधों की निर्यात आवश्यकताओं पर संकेन्द्रित सेमिनार भुवनेश्वर, इटानगर तथा गुवाहाटी में आयोजित किए गए।

केंद्र ने ग्रामीण ग्रासरूट उत्पादों के निर्यात विपणन पर शांतिनिकेतन में एक कार्यशाला का आयोजन किया।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक (अफ्रेक्ज़िम बैंक) को 30 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। तत्संबंधी करार पर सी आइ आइ - एक्ज़िम बैंक द्वारा आयोजित चौथे 'भारत अफ्रीका / सहभागिता समारोह 2008' के अवसर पर श्री जीन लुइस एकरा, अध्यक्ष अफ्रेक्ज़िम बैंक द्वारा हस्ताक्षर किए गए । साथ में उपस्थित हैं डॉ. डी. सुब्बाराव, वित्त सचिव, भारत सरकार तथा प्रो. सेमकुला किवनुका, राज्य वित्त आयोजना एवं आर्थिक विकास मंत्री, युगांडा सरकार।

VII. संस्थागत संबंद्धताएं

बैंक ने व्यापार तथा निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु एक समर्थकारी वातावरण सृजित करने में सहायता के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों, निर्यात ऋण एजेंसियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं, व्यापार संवर्धन निकायों तथा निवेश संवर्धन बोर्डों के साथ गठबंधन तथा संस्थागत संबंधों का एक नेटवर्क विकसित किया है। इस हेतु बैंक ने अफ्रीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक मिश्र; सी बी आइ नीदरलैंड्स; कार्पोरेसियन एनाडिना दि फोमेंटो (सी ए एफ), वेनेज्युएला; एक्सपोर्ट फाइनान्स एण्ड इन्शुरेन्स कार्पोरेशन (ई एफ आइ सी) ऑस्ट्रेलिया; के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग ज्ञापन एक दूसरे की शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तथा भारत में फर्मों तथा संबंधित देशों में उनकी समकक्ष फर्मों के बीच दुतरफा व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देंगें।

बैंक ने गल्फ निवेश परिषद (जी आइ सी), कुवैत तथा सीलोन चेंबर ऑफ़ कॉमर्स, श्री लंका के साथ भी सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग ज्ञापन भारत के साथ श्री लंका तथा गल्फ क्षेत्रों के देशों (बहरीन, कुवैत, सल्तनत ऑफ़ ओमान, कतर,

सऊदी अरब, तथा संयुक्त अरब अमीरात) के बीच व्यवसाय अवसरों की पहचान, सूचना के आदान-प्रदान के साथ दुतरफा व्यापार तथा निवेश बढ़ाने में सहायक अवसरों की पहचान करने में मददगार होंगे ।

ग्रासरूट उद्यमों तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता संबंधी अपनी पहल को और बल प्रदान करने के लिए बैंक ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ इसकी ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र (आर बी एच) पहल के लिए सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण व्यवसाय केंद्र, निजी तथा सरकारी क्षेत्र में पंचायत सहभागिता की अनूठी संकल्पना है जिसका उद्देश्य उद्योग तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच प्रत्यक्ष संबद्धता स्थापित करना है। साथ ही बैंक ने ग्रासरूट उद्यमों तथा लघु एवं मध्यम उद्मों को सहायता के लिए लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) तथा रेपको बैंक के साथ भी सहभागिता करार किए हैं।

एशियन एक्ज़िम बैंक फोरम

एशियन एक्ज़िम बैंक फोरम की 13 वीं बैठक नवंबर 2007 में बाली, इंडोनेशिया में पी टी. बैंक एक्सपोर, इंडोनेशिया (परसेरो) की मेजबानी में संपन्न हुई। इस फोरम की संकल्पना तथा स्थापना एक्ज़िम बैंक की पहल पर 1996 में की गई थी। 2007 की बैठक का मुख्य विषय था 'एशियाई एक्ज़िम बैंकों के बीच सहभागिता को बढ़ाना'। इस बैठक में 9 सदस्य संस्थाओं यथा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, दि फिलीपीन्स तथा थाइलैंड से उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया जबकि बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसी एशियाई विकास बैंक, मनीला इसमें स्थायी आमंत्रिती था। विएतनाम डिवेलपमेंट बैंक के अधिकारियों ने इस बैठक में प्रेक्षक के रूप में भाग लिया ।

वार्षिक बैठक में सूचना तथा कार्य सत्रों में कई विषय शामिल थे। इनमें वैश्विक तथा क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य, एशियाई एक्ज़िम बैंकों के बीच व्यापार वित्तपोषण सहयोग को बढ़ावा, क्लीन एनर्जी व्यापार एवं निवेश सहित एशिया में इस्लामिक बैंकिंग को बढ़ावा देना आदि प्रमुख विषय थे। 13 वीं बैठक के निष्कर्षों को 'बाली सहमति पत्र' के रूप में संकलित किया गया जिस पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यह 'सहमति पत्र' एक आवश्यक आधार दस्तावेज़ है जो सदस्यों को भावी योजना को कार्यान्वित करने में मदद करता है।

रवांडा में जल विद्युत परियोजना के निर्माण के वित्तपोषण के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा रवांडा को प्रदान की गई 20 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था करार पर नई दिल्ली में श्री जॉन रवांगोब्वा, महासचिव तथा राजकोषीय सचिव, वित्त मंत्रालय, रवांडा सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं का वैश्विक नेटवर्क

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड)की स्थापना एक्ज़िम बैंक की पहल पर अंकटाड के तत्वावधान में जिनेवा में मार्च 2006 में की गई थी। विभिन्न विकासशील देशों के एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के सहयोग से नेटवर्क ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा निवेश को बढ़ाने में अच्छा कार्य किया है। इनमें नेटवर्क की वेबसाइट (www.gnexid.org) का शुभारंभ तथा वार्षिक बैठकों का आयोजन प्रमुख उपलब्धियां है। अंकटाड द्वारा जी-नेक्जिड को प्रदान किया गया 'प्रेक्षक' का दर्जा फोरम को इसके सहयोग को दर्शाता है। इसकी सदस्य संख्या मार्च 2008 तक बढ़कर 23 हो गई है जो विकासशील देशों में फोरम के विजन की स्वीकार्यता को दर्शाती है।

एडफिएप डिवेलपमेंट अवार्ड

एशिया तथा प्रशांत में विकास वित्तपोषण संस्थाओं का संघ (एडफिएप) का डिवेलपमेंट अवार्ड ऐसी एडफिएप सदस्य संस्थाओं को सम्मानित करता है, जिनके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं से संबंधित देशों में एक विकासात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। यह अवार्ड उन सदस्य संस्थाओं को दिए जाते हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय तथा नवोन्मेषी विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित या प्रवर्धित किया है।

बैंक को वर्ष 2008 के लिए 'एस एम ई डिवेलपमेंट अवार्ड' प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार बैंक के कार्यक्रम 'इंटरप्राइजेस मैनेजमेंट डिवेलपमेंट सर्विसेज (ई एम डी एस)' के लिए दिया गया है। ई एम डी एस एक सूचना प्रौद्योगिकीक्षम कार्यक्रम है जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों की दृष्टि से लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए व्यवसाय कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बैंक ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आइ टी सी), जिनेवा के साथ घनिष्ठ कार्यकारी संबंध स्थापित किए हैं तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण का सृजन किया है। इसके माध्यम से बैंक लघु उद्यमों में क्षमता निर्माण के जरिए उनके लिए व्यवहार्यता प्रस्ताव तैयार करने में मदद करता है।

व्यवसाय उत्कृष्टता का पुरस्कार

एक्ज़िम बैंक भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किसी भारतीय कंपनी द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम तकनीकी गुणवत्ता प्रबंधन (टी क्यू एम) कार्य प्रणालियों के लिए व्यवसाय उत्कृष्टता का वार्षिक पुरस्कार प्रदान करता है। यह पुरस्कार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट अवार्ड (ई एफ क्यू एम) के मॉडल पर आधारित है।

विगत में केवल छह कंपनियों, टाटा कन्सलटैन्सी सर्विसेज़ लिमिटेड (2006), टाटा मोटर्स लिमिटेड (वाणिज्यिक वाहन कारोबार इकाई) (2005), इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2002), टाटा स्टील लि. (2000), मारुति उद्योग लिमिटेड (1998) तथा ह्यूलेट पैकर्ड (इंडिया) लिमिटेड (1997) को अवार्ड प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2006 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि. (भेल), हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट, हरिद्वार,को व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

2007 में यद्यपि किसी कंपनी को पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ तथापि दस कंपनियों को व्यवसाय उत्कृष्टता के प्रति उनकी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जूरी द्वारा प्रशंसा की गई। इनमें भेल (हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट), भोपाल; भेल (हेवी पॉवर इक्विपमेंट प्लांट), हैदराबाद; भेल (हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट) तिरुचिरापल्ली; जय भारत मारुति लिमिटेड, नई दिल्ली; जे एस डब्ल्यू स्टील लि., विजयनगर कारखाना; माइको (डीजल सिस्टम्स बिज़नेस), बैंगलोर; एन टी पी सी लिमिटेड (सिमाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट); राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापट्टनम स्टील प्लांट); रिलायन्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, (हजीरा विनिर्माण इकाई), तथा दि टिन प्लेट कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, जमशेदपुर हैं। साथ ही जूरी ने 25 कंपनियों की पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के प्रति उनकी दृढ़ वचनबद्धता के लिए सराहना की है।

श्री सुपाचि पैनिचपाकड़ी, महासचिव अंकटाड, जिनेवा, स्विटज़रलैंड में जी-नेक्ज़िड की तीसरी वार्षिक बैठक के अवसर पर एक्ज़िम बैंक के प्रतिनिधि मंडल के साथ । जी-नेक्ज़िड को अंकटाड द्वारा प्रदान किया गया प्रेक्षक का दर्जा दक्षिण-दक्षिण व्यापार तथा निवेश सहयोग बढ़ाने के लिए फ़ोरम के प्रयासों को सहयोग की संपुष्टि करता है।

VIII. सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी संरूपण में अपनी पहल को जारी रखा है। सूचना के बेहतर उपयोग, प्रयोक्ता तथा प्रणाली इटेंलिजन्स क्षमताओं के सशक्तीकरण के लिए मूल कार्य क्षेत्रों की प्रणालियों के अतिरिक्त ज्ञान प्रबंधन, विभिन्न संघटकों के बीच सूचना के बेहतर आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बैंक इन्फिनेट (इंडियन फाइनेंसियल नेटवर्क)का सदस्य है तथा विनियामक एवं औद्योगिकी संस्थाओं जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लि. तथा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन द्वारा लागू प्रणालियों एवं पद्धतियों में डिजिटल सहभागिता सुनिश्चित करता है।

आयोजना एवं बजट; देश विश्लेषण; उद्योग विश्लेषण; जोखिम ऑकलन और विश्लेषण; बैंक व्यापी सिस्टम; प्रलेखन प्रबंधन एवं कार्यप्रवाह के लिए विशिष्ट पैकेजों सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रणालियों को सक्षम बनाया गया है तथा उनका उन्नयन किया गया है। इन क्षेत्रों की प्रणालियों में रणनीतिक आयोजना, आंतरिक सेवा प्रदान करना, ग्राहक इंटरफेस और ऑनलाइन ट्रेकिंग शामिल हैं।

भारत की विशाल ग्रामीण जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए बैंक ग्रासरूट व्यापार उद्यमों में क्षमता सृजन तथा निर्यात संबद्धताएं स्थापित कर गरीबी में कमी की दिशा में कार्य कर रहा है। अपने इन्ही प्रयासों की एक पहल के रूप में बैंक ने ग्रामीण भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एक वेबसाइट (www.eximbankwiki.in) का शुभारंभ किया है।

विभिन्न अंशधारकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक ने अपनी कार्पोरेट वेबसाइट (www.eximbankindia.in) को नए रूप में लांच किया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह वेबसाइट बैंक में किए गए विभिन्न शोध कार्यकलापों, व्यावसायिक अवसरों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अग्रताओं पर सूचना का प्रचार-प्रसार करती है। इसके अलावा, इसमें बैंक के विभिन्न उधार कार्यक्रमों तथा भारतीय निर्यातकों के लिए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए सूचना तथा सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध होती हैं।

बैंक के कृषि पोर्टल (www.eximbankagro.in) ने संबंधित गतिविधियों पर उत्पाद-वार जानकारी तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है। बैंक एशियन एक्ज़िम बैंक फोरम तथा जी-नेक्ज़िड का सदस्य है तथा इन दोनों संगठनों की वेबसाइट का प्रबंधन करता है।

IX. शोध एवं विश्लेषण

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास शोध वार्षिक पुरस्कार 1989 में बैंक द्वारा शुरू किया गया था इसका उद्देश्य भारत तथा विदेशों में विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार तथा विकास और संबंद्ध वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना है। इस अवार्ड में एक लाख रुपये का पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है । वर्ष 2007 का पुरस्कार डॉ. अर्जुन जयदेव, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी एवं सहायक प्रोफेसर मैसच्युसेट यूनिवर्सिटी को उनके शोध प्रारूप 'फाइनेंसियल लिबरलाइजेशन एण्ड इट्स डिस्ट्रिब्यूशनल कॉन्सीक्वेसेंस : ऍन इम्पीरिकल एक्सप्लोरेशन' के लिए प्रदान किया गया । डॉ. जयदेव ने अपना शोध मैसच्युसेट, बोस्टन , यू एस ए से वर्ष 2005 में पूरा किया।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा पांच प्रासंगिक आलेख नामत: ट्रेड एंड एनवायरमेंट ए थियोरिटीकल एण्ड इम्पीरिकल एनेलिसिस; इंडियन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री : सर्जिंग ग्लोबली; रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स : गेटवे टु ग्लोबल ट्रेड; नॉलेज प्रोसेस आउट सोर्सिंग : इमार्जिंग

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम की 13वीं बैठक नवंबर 2007 में बाली, इंडोनेशिया में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य विषय था' एशियाई एक्ज़िम बैंकों के बीच सहयोग को मज़बूत करना' बैठक में एशियाई एक्ज़िम बैंकों के बीच व्यापार वित्त सहयोग बढ़ाने के अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई।

अपॉरच्युनिटीज फॉर इंडिया; इंडियन मिनिरल सेक्टर एंड इट्स एक्सपोर्ट पोटेंशियल प्रकाशित किए गए। बैंक ने 'हेल्थकेयर टुअरिज्म: अपॉरच्युनिटीज फॉर इंडिया' विषय पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की है, जिसमें भारत को एक प्रमुख हेल्थकेयर पर्यटक स्थल बनाने के लिए अवसरों, चुनौतियों तथा विभिन्न रणनीतियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

एक्ज़िम बैंक स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान शृंखला, जिसकी शुरुआत बैंक के कारोबार के प्रारंभ के उपलक्ष्य में की गई थी, को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले सम-सामयिक व्यापार और विकास मुद्दों पर बहस तथा चर्चा करने में एक महत्त्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में ख्याति मिली है। श्री केमल दर्विश,प्रशासक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ने वर्ष 2008 के लिए बैंक का 23 वां स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान दिया। श्री दर्विश ने 'विश्व की आर्थिक नई संरचना का परिदृश्य' विषय पर अपना व्याख्यान दिया। डॉ. अरविंद विरमानी, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की ।

X. मानव संसाधन प्रबंधन

31 मार्च 2008 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 222 थी जिसमें ऐसे 168 व्यावसायिक कर्मचारी शामिल हैं जिनके अंतर्गत इंजीनियर, अर्थशास्त्री, बैंकर, सनदी लेखाकार, बिज़नेस स्कूल स्नातक, विधि और भाषा विशेषज्ञ, पुस्तकालय और प्रलेखन विशेषज्ञ, कार्मिक तथा कम्प्यूटर विशेषज्ञ आते हैं । इस व्यावसायिक दल की सहायता प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाती है । बैंक का यह उद्देश्य है कि वह अपने अधिकारियों के कौशलों का निरंतर उन्नयन करे । 2007-08 के दौरान 160 अधिकारियों ने बैंक के परिचालनों से संबंद्ध विविध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लिया । इन कार्यक्रमों में ऋण जोखिम मॉडलिंग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय संस्थाओं के लिए व्यवसाय निरंतरता तथा आपात कालीन व्यवस्था, परियोजना मूल्यांकन एवं विश्लेषण राजनैतिक जोखिम बीमा, ढांचागत परियोजना वित्तपोषण, लघु एवं मध्यम उद्यमों का वित्तपोषण शामिल हैं।

माननीय सांसद श्री ए विजय राघवन, के नेतृत्व में सरकारी आश्वासनों पर राज्य सभा की समिति ने 17 दिसंबर 2007 को भारतीय एक्ज़िम बैंक के साथ विचार विमर्श किया ।

XI. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग की गति में तेज़ी लाने के बैंक के प्रयासों को वर्ष के दौरान विभिन्न प्राधिकरणों से मान्यता प्राप्त हुई है :

(i) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई ने वर्ष 2006-07 में समस्त वित्तीय संस्थाओं में से बैंक के प्रधान कार्यालय के सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है।

(ii) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित राज्य स्तरीय बैंकर समिति (राजभाषा), पुणे ने वर्ष 2006-07 में समस्त वित्तीय संस्थाओं में से इस बैंक के प्रधान कार्यालय को सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है।

वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को जारी रखा है । राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबंधों के अनुपालन में परिपत्र, प्रेस-विज्ञप्तियाँ और रिपोर्टें हिंदी में भी में जारी की गई हैं । हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में दिए गए हैं। बैंक के परिचालनों और क्रियाविधि संबंधी साहित्य के अतिरिक्त सभी शोध सार, चुनिंदा कार्यकारी आलेख एवं प्रासंगिक आलेख हिंदी में अनूदित किये गये हैं ।

बैंक के अधिकारियों को हिंदी में टिप्पण और प्रारूप लेखन में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान सोलह हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं । बैंक के अधिकारियों को अपने दैनिक कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन प्रदान करने की एक योजना बैंक में लागू है । कैलेंडर वर्ष 2007 के दौरान कई अधिकारियों को हिंदी में अधिकतम कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया।

सरकार के निदेशों के अनुसरण में 14 सितम्बर, 2007 से हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर स्टाफ़ सदस्यों के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया; एक्ज़िमिअस का विशेषांक अर्थात 'राजभाषा विशेषांक' प्रकाशित किया गया दो विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया गया तथा एक प्रदर्शनी लगाई गई।

बैंक की वेबसाइट हिंदी में भी उपलब्ध है तथा बैंक के इंट्रानेट पर हिंदी का भी एक खंड है।

बैंक के त्रैमासिक प्रकाशन 'एक्ज़िमिअस: एक्सपोर्ट एडवांटेज़' के सभी अंकों का हिंदी रूपांतर 'एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया । बैंक के एक अन्य द्विमासिक प्रकाशन 'एग्री एक्सपोर्ट एडवांटेज़' के सभी अंकों को भी हिंदी में 'कृषि निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया । बैंक की गृहपत्रिका 'एक्ज़िमिअस' में हिंदी का भी एक खंड है। बैंक के वार्षिक व्याख्यान की पुस्तिका भी हिंदी में प्रकाशित की गई।

हिंदी के प्रगामी प्रयोग विषयक सरकार की नीति के अनुसरण में बैंक के पुस्तकालय को विदेश व्यापार, वाणिज्य, वित्तपोषण, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य विषयों पर नई पुस्तकों से समृद्ध बनाया गया ।

राजभाषा नीति का अनुपालन तथा उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जांच-बिंदु बनाए गए हैं। बैंक में हिंदी के प्रयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में की गई प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय और अन्य कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें तिमाही अंतरालों में आयोजित की गई हैं ।

XII. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च 2008 को बैंक की सेवा में कुल 222 कर्मचारियों में 26 अनुसूचित जाति, 23 अनुसूचित जन जाति और 15 अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी सदस्य हैं। बैंक ने इन कर्मचारी सदस्यों को कम्प्यूटरों और अन्य क्षेत्रों का प्रशिक्षण प्रदान किया है । बैंक ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली और भारतीदासन प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली के अनुसूचित जाति और जन जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना जारी रखा है।

बैंक के कार्यक्रम इंटरप्राइजेज डिवेलपमेंट सर्विसेज़ (ई एम डी एस) की मान्यता में बैंक को एशिया तथा प्रशांत विकास वित्त संस्थाओं के संघ द्वारा 'एस एम ई डिवेलपमेंट अवार्ड 2008' प्रदान किया गया। यह एक सूचना प्रौदयोगिकीक्षम कार्यक्रम है जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों की दृष्टि से व्यवसाय विकास कार्यक्रम तैयार करने में लघु उद्यमियों की मदद करता है।

तुलन-पत्र
यथा 31 मार्च, 2008 को
एवं
2007-08 का
लाभ और हानि लेखा

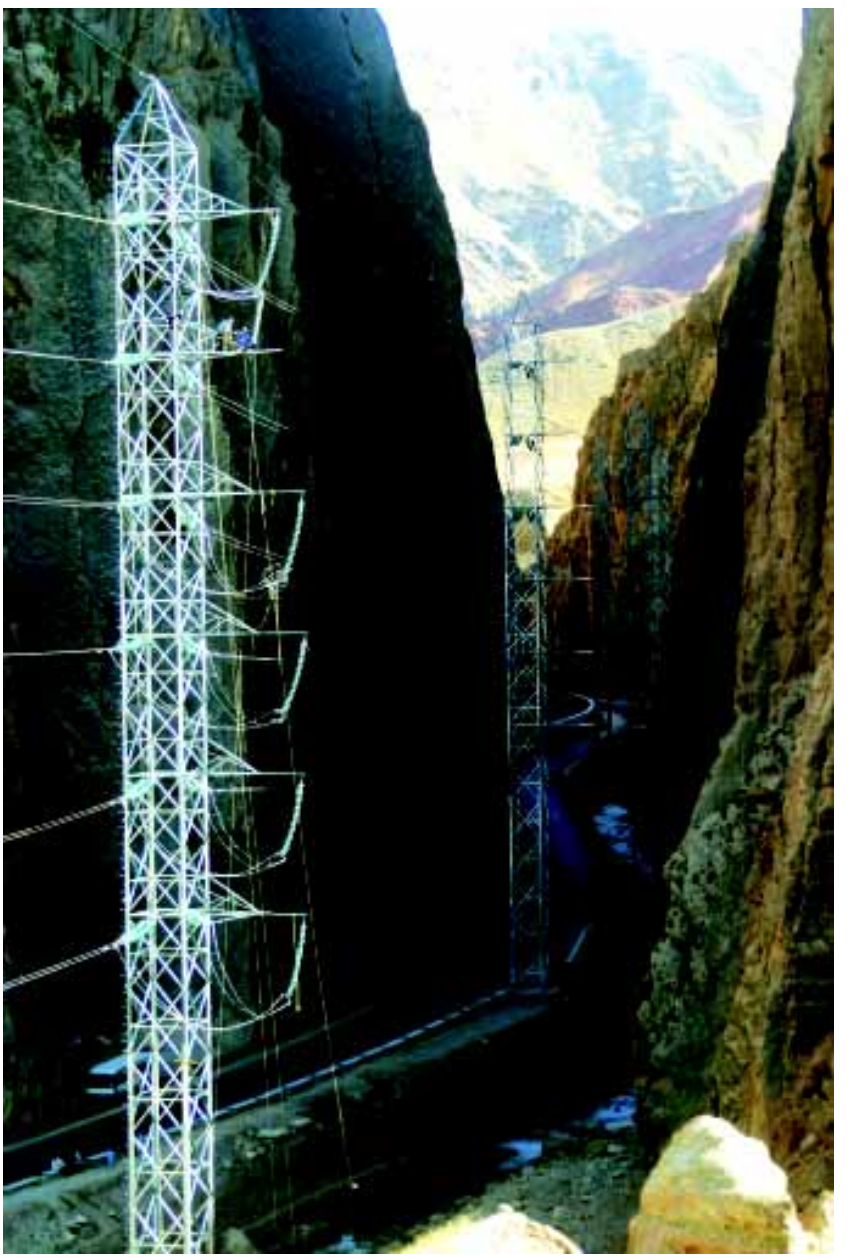

अफगानिस्तान में 220 के वी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन की आपूर्ति संविदा तथा संस्थापना के ई सी इंटरनेशनल लि. मुंबई द्वारा एक्ज़िम बैंक के वित्तीय सहयोग से की गई है।

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2008 को

देयताएँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2008 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2007 को) रुपये
1.	पूँजी	I	10,999,918,881	9,999,918,881
2.	आरक्षित निधियाँ	II	21,063,809,742	18,741,048,409
3.	लाभ और हानि लेखा	III	1,007,700,000	956,200,000
4.	अपरक्राम्य वचन-पत्र, बाँड एवं डिबेंचर		179,272,533,879	154,229,694,926
5.	देय बिल		–	–
6.	जमा राशियाँ	IV	2,839,048,760	702,469,188
7.	उधार राशियाँ	V	111,149,390,142	61,684,076,166
8.	चालू देयताएँ एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		19,222,513,707	13,417,407,169
9.	अन्य देयताएँ		3,842,488,815	2,708,600,473
	योग		**349,397,403,926**	**262,439,415,212**

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	34,555,519,900	35,360,347,300
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं, ब्याज दरों की अदला-बदली की बकाया राशियों पर	9,221,318,900	14,740,168,300
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv)	अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	60,334,500	47,376,000
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	3,178,720,000	3,109,420,000
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाणपत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	–	750,000,000
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है	13,248,142,600	11,234,851,800
	योग	**60,264,035,900**	**65,242,163,400**

सामान्य निधि

आस्तियाँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2008 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2007 को) रुपये
1.	नकदी एवं बैंक शेष	VI	13,256,818,173	5,878,360,481
2.	निवेश	VII	18,586,003,347	12,896,098,758
3.	ऋण एवं अग्रिम	VIII	276,266,602,644	218,562,438,098
4.	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन-पत्र	IX	11,500,000,000	10,300,000,000
5.	अचल आस्तियाँ	X	753,367,923	812,177,907
6.	अन्य आस्तियाँ	XI	29,034,611,839	13,990,339,968
	योग		**349,397,403,926**	**262,439,415,212**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।
टिप्पणी: जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.आर. राव
कार्यपालक निदेशक

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ **श्री ए. वी. मुरलीधरन** **श्री एस. पी. ओसवाल**

श्री अरुणाचलम वेल्लयन **श्रीमती किरन मजूमदार-शॉ**

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन बी एस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(प्रदीप जे. शेट्टी)
साझेदार (एम. सं. 46940)

मुम्बई
दिनांक : 26 अप्रैल, 2008

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष रुपये	गत वर्ष रुपये
1.	ब्याज		20,039,975,462	15,119,783,911
2.	ऋण बीमा , शुल्क एवं प्रभार		30,029,073	31,604,328
3.	स्टाफ़ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		100,557,181	124,272,697
4.	निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फ़ीस तथा व्यय		99,500	112,500
5.	लेखा परीक्षा की फ़ीस		455,000	455,000
6.	भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमियम		59,937,920	52,488,549
7.	संचार विषयक व्यय		14,576,578	19,221,684
8.	विधि विषयक व्यय		8,594,215	2,207,427
9.	अन्य व्यय	XII	319,829,419	290,462,417
10.	मूल्यह्रास		79,533,134	66,503,231
11.	ऋण हानियों / निवेशों पर आकस्मिकताओं, मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान		2,164,144,072	11,389,477
12.	आगे ले जाया गया लाभ		5,333,588,053	3,908,841,277
	योग		**28,151,319,607**	**19,627,342,498**
	अनार्जक आस्तियों के लिए सचल प्रावधान		–	1,000,000,000
	आय कर के लिए प्रावधान		2,003,126,719	914,718,170
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ		3,330,461,334	2,994,123,107
			5,333,588,053	**4,908,841,277**

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में, भारत के राष्ट्रपति

1) हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की सामान्य निधि के संलग्न 31 मार्च 2008 के तुलन-पत्र और साथ ही उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की सामान्य निधि के लाभ और हानि लेखे एवं समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (एक साथ 'वित्तीय विवरण पत्र' के रूप में निर्दिष्ट) की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारी ज़िम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।

2) हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की है, इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करनेवाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि :

क. लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किये हैं और वे संतोषजनक हैं ;

ख. हमारी राय में तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किये गये हैं ;

ग. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्र, उस पर टिप्पणियों के साथ पठित, आवश्यक सभी विवरणों से युक्त एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है और इसे इस तरह से उचित रूप में तैयार किया गया है कि यह यथा 31 मार्च 2008 को बैंक की सामान्य निधि के कार्यों की स्थिति की, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची व सही स्थिति प्रदर्शित करे।

एन बी एस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(प्रदीप जे. शेट्टी)
साझेदार
एम. सं. 46940

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 26 अप्रैल, 2008

सामान्य निधि

आय

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष रुपये	गत वर्ष रुपये
1.	ब्याज और बट्टा	XIII	24,338,616,613	18,428,955,096
2.	विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस		945,588,625	613,637,997
3.	अन्य आय	XIV	2,867,114,369	584,749,405
4.	तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि		–	–
	योग		**28,151,319,607**	**19,627,342,498**
	लाभ, नीचे लाया गया		5,333,588,053	3,908,841,277
	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि में से अंतरित		–	1,000,000,000
	पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज-कर प्रावधान का प्रतिलेखन		–	–
			5,333,588,053	**4,908,841,277**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.आर. राव
कार्यपालक निदेशक

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ **श्री ए. वी. मुरलीधरन** **श्री एस. पी. ओसवाल**

श्री अरुणाचलम वेल्लयन **श्रीमती किरन मजूमदार-शॉ**

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन बी एस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(प्रदीप जे. शेट्टी)
साझेदार (एम. सं. 46940)

मुम्बई
दिनांक : 26 अप्रैल, 2008

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

यथा 31 मार्च, 2008 को

		इस वर्ष (यथा 31.03.2008 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2007 को)
		रुपये	रुपये
अनुसूची I :	**पूँजी :**		
	1. प्राधिकृत	20,000,000,000	10,000,000,000
	2. निगमित एवं प्रदत्त : (केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	10,999,918,881	9,999,918,881
अनुसूची II :	**आरक्षित :**		
	1. आरक्षित निधि	15,869,314,933	14,146,553,600
	2. सामान्य आरक्षित राशियाँ	–	–
	3. अन्य आरक्षित राशियाँ :		
	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि	814,175,745	714,175,745
	ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएँ)	1,020,319,064	920,319,064
	4. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	3,360,000,000	2,960,000,000
		21,063,809,742	**18,741,048,409**
अनुसूची III :	**लाभ और हानि लेखा :**		
	1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखा के अनुसार शेष	3,330,461,334	2,994,123,107
	2. घटाकर : विनियोजन :		
	- आरक्षित निधि को अंतरित	1,722,761,334	1,437,923,107
	- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	100,000,000	100,000,000
	- ऋण शोधन निधि को अंतरित	100,000,000	100,000,000
	- आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	400,000,000	400,000,000
	3. निवल लाभ का शेष (भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केन्द्र सरकार को अंतरणीय)	**1,007,700,000**	**956,200,000**
अनुसूची IV :	**जमा राशियाँ :**		
	(क) भारत में	2,839,048,760	702,469,188
	(ख) भारत के बाहर	–	–
		2,839,048,760	**702,469,188**

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2008 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2007 को)
	रुपये	रुपये
अनुसूची V : उधार राशियाँ :		
1. भारतीय रिज़र्व बैंक से :		
(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	–	–
(ख) विनिमय बिलों पर	–	–
(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	–	–
2. भारत सरकार से	40,000,004	53,333,337
3. अन्य स्रोतों से :		
(क) भारत में	50,487,656,556	23,931,709,229
(ख) भारत के बाहर	60,621,733,582	37,699,033,600
	111,149,390,142	**61,684,076,166**
अनुसूची VI : नकदी एवं बैंक में शेष :		
1. हाथ में नकदी	134,013	89,218
2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	357,098	1,968,401
3. अन्य बैंकों में शेष :		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	340,709,578	176,398,177
ii) अन्य जमा खातों में	7,320,000,000	3,265,000,000
(ख) भारत के बाहर	5,595,617,484	2,434,904,685
4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि	–	–
	13,256,818,173	**5,878,360,481**
अनुसूची VII : निवेश : (मूल्य में ह्रास का निवल, यदि कोई है)		
1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	8,321,003,801	5,628,274,950
2. ईक्विटी शेयर और स्टॉक	1,451,011,705	1,546,174,588
3. अधिमान शेयर एवं स्टॉक	370,855,450	278,856,751
4. अपरक्राम्य वचन-पत्र, डिबेंचर एवं बाँड	4,629,644,598	2,254,325,719
5. अन्य	3,813,487,793	3,188,466,750
	18,586,003,347	**12,896,098,758**

		इस वर्ष (यथा 31.03.2008 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2007 को)
		रुपये	रुपये
अनुसूची VIII :	**ऋण एवं अग्रिम :**		
	1. विदेशी सरकारें	31,077,433,515	18,966,865,012
	2. बैंक :		
	(क) भारत में	62,715,064,494	49,300,031,655
	(ख) भारत के बाहर	3,108,182,612	4,927,049,660
	3. वित्तीय संस्थाएं :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	3,749,680,359	2,535,005,912
	4. अन्य	175,616,241,664	142,833,485,859
		276,266,602,644	**218,562,438,098**
अनुसूची IX :	**भुनाये गये / पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन पत्र :**		
	(क) भारत में	11,500,000,000	10,300,000,000
	(ख) भारत के बाहर	–	–
		11,500,000,000	**10,300,000,000**
अनुसूची X :	**अचल आस्तियाँ :**		
	(लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)		
	1. परिसर	712,662,702	767,442,174
	2. अन्य	40,705,221	44,735,733
		753,367,923	**812,177,907**
अनुसूची XI :	**अन्य आस्तियाँ :**		
	1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज़		
	क) निवेशों / बैंक शेष राशियों पर	4,824,234,520	3,644,841,918
	ख) ऋणों और अग्रिम राशियों पर	2,501,699,101	1,718,609,386
	2. पूर्व प्रदत्त बीमा किस्त-		
	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. को प्रदत्त	130,730	311,600
	3. विविध पक्षों के पास जमाराशियां	24,474,281	22,859,116
	4. प्रदत्त अग्रिम आय कर	8,406,730,129	6,234,643,656
	5. अन्य	13,277,343,078	2,369,074,292
		29,034,611,839	**13,990,339,968**

		इस वर्ष (यथा 31.03.2008 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2007 को)
अनुसूची XII : अन्य व्यय :		**रुपये**	**रुपये**
1.	निर्यात संवर्धन व्यय	2,776,781	7,400,191
2.	डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय	2,270,782	3,625,739
3.	मरम्मत और रखरखाव	41,086,959	37,861,011
4.	मुद्रण और लेखन सामग्री	10,327,460	11,832,812
5.	अन्य	263,367,437	229,742,664
		319,829,419	**290,462,417**
अनुसूची XIII : ब्याज एवं छूट :			
1.	ऋणों और अग्रिमों / बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	19,052,738,299	14,004,088,949
2.	निवेशों / बैंक शेष राशियों पर आय	5,285,878,313	4,424,866,147
		24,338,616,613	**18,428,955,096**
अनुसूची XIV : अन्य आय :			
1.	निवेशों की बिक्री / पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	2,845,118,435	442,990,756
2.	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	372,804	773,960
3.	अन्य	21,623,130	140,984,689
		2,867,114,369	**584,749,405**

टिप्पणी : 1. 'देयताओं' के अंतर्गत 595.77 मिलियन यू एस डॉलर की जमाराशियों [अनुसूची IV (क) देखिए] (गत वर्ष 597.89 मिलियन यू एस डॉलर) तथा आस्तियों के अंतर्गत रेसीप्रोकल जमाओं/निवेशों [अनुसूचियां VI 3 (क) (ii) एवं VII 4 देखिए] कुल 2,394.03 करोड़ रुपये (गत वर्ष 2,649.01 करोड़ रुपये) को निवलित किया गया है।

2. विक्री पर निवल लाभ / निवेशों के पुनर्मूल्यन में ग्लोबल ट्रेड फाइनांस लिमिटेड में बैंक के 40 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से प्राप्त 1.99 बिलियन रुपये की राशि शामिल है।

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2008 को

देयताएं

		इस वर्ष (यथा 31.03.2008 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2007 को) रुपये
1.	ऋण :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
2.	अनुदान :		
	(क) सरकार से	128,307,787	128,307,787
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
3.	उपहार, दान, उपकृतियाँ :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
4.	अन्य देयताएँ	70,979,318	65,864,318
5.	लाभ और हानि लेखा	218,502,780	199,409,179
	योग	**417,789,885**	**393,581,284**

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	–	–
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर	–	–
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv)	अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	–	–
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	–	–
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाणपत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	–	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है	–	–

टिप्पणी 1 : भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम) की धारा 15 की शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा 'निर्यात विकास निधि' की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 17 की शर्तों के अनुसार, किसी भी ऋण अथवा अग्रिम की मंजूरी से पहले अथवा ऐसी कोई व्यवस्था करने से पहले भारतीय निर्यात-आयात बैंक को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

टिप्पणी 2 : भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 37 (जो अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि निर्यात संवर्धन निधि की कोई भी आय, लाभ अथवा उसमें प्रोद्भूत होने वाले अभिलाभ अथवा इस निधि में जमा किये जाने के लिए प्राप्त राशि पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा), का वित्त (संख्या 2) अधिनियम 1998 द्वारा 1 अप्रैल 1999 से लोप किया गया है। एक्ज़िम बैंक को यह सूचित किया गया है कि, उक्त धारा चूँकि 31 मार्च 1999 तक प्रभावी थी अतः यह छूट, लेखा वर्ष 1998-99 की समाप्ति तक निधि को प्रोद्भूत अथवा उद्भूत आय के संबंध में उपलब्ध रहेगी। एक्ज़िम बैंक ने इस मामले में आयकर निर्धारण वर्ष 1999-2000 उक्त वर्ष के लिए 66.18 लाख रुपये के कर की अदायगी भी कर दी थी। बैंक अदा किये गये कर की वापसी के लिए अनुवर्तन कर रहा है। मामला आय-कर अपीलीय प्राधिकरण, मुंबई के पास लंबित है।

निर्यात संवर्धन निधि

आस्तियाँ

		इस वर्ष (यथा 31.03.2008 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2007 को) रुपये
1.	बैंक शेष		
	(क) चालू खातों में	242,506	74,221
	(ख) अन्य जमा खातों में	340,097,583	317,998,902
2.	निवेश	–	–
3.	ऋण एवं अग्रिम :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	8,505,318	8,505,318
4.	भुनाए गए, पुनर्भुनाए गए विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	–	–
5.	अन्य आस्तियाँ		
	(क) निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
	i) ऋण एवं अग्रिम	–	–
	ii) निवेश / बैंक शेष	6,858,775	14,485,843
	(ख) प्रदत्त अग्रिम आय कर	62,085,703	52,517,000
	(ग) अन्य	–	–
	योग	**417,789,885**	**393,581,284**

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एस.आर. राव
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ **श्री ए. वी. मुरलीधरन** **श्री एस. पी. ओसवाल**

श्री अरुणाचलम वेल्लयन **श्रीमती किरन मजूमदार-शॉ**

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन बी एस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(प्रदीप जे. शेट्टी)
साझेदार (एम. सं. 46940)

मुम्बई
दिनांक : 26 अप्रैल, 2008

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज	–	–
2.	अन्य व्यय	–	–
3.	तुलन-पत्र को ले जाया गया लाभ	28,925,601	23,611,714
	योग	**28,925,601**	**23,611,714**
	आय कर के लिए प्रावधान	9,832,000	7,947,000
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ	19,093,601	15,664,714
		28,925,601	**23,611,714**

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में, भारत के राष्ट्रपति

1) हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की निर्यात संवर्धन निधि के संलग्न यथा 31 मार्च 2008 के तुलन-पत्र और साथ ही उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की निर्यात संवर्धन निधि के लाभ और हानि लेखे (एक साथ 'वित्तीय विवरण पत्र' के रूप में निर्दिष्ट) की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।

2) हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की है, इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करनेवाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त, लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण अनुमानों का आकलन एवं साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि :

क. लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किये हैं और वे संतोषजनक हैं।

ख. हमारी राय में तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किये गये हैं।

ग. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्र, उस पर टिप्पणियों के साथ पठित, आवश्यक सभी विवरणों से युक्त एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है और इसे इस तरह से उचित रूप में तैयार किया गया है कि यह यथा 31 मार्च 2008 को बैंक के निर्यात संवर्धन निधि के कार्यों की स्थिति की, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची व सही स्थिति प्रदर्शित करे।

कृते **एन बी एस एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 26 अप्रैल, 2008

(प्रदीप जे. शेट्टी)
साझेदार
एम. सं. 46940

निर्यात संवर्धन निधि

आय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज और बट्टा		
	(क) ऋण एवं अग्रिम	–	–
	(ख) निवेश / बैंक शेष	28,925,601	23,339,714
2.	विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस	–	–
3.	अन्य आय	–	272,000
4.	तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि	–	–
	योग	**28,925,601**	**23,611,714**
	लाभ , नीचे लाया गया	28,925,601	23,611,714
	पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज कर के प्रावधान का प्रतिलेखन	–	–
		28,925,601	**23,611,714**

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एस.आर. राव
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ

श्री ए. वी. मुरलीधरन

श्री एस. पी. ओसवाल

श्री अरुणाचलम वेल्लयन

श्रीमती किरन मजूमदार-शॉ

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन बी एस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(प्रदीप जे. शेट्टी)
साझेदार (एम. सं. 46940)

मुम्बई
दिनांक : 26 अप्रैल, 2008

नकदी प्रवाह विवरणी

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	राशि (रुपये मिलियन में) इस वर्ष	 गत वर्ष
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	5,333.6	3,908.8
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
– अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से (लाभ)/हानि	(0.4)	(0.8)
– निवेशों (निवल) की बिक्री से (लाभ)/हानि	(2,845.1)	(443.0)
– मूल्य ह्रास	79.6	66.5
– बट्टे में डाले गए बांड निर्गमों पर बट्टा/व्यय	156.8	132.0
– निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतर	—	—
– ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/बट्टे खाते डालना	2,164.1	11.4
– अन्य - उल्लेख करें	—	—
	4,888.6	3,674.9
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
– अन्य आस्तियां	(13,029.0)	(2,287.5)
– चालू देयताएं	2,771.7	2,081.6
परिचालनों से नकदी निर्माण	**(5,368.7)**	**3,469.0**
आय कर/ब्याज कर की अदायगी	(2,172.1)	(786.2)
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	**(7,540.8)**	**2,682.8**
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– अचल आस्तियों की निवल खरीद	(20.4)	(302.2)
– निवेशों में निवल परिवर्तन	(2,844.8)	(3,229.4)
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/से जुटायी गयी निवल नकदी	**(2,865.2)**	**(3,531.6)**

सामान्य निधि

	राशि (रुपये मिलियन में)	
	इस वर्ष	गत वर्ष
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– लगायी गयी ईक्विटी पूँजी से	1,000.0	500.0
– लिए गए ऋणों (की गयी पुनर्अदायगी की निवल राशि) से	76,644.7	56,389.8
– लिए गए ऋणों, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त पुनर्अदायगी का निवल) से	(58,904.1)	(53,931.5)
– ईक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर से केंद्र सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष	(956.2)	(989.2)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त/से जुटाई गई निवल नकदी प्रवाह	**17,784.4**	**1,969.1**
नकदी और नकद तुल्य में निवल वृद्धि /(गिरावट)	**7,378.4**	**1,120.3**
प्रारंभिक नकदी एवं नकदी तुल्य	5,878.4	4,758.1
अंतिम नकदी एवं नकदी तुल्य	13,256.8	5,878.4

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.आर. राव
कार्यपालक निदेशक

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ **श्री ए. वी. मुरलीधरन** **श्री एस. पी. ओसवाल**

श्री अरुणाचलम वेल्लयन **श्रीमती किरन मजूमदार-शॉ**

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन बी एस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(प्रदीप जे. शेट्टी)
साझेदार (एम. सं. 46940)

मुम्बई
दिनांक : 26 अप्रैल, 2008

लेखों की टिप्पणियाँ

I महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

(i) वित्तीय विवरण

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा (सामान्य निधि एवं निर्यात संवर्धन निधि), भारत में प्रचलित लेखा सिद्धातों के अनुसार तैयार किये गये हैं तथा ये सामान्यत: अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों के भी समनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेख भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 में दिए गए रूप में तथा ढंग से तैयार किए गए हैं, जिसे भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का संख्याक 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस एफ आइ डी. सं. सी 18 / 01.02.00/2000-01, दिनांकित 13 अगस्त 2005 और उसके बाद में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात /आंकड़े, 'लेखों की टिप्पणियाँ' के खंड के रूप में दर्शाए गए हैं।

(ii) राजस्व निर्धारण

गैर निष्पादक आस्तियों और 'भारग्रस्त आस्तियों' पर ब्याज, दंड स्वरूप ब्याज, वचनबद्धता प्रभार जिन्हें नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय/व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। गैर निष्पादक आस्तियों का निर्धारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया है। एक्ज़िम बैंक के बांडों पर दिया जाने वाला बट्टा / मोचन प्रीमियम बांड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

(iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

तुलन-पत्र में दर्शाई गई ऋण और अग्रिम राशियों में गैर निष्पादक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियाँ शामिल हैं। प्राप्त होने वाले ब्याज को 'अन्य आस्तियों' में समूहित किया गया है।

खाते की कमज़ोरी और वसूली हेतु संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है: मानक आस्तियाँ, अवमानक, आस्तियाँ, संदिग्ध आस्तियाँ और हानि आस्तियाँ। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप है।

(iv) निवेश

संपूर्ण निवेश-संविभाग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) 'परिपक्वता तक धारित' (परिपक्वता तक धारित करने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियाँ),

(ख) 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' (प्रतिभूतियाँ इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय-विक्रय किया जाए) और

(ग) 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (शेष निवेश)।

प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को निम्नलिखित रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया है:

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
iii) शेयर
iv) डिबेंचर और बांड

v) सहायक कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों में निवेश

vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड की यूनिटों आदि में)

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन और निवेशों का मूल्य निर्धारण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किये गये मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

(v) अचल आस्तियाँ मूल्य ह्रास

(क) अचल आस्तियाँ को संचयी मूल्यह्रास घटाकर परंपरागत लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर स्वयं के स्वामित्ववाली इमारतों के लिए बीस वर्षों की अवधि में तथा अन्य आस्तियों के लिए चार वर्षों की अवधि में किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के बारे में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

(घ) जहाँ किसी अवक्षयी आस्ति को निपटा दिया गया है, त्याग दिया है, गिरा दिया गया नष्ट कर दिया है, ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित किया गया है।

(vi) विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन

(क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दर पर नियत किया गया है।

(ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।

(ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है, तथा इससे उत्पन्न होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।

(घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य दाायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं के रूप में शामिल किया गया है।

(vii) गारंटियाँ

(क) अवधि समाप्त गारंटियों को मूल दस्तावेज़ों की वापसी और निरसन तक आकस्मिक देयताओं के रूप में शामिल किया गया है।

(ख) ई सी जी सी पालिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(viii) कर्मचारियों के सेवांत लाभ हेतु प्रावधान

(क) बैंक ने पृथक रूप से भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि की स्थापना की है, जिन्हें आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त है। उपदान और पेंशन संबंधी देयताओं का अनुमान बीमांकिक आधार पर लगाया गया है और देय राशियाँ, यदि कोई हैं, का अंतरण प्रत्येक वर्ष उपदान निधि और पेंशन निधि में कर दिया जाता है। छुट्टी के नकदीकरण के प्रति देयता के लिए वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है।

(ix) आय पर करों का लेखांकन

(क) चालू कर के लिए प्रावधान संबंधित संविधि के अधीन अदायगी योग्य कर पर आधारित, किया गया है।

(ख) आस्थगित कर की गणना कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतर की दृष्टि से कर दरों पर तथा अधिनियमित विधि अथवा तुलन-पत्र की सम दिनांक को प्रमुखत: अधिनियमित अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक हिसाब में लिया गया है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।

II लेखों की टिप्पणियाँ - सामान्य निधि

1. एजेंसी लेखा

चूंकि एक्ज़िम बैंक भारतीय संविदाकारों से संबंधित कतिपय सौदों को इराक में सुगम बनाने के लिए केवल एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है अतएव भारत को समनुदेशित 24.92 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 27.00 बिलियन रुपये) की राशि सहित बैंक को सूचित की गई एजेंसी खाते में धारित 27.57 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 29.88 बिलियन रुपये) की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियाँ उपर्युक्त तुलन-पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. आय कर

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 37 (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित था कि एक्ज़िम बैंक द्वारा व्युत्पन्न किसी लाभ अथवा अभिलाभ अथवा प्राप्त की गई किसी राशि पर कर नहीं लगाया जाएगा), 1 अप्रैल 1999 तक लागू थी, अतएव लेखा वर्ष 1998-99 के अंत तक उपचित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली आय के लिए छूट उपलब्ध होगी । तथापि एक्ज़िम बैंक ने कराधान के लिए प्रावधान किया था तथा आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि का निर्माण कर लिया था तथा बैंक ने इस मामले में अपने अधिकरों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त वर्ष के लिए 0.79 बिलियन रुपय के कर की तथा 0.06 बिलियन रुपये ब्याज कर की अदायगी भी कर दी थी। ब्याज कर के संबंध में आयकर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि चूंकि एक्ज़िम बैंक अधिनियम 1981 की धारा (37) का लोप 1 अप्रैल 1999 से प्रभावी है अत: बैंक से ब्याज कर की अदायगी नहीं की जानी चाहिए। तदनुसार बैंक ब्याज कर की वापसी के लिए आयकर विभाग के साथ अनुवर्तन कर रहा है। आयकर के लिए मामला अभी भी विचारार्थ लंबित है। इसके अलावा बैंक ने कर निर्धारण वर्ष 2000-01 से 2006-07 के लिए आय कर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग के प्रति भुगतान कर दिया है। भुगतान की गई राशि आयकर विभाग के पास अपील के अंतर्गत वापसी योग्य राशि को घटाकर है।

बैंक की पूंजी संपूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा अभिदत्त है तथा बैंक में कोई अन्य शेयर पूंजी नहीं है। अत: भारतीय-निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 की धारा 23 (2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय लाभ अधिशेष को लाभांश नहीं कहा जा सकता। परिणाम स्वरूप आइ टी ए टी द्वारा वाद सं. आई टी ए सं. 2025/मुंबई /2000 में 18 दिसंबर 2006 को पारित निर्णय के अलोक में लाभांश वितरण कर देय नहीं है अत: इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. (क) आकस्मिक देयताएं

गारंटियों में 10.60 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 9.15 बिलियन रुपये) की अवधि समाप्त गारंटियाँ शामिल हैं, जिन्हें बहियों में से निरस्त किया जाना है।

(ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत 'बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया' के रूप में दिखाई गई 3.18 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 3.11 बिलियन रुपये) की राशि बैंक के चूककर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध किए गए दावों / प्रतिदावों से संबंधित है जो बैंक द्वारा उनके विरुद्ध शुरू की गई विधिक कार्रवाई के कारण है। बैंक के सॉलिसिटरों की राय में कोई भी दावा/प्रतिदावा चलाने - योग्य नहीं है। कोई भी मामला अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है। व्यावसायिक सलाह के आधार पर इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा / ब्याज दर विनिमय

(i) यथा 31 मार्च 2008 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूरी तरह से प्रतिरक्षा की गई है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जुलाई 1999 के परिपत्र संदर्भ सं. एम पी डी.बी सी. 187/07.01.279/1999-2000 के जरिए एवं उसके बाद जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति देयता प्रबंध के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव सौदे (ब्याज दर विनिमय, वायदा कर करार तथा मुद्रा - सह- ब्याज दर विनिमय) करता है। बैंक आवश्यकताओं तथा बाज़ार स्थितियों के आधार पर ऐसे सौदों को खोलता भी है तथा पुन: करता है। बकाया डेरिवेटिव सौदों को ब्याज दर संवेदनशीलता स्थिति में कैप्चर किया जाता है जिसकी एल्को द्वारा निगरानी और बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है। डेरिवेटिव्स का ऋण समतुल्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विद्यमान 'करंट एक्सपोजर' पद्धति के अनुसार निकाला जाता है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पी वी 01) के उचित मूल्य तथा कीमत मूल्य को रिज़र्व

बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार 'लेखों की टिप्पणियों' में अलग से प्रकट किया गया है। वायद दर संविदाओं से होने वाले लाभ या बट्टे को संविदा की पूरी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। वायदा दर संविदाओं के निरस्तीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय / व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(ii) एक्ज़िम बैंक ने कतिपय भारतीय आवास वित्तपोषण कंपनियो के साथ करेंसी-कम-इंटरेस्ट स्वैप व्यवस्था की है। यह व्यवस्था उन कंपनियों के साथ की गई जिनसे बैंक ने उनके द्वारा जारी बांडों में अभिदान के रूप में रखी गयी रुपया निधि के बदले दीर्घावधि यू एस डॉलर जमाराशियाँ स्वीकार की हैं। चूंकि रुपया निधि में रखी गई जमा राशियां निवेश प्रकृति की नहीं हैं अत: उन्हें बैंक द्वारा प्राप्त यू एस डॉलर निधियों के पेटे विलित किया गया है। यू एस डॉलर निधियों पर बैंक द्वारा प्रदत्त ब्याज को ब्याज व्यय के अंतर्गत हिसाब में लिया गया है। जबकि रुपया निधि पर बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज राशि को लाभ हानि खाते के अंतर्गत निवेशों / बैंक जमा राशियों पर ब्याज के अंतर्गत हिसाब में लिया गया है।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक को डेरिवेटिव संव्यवहारों के लिए मार्केट मेकर की भूमिका निभाने की अनुमति नही है और परिणामत: ऐसे डेरिवेटिव संव्यवहारों के लिए बैंक का अपने ग्राहकों के लिए कोई एक्सपोजर नहीं है।

(घ) मुद्रा विनिमय दर घट-बढ़ पर लाभ/हानि

विदेशी मुद्रा में उल्लिखित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दरों पर अंतरित किया जाता है। आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है। इन अंतरणों पर कुल लाभ 0.08 बिलियन रुपये (गत वर्ष हानि 0.01 बिलियन रुपये) है।

<u>भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार - अतिरिक्त सूचना</u>

4. पूंजी

(क)

विवरण	यथा 31 मार्च 2008 को	यथा 31 मार्च 2007 को
(i) जोखिम आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सी आर ए आर)	15.13%	16.38%
(ii) जोखिम आस्तियों की तुलना में मुख्य पूंजी अनुपात	13.41%	15.16%
(iii) जोखिम आस्तियों की तुलना में अनुपूरक पूंजी अनुपात	1.72%	1.22%

(ख) 'अपरक्राम्य वचन-पत्र', बांड और डिबेंचर 'में 8% 2022 बांड शामिल है। जिसमें सरकार ने 5.59 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 5.59 बिलियन रुपये) का अभिदान किया है। ये बांड अप्रतिभूति हैं और बैंक द्वारा प्रदान की गई सभी उधार राशियों / जमाओं/गौण ऋणों के मुकाबले में गौण हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक / सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों के अधीन ये बैंक की टीयर-I की पूंजी के लिए पात्र हैं।

(ग) यथा 31 मार्च 2008 को टीयर - II पूंजी के रूप में जुटाये गये और बकाया गौण ऋण की राशि: कुछ नहीं (पिछले वर्ष : कुछ नहीं)

(घ) जोखिम भारित आस्तियाँ

(बिलियन रुपये)

विवरण	यथा 31 मार्च 2008 को	यथा 31 मार्च 2007 को
(i) तुलन-पत्र 'की' मदें	228.08	182.64
(ii) तुलन-पत्र में 'शामिल नहीं की गई' मदें	29.95	25.07

(ङ) तुलन-पत्र की तारीख को शेयरधारित का स्वरूप : भारत सरकार द्वारा पूर्णत: अभिदत्त ।

- जोखिम आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात और अन्य मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।

5. यथा 31 मार्च 2008 को आस्ति-गुणवत्ता और ऋण-संकेन्द्रण

(क) निवल ऋणों और अग्रिमों की तुलना में गैर-निष्पादक आस्तियों की प्रतिशतता : 0.29 (गत वर्ष 0.50)

(ख) निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों के अंतर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों की राशि और प्रशितता:

(बिलियन रुपये)

विवरण	यथा 31 मार्च 2008 को		यथा 31 मार्च 2007 को	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
अवमानक आस्तियाँ	0.41	0.14	1.08	0.47
संदिग्ध आस्तियाँ	0.42	0.15	0.07	0.03
हानि आस्तियाँ	-	-	-	-
योग	0.83	0.29	1.15	0.50

(ग) वर्ष के दौरान निम्नलिखित मदों के लिए किए गए प्रावधान :

(बिलियन रुपये)

विवरण	2007-08	2006-07
मानक आस्तियाँ	1.44	0.21
अनर्जक आस्तियाँ	1.13	1.09
निवेश (जो अग्रिम के स्वरूप को छोड़कर अन्य स्वरूप के हैं)	0.54	0.24
आय-कर	2.00	0.91

(घ) निवल अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ :

(बिलियन रुपये)

विवरण	2007-08	2006-07
वर्ष के आरंभ में निवल अनर्जक -आस्तियाँ	1.15	1.05
जोडें : वर्ष के दौरान अनर्जक -आस्तियाँ	0.41	0.13
घटाएं : वर्ष के दौरान वसूलियाँ / कोटि उन्नयन	0.73	0.03
वर्ष की समाप्ति पर निवल अनर्जक-आस्तियाँ	0.83	1.15

(ङ) अनर्जक - आस्तियों (जिसमें ऋण, बांड और अग्रिम के रूप में डिबेंचर और अंतर-कंपनी जमा राशियाँ शामिल हैं) के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)

(बिलियन रुपये)

विवरण	2007-08	2006-07
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	3.88	4.35
जोडें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1.13	1.09
घटाएं : अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डालना / पुनरांकन	1.26	1.56
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	3.75	3.88

(च) आस्ति पुनर्निर्माण हेतु वर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ :

विवरण	
(i) खातों की संख्या -	2
(ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का (प्रावधानों का निवल)	0.52 बिलियन रुपये
(iii) कुल प्रतिफल	0.59 बिलियन रुपये
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में स्थानांतरित खातों के लिए विषय में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	0.20 बिलियन रुपये
(v) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ	0.01 बिलियन रुपये

- 'पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई आस्तियों' को भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र डी बी ओ डी सं एफ आइ डी.एफ आइ सी. 2/01.02.00/2006-07 दिनांकित 1 जुलाई 2006 और उसके बाद के दिशा निर्देशों में परिभाषित अनुसार हिसाब में लिया गया है।

(छ) अनर्जक निवेश

(बिलियन रुपये)

विवरण	2007-08	2006-07
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	0.38	0.24
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.09	0.14
वर्ष के दौरान घटाई गई राशियाँ	0.18	-
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	0.29	0.38
धारित कुल प्रावधान	0.24	0.32

(ज) निवेशों में मूल्यऱ्हास के लिए प्रावधान

(बिलियन रुपये)

विवरण	2007-08	2006-07
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	0.91	0.67
जोड़ें :		
(i) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	0.54	0.24
(ii) वर्ष के दौरान निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे से विनियोग, यदि कोई है	-	-
घटाएं :		
(i) वर्ष के दौरान बटटा खाता	-	-
(ii) निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे में अंतरण, यदि कोई है	-	-
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	1.45	0.91

(झ) यथा 31 मार्च 2008 को पुनर्संरचित मानक आस्तियाँ : शून्य (गत वर्ष 0.41 बिलियन रुपये)

(ञ) यथा 31 मार्च 2008 को पुनर्संरचित अवमानक आस्तियाँ : शून्य (गत वर्ष शून्य बिलियन रुपये)

(ट) यथा 31 मार्च 2008 को पुनर्संरचित संदिग्ध आस्तियाँ : 0.20 शून्य बिलियन (गत वर्ष शून्य बिलियन रुपये)

(ठ) वर्ष के दौरान की गई कंपनी ऋण पुनर्संरचना (सी डी आर) :

(बिलियन रुपये)

विवरण	2007-08	2006-07
(क) ऋण आस्तियाँ		
कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन पुनर्संरचित	0.58	0.74
खातो की संख्या	2	2
बलिदान राशि	0.04	0.04
(ख) मानक आस्तियाँ		
कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन पुनर्संरचित मानक आस्तियों की राशि	0.58	—
खातो की संख्या	2	—
बलिदान राशि	0.04	—
(ग) अवमानक आस्तियाँ		
कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन अवमानक- आस्तियों की राशि	—	0.41
खातो की संख्या	—	1
बलिदान राशि	—	0.04
(घ) संदिग्ध आस्तियाँ		
कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन पुनर्संरचित संदिग्ध आस्तियों की राशि	—	0.33
खातो की संख्या	—	1
बलिदान राशि	—	—

(ड) ऋण सहायता :

विवरण	पूँजी निधियों की तुलना में प्रतिशतता*	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता @	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	19.85	1.33	1.93
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	48.67	3.26	4.74
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	147.02	9.83	14.32
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	222.50	14.88	21.67

* यथा 31 मार्च 2007 को पूंजी निधियाँ

गत वर्ष :

विवरण	पूँजी निधियों की तुलना में प्रतिशतता*	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता @	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	17.35	1.36	2.14
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	27.74	2.17	3.43
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	127.98	10.01	15.80
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	155.85	12.19	19.24

* यथा 31 मार्च 2006 को पूंजी निधियाँ

@ कुल ऋण सहायता : ऋण + अग्रिम राशियाँ + उपयोग नहीं की गई मंजूरियाँ + गारंटियाँ+व्युत्पन्नों के कारण ऋण सहायता।

1) बैंकों और समुद्रपारीय संस्थाओं को प्रदान किए गए ऐसे ऋण, जिनकी गारंटी भारत सरकार ने दी है, उन्हें उनके आदेशानुसार दिया गया माना गया है, अत: उन पर एकल/समूह उधारकर्ता के रूप में विचार नहीं किया गया है।

2) वर्ष 2007-08 के दौरान पूंजी निधियों के 15% से अधिक निवेश वाले तीन उधारकर्ता थे जिनके लिए बोर्ड, प्रबंधन समिति का अनुमोदन लिया गया था । 31 मार्च 2008 को उधारकर्ता को कुल ऋण-राशि, बैंक की पूंजी निधियों का 19.85%, 19.68% तथा 19.35% थी ।

3) वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान केवल एक ऐसा उधारकर्ता था जिसके लिए ऋण सहायता की सीमा पूंजी निधियों के 40 प्रतिशत से अधिक थी जिसके लिए बोर्ड, प्रबंधन समिति का अनुमोदन लिया गया था । यथा 31 मार्च 2008 को इस उधारकर्ता को कुल ऋण-राशि, बैंक की पूंजी निधियों का 48.67 % थी जिसमें एक ढांचागत परियोजना के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई 11.17% की ऋण सहायता शामिल है।

(ढ) पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण सहायता :

क्षेत्र	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता	ऋण आस्तियाँ की तुलना में प्रतिशतता
i) वस्त्र और परिधान	12.60	12.87
ii) रसायन एवं उत्पाद	7.85	8.01
iii) निर्माण	7.49	7.65
iv) धातु और धातु प्रसंस्करण	7.35	7.50
v) पूँजीगत माल	7.34	7.49

गत वर्ष :

क्षेत्र	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) वस्त्र परिधान	12.49	13.15
ii) इंजीनियरी सामान	8.96	9.44
iii) निर्माण	8.70	9.17
iv) धातु और धातु प्रसंस्करण	6.94	7.31
v) रसायन तथा रंजक	6.71	7.07

- 'ऋण सहायता ' की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है। बैंकों को ऋण सहायता और समुद्रपारीय सत्ताओं की ऋण-व्यवस्थाएं / क्रेता ऋण सहायता को, इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(ण) गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में निर्गमकर्ता वर्ग

(बिलियन रुपये)

क्रम संख्या	निर्गमकर्ता	राशि	राशि			
			निजी नियोजन के माध्यम से किये गये निवेश की राशि	'निवेश कोटि से कम स्तर' की धारित प्रतिभूतियां	धारित-दर निर्धारित न की गई प्रतिभूतियां	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.05	-	-	0.05	0.05
2	वित्तीय संस्थाएं	0.24	-	-	0.24	0.24
3	बैंक	0.25	0.15	-	0.10	0.10
4	निजी कंपनियाँ	6.75	5.91	-	4.25	3.41*
5	सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम	-	-	-	-	-
6	अन्य	3.81	-	-	0.06	0.06
7	# मूल्य में कमी के लिए धारित प्रावधान	0.84	-	-	-	-
	कुल	11.10	6.06	-	4.70	3.86

किए गए प्रावधान की कुल राशि को ही कॉलम 3 में दिखाया गया है।

* इसमें से 2.47 बिलियन रुपये ए आर सी आइ एल द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद तथा 0.81 बिलियन रुपये ऋण की पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में अर्जित शेयर / डिबेंचर में निवेश किए गए हैं।
उक्त कॉलम 4,5,6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य (म्युचुअली एक्सक्लूसिव) नहीं है।

गत वर्ष :

क्रम संख्या	निर्गमकर्ता	राशि	राशि			
			निजी नियोजन के माध्यम से किये गये निवेश की राशि	'निवेश कोटि से कम स्तर' की धारित प्रतिभूतियां	धारित-दर निर्धारित न की गई प्रतिभूतियां	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.05	-	-	0.05	0.05
2	वित्तीय संस्थाएं	0.24	-	-	0.24	0.24
3	बैंक	0.20	0.05	-	0.15	0.08
4	निजी कंपनियाँ	3.59	3.02	-	3.56	3.00*
5	सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम	0.33	-	-	0.33	0.33
6	अन्य	3.19	-	-	0.15	0.15
7	# मूल्य में कमी के लिए धारित प्रावधान	0.33	-	-	-	-
	कुल	7.60	3.07	-	4.48	3.85

किए गए प्रावधान की कुल राशि को ही कॉलम 3 में दिखाया गया है।

* इसमें से 2.15 बिलियन रुपये ए आर सी आइ एल द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद तथा 0.73 बिलियन रुपये ऋण की पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में अर्जित शेयर / डिबेंचर में निवेश किए गए हैं।

उक्त कॉलम 4,5,6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य (म्युचुअली एक्सक्लूसिव) नहीं है।

6. चल निधि

(क) रुपया- आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप; और

(ख) विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप ।

(बिलियन रुपये)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	142.06	85.59	57.29	35.72	40.88	361.54
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	69.09	44.83	46.26	24.78	24.02	208.98
कुल आस्तियाँ	211.15	130.42	103.55	60.50	64.90	570.52
रुपया देयताएं	127.86	82.81	48.35	15.63	58.78	333.43
विदेशी मुद्रा देयताएं	68.30	44.61	46.05	24.35	23.69	207.00
कुल देयताएं	196.16	127.42	94.40	39.98	82.47	540.43

गत वर्ष : (बिलियन रुपये)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	97.86	72.37	34.77	28.49	30.66	264.15
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	56.51	48.19	46.72	9.15	10.86	171.43
कुल आस्तियाँ	154.37	120.56	81.49	37.64	41.52	435.58
रुपया देयताएं	90.15	51.37	34.32	28.15	55.54	259.53
विदेशी मुद्रा देयताएं	55.57	48.02	46.27	9.11	10.77	169.74
कुल देयताएं	145.72	99.39	80.59	37.26	66.31	429.27

- आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता स्वरूप के लिए आस्तियों और देयताओं की विभिन्न मदों का समूहन आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित तारीख 31 दिसंबर 1999 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस.एफ आइ डी. सं.सी-11/01.02.00/1999-2000 के मागदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्दिष्ट समय-सूमहों में किया गया है ।

(ग) रेपो लेन-देन : (बिलियन रुपये)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2008 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
उलटे रेपों के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—

गत वर्ष : (बिलियन रुपये)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2008 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	—	2.75	0.02	—

7. **(क)** भारतीय रिज़र्व बैंक के 2 जुलाई 2007 के दिशानिर्देश और उसके बाद के दिशानिर्देशों के अनुसार डेरीवेटिव में जोखिमों प्रकटीकरण

1. बैंक बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से मुख्यत: अपने तुलन पत्र जोखिमों को हेज करने तथा प्रभावी न्यून लागत विधियों को जुटाने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव का उपयोग करता है। बैंक वर्तमान में केवल 'ओवर दि काउंटर' (ओ टी सी) ब्याजदर तथा करेंसी डेरीवेटिव्स यथा स्वैप आदि का ही उपयोग करता है।

2. डेरीवेटिव संव्यवहारों में दो जोखिम यथा

(i) बाज़ार जोखिम अर्थात ब्याज दरों / विनिमय दरों के प्रतिकूल प्रचलन से बैंक को संभावित हानि

(ii) ऋण जोखिम अर्थात प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक से हानि की संभावना, विहित रहते हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक डेरीवेटिव नीति लागू है। जिसका उद्देश्य संपूर्ण आस्ति देयता स्थिति तथा संव्यवहार स्तर पर ही जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप डेरीवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने, नियंत्रण तथा निगरानी उपायों की स्थापना सहित नियामक प्रलेखन तथा लेखा संबंधी मुद्दों को परिभाषित किया गया है। इसमें बाजार जोखिम को नियंत्रित करने तथा प्रबंध करने (स्टॉप लॉस लिमिट, ओपेन पोजिशन लिमिट / ड्यूरेशन, मॉडीफाइड ड्यूरेशन आदि) संबंधी जोखिम मानदडों को भी निर्धारित किया गया है।

3. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के मिड ऑफिस जो डेरीवेटिव संव्यवहारों से जुड़े बाजार जोखिमों का आकलन और निगरानी करता है, की सहायता से बाज़ार जोखिम प्रबंधन कार्य की देख-रेख करती है।

4. डेरीवेटिव संव्यवहारों से प्राप्त आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

5. आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत बकाया वायदा दर संविदाओं में ब्याज दर स्वैप शामिल नहीं है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक की डेरीवेटिव नीति के अनुपालन के संदर्भ में है जिसका अनुमोदन जुलाई 2007 में बैंक के बोर्ड द्वारा किया गया है।

ख) मात्रात्मक प्रकटन

(बिलियन रुपये)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा डेरीवेटिव	ब्याज दर डेरीवेटिव
1	डेरीवेटिव (सांकेतिक मूलधन राशि)		
	क) हेजिंग के लिए	89.04	18.25
	ख) ट्रेडिंग के लिए	—	—
2	मार्क-टु-मार्केट स्थितियाँ		
	क) आस्ति (+)	11.37	—
	ख) देयता (-)	—	—
3	ऋण सहायता	15.08	0.28
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पी वी 01)		
	क) हेजिंग डेरीवेटिव पर	1.05	0.30
	ख) ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	—	—
5	वर्ष के दौरान देखी गयी 100*पी वी 01 का अधिकतम और न्यूनतम		
	क) हेजिंग पर		
	(i) अधिकतम	1.07	0.43
	(ii) न्यूनतम	0.96	0.30
	ख) ट्रेडिंग पर (i) अधिकतम (ii) न्यूनतम	 — —	 — —

(ग) एक्सचेंजों में व्यापार किए गए ब्याज डेरीवेटिव के संबंध में प्रकटन

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की सांकेतिक राशि (लिखत अनुसार)	कुछ नहीं
2.	31 मार्च, 2008 को एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि (लिखत अनुसार)	कुछ नहीं
3.	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की सांकेतिक मूल राशि बकाया किंतु ''हाइली इफेक्टिव'' नहीं (लिखत अनुसार)	कुछ नहीं
4.	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की मार्क टू मार्केट मूल्य - की बकाया किंतु ''हाइली इफेक्टिव'' नहीं (लिखत अनुसार)	कुछ नहीं

(घ) वायदा दर करार एवं ब्याज दर स्वैप पर प्रकटीकरण (बिलियन रुपये)

क्रम सं.	विवरण	हेज	व्यापार
1.	स्वैप करारों का मूल सांकेतिक मूल्य	18.2456	—
2.	प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा करार के दायित्वों का निर्वहन न करने पर संभावित हानि	0.0059	—
3.	स्वैप्स से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।	—
4.	स्वैप बही का सही मूल्य	0.0008	—

स्वैप की प्रकृति तथा शर्तें: सभी संव्यवहार बैंक की आस्ति तथा देयताओं से निहित हैं तथा इन्हें बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन स्थिति की प्रतिरक्षा करने के उद्देश्य से किया गया है।

8. परिचालनगत परिणाम

क्रम सं.	विवरण	2007-08	2006-07
(i)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.20	8.09
(ii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	1.28	0.53
(iii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन - लाभ	2.53	1.72
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल	1.12	1.31
(v)	प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ	15.00	14.10

- परिचालन परिणाम के लिए कार्यशील निधियों तथा कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत में, अनुवर्ती छमाही के अंत में तथा समीक्षाधीन वर्ष के अंत में, आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है। ('कार्यशील निधियाँ' कुल आस्तियों से संबंधित है),
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना करने के लिए सभी संवर्गों में सभी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को हिसाब में लिया गया है।

9. अचल आस्तियों के विवरण

अचल आस्तियों के विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक ए एस-10 के अनुसार नीचे दिए गए हैं।

(बिलियन रुपये)

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
<u>सकल ब्लॉक</u>			
31 मार्च 2007 को लागत	1.11	0.37	1.48
परिवर्धन	-	0.02	0.02
निपटान	-	-	-
यथा 31 मार्च 2008 को लागत (क)	1.11	0.39	1.50
<u>मूल्य ह्रास</u>			
यथा 31 मार्च 2007 को संचित	0.34	0.33	0.67
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.05	0.02	0.07
निपटान पर समाप्त	-	-	-
31 मार्च 2008 को संचित (ख)	0.39	0.35	0.74
निवल ब्लाक (क-ख)	0.72	0.04	0.76

गत वर्ष :

(बिलियन रुपये)

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
<u>सकल ब्लॉक</u>			
31 मार्च 2006 को लागत	0.85	0.34	1.19
परिवर्धन	0.26	0.04	0.30
निपटान	-	0.01	0.01
यथा 31 मार्च 2007 को लागत (क)	1.11	0.37	1.48
<u>मूल्य ह्रास</u>			
यथा 31 मार्च 2006 को संचित	0.30	0.30	0.60
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.04	0.04	0.08
निपटान पर समाप्त	-	0.01	0.01
31 मार्च 2007 को संचित (ख)	0.34	0.33	0.67
निवल ब्लॉक (क-ख)	0.77	0.04	0.81

10. सरकारी अनुदानों का लेखा

भारत सरकार ने बैंक द्वारा समुद्रपारीय बैंकों / संस्थाओं को प्रदान की गई वशिष्ट ऋण व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे वास्तविक आधार पर हिसाब में लिया गया है ।

11. खंड रिपोर्टिंग

आइ सी ए आइ द्वारा जारी ए एस-17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत रिपोर्ट किये जाने योग्य खंड नहीं हैं क्योंकि बैंक के परिचालन में प्रमुखत: एक खंड अर्थात थोक वित्तीय कार्यकलाप ही शामिल हैं ।

12. संबंधित पक्षकार प्रकटन

आइ सी ए आइ द्वारा जारी ए एस - 18 संबंधित पक्षकार प्रकटन के अनुसार बैंक के संबंधित पक्षकारों को नीचे प्रकट किया गया है ।

- संबंध

(I) संयुक्त उद्यम

- ग्लोबल प्रोक्यूरमेंट कन्सल्टेंट्स लि.
- ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्राइवेट लि.

(II) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

- श्री टी.सी.वेंकटसुब्रमणियन, अध्यक्ष - जी पी सी एल

- बैंकों से संबंधित पक्षकार शेष राशियां तथा लेनदेनों का सारांश नीचे दिया गया है :

(बिलियन रुपये)

विवरण	संयुक्त उद्यम 2007-08	संयुक्त उद्यम 2006-07
मंजूर ऋण	-	1000.00
प्राप्त ब्याज	4.47	5.88
प्राप्त सेवाओं के प्रति भुगतान	-	1.10
स्वीकार की गई जमा राशियां	4.26	5.29
सावधि जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज	0.18	0.26
बट्टाकृत / अपलेखीकृत की गई राशि	-	-

वर्ष के अंत में बकाया ऋण राशि : शून्य (पिछले वर्ष 1000 मिलियन रुपये)

वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया निवेश राशि : 2.60 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 329.98 मिलियन रुपये)

- वाणिज्यिक बैंकों को जारी किये गये भारतीय रिज़र्व बैंक का 29 मार्च 2003 का परिपत्र डी बी ओ डी सं. बी पी.बीसी./ 89 / 21.04.018 / 2002-03 ऐसे लेनदेनों के प्रकटन को शामिल नहीं करता है जहां किसी भी श्रेणी में सिर्फ एक संबंधित पक्षकार (अर्थात प्रमुख प्रबंध कार्मिक) है।

13. आय पर कर का लेखांकन

(क) चालू वर्ष के लिए कर प्रावधान का विवरण	(मिलियन रुपये)
(i) आय पर कर	2138.60
(ii) फ्रिंज बेनिफिट कर	4.60
	2143.20
(iii) घटाएं : वापस की गई निवल आस्थागित कर देयता	140.07
	2003.13

(ख) आस्थगित कर देयता / आस्ति :

प्रमुख मदों के संदर्भ में आस्थगित कर देयताओं तथा आस्तियों का संगठन नीचे दिया गया है :

(मिलियन रुपये)

विवरण	31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर देयता	
1. बांड निर्गम खर्च का परिशोधन	128.04
2. धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व	1041.40
घटाएं : आस्थागित कर आस्तियां	1169.44
1. अस्वीकार्य प्रावधान (निवल)	927.76
2. अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास	32.35
	960.11
निवल आस्थगित कर देयता (तुलनपत्र के 'देयताएं' पक्ष में 'अन्य देयताओं' में शामिल	209.33

14. संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

I.

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं		देश	धारिता का प्रतिशत	
			वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क	ग्लोबल प्रोक्यूरमेंट कन्सल्टेंट्स लि.	भारत	26%	26%
ख	ग्लोबल ट्रेड फाइनैंस प्राइवेट लि.	भारत	-	40%

टिप्पणी : वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान एक्ज़िम बैंक ने जी टी एफ में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। परिणामस्वरूप मार्च 2008 से जी टी एफ बैंक का संयुक्त उद्यम नहीं रह गया है।

II. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में हित से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय की कुल राशि निम्नलिखित है :

(मिलियन रुपये)

देयताएं	2007-08#	2006-07*	आस्तियाँ	2007-08#	2006-07*
पूँजी एवं आरक्षित निधियां	9.61	566.94	अचल आस्तियाँ	0.06	56.79
ऋण	0.00	6901.84	निवेश	4.42	0.46
अन्य देयताएं	3.79	89.62	अन्य आस्याँ	8.92	7501.15
कुल	13.40	7558.40	कुल	13.40	7558.40

आकस्मिक देयताएं : शून्य (गत वर्ष 93.72 मिलियन रुपये)

2007-08 के लिए आंकड़े जी पी सी एल से संबंधित हैं तथा अनंतिम है।

* गत वर्ष 2006-07 के आंकड़ों में जी टी एफ के वित्तीय परिणाम शामिल हैं।

(मिलियन रुपये)

व्यय	2007-08#	2006-07*	आय	2007-08#	2006-07*
ब्याज तथा वित्तपोषण व्यय	-	336.50	फैक्टरिंग कार्यकलाप से आय	-	546.27
अन्य व्यय	5.86	82.97	परामर्शी आय	8.68	6.55
प्रावधान	1.07	58.53	ब्याज आय तथा निवेश से आय	0.31	24.48
			अन्य आय	-	17.28
			प्रतिलेखित की गई आस्थगित कर देयता	0.02	-
कुल	6.93	478.00	कुल	9.01	594.78

2007-08 के लिए आंकड़े जी पी सी एल से संबंधित हैं तथा अनंतिम है।

* गत वर्ष 2006-07 के आंकड़ों में जी टी एफ के वित्तीय परिणाम शामिल हैं।

15. आस्तियों का अनर्जन

बैंक की आस्तियों में से अधिकांश आस्तियाँ वित्तीय आस्तियाँ हैं जिन पर 'आस्तियों के अनर्जन' संबंधी लेखा मानक-28 लागू नही होता है। बैंक के मत से यथा 31 मार्च 2008 को आस्तियों का कोई अनर्जन नहीं हुआ है जिससे इस लेखा मानक के अंतर्गत प्रावधान किया जाए।

16. कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मिलियन रुपये)

विवरण	राशि
प्रारंभिक शेष	43.42
जोड़ें :- वर्ष के दौरान प्रावधान	2.80
घटाएं :- वर्ष के दौरान उपयोग / वापस की गई राशि	24.65
अंतिम शेष	21.57

17. जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है। जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार पहली बार प्रकटन किए गए हैं, वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ें नहीं दिए गए हैं।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एस.आर. राव
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ

श्री ए. वी. मुरलीधरन

श्री एस. पी. ओसवाल

श्री अरुणाचलम वेल्लयन

श्रीमती किरन मजूमदार-शॉ

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन बी एस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(प्रदीप जे. शेट्टी)
साझेदार (एम. सं. 46940)

मुम्बई
दिनांक : 26 अप्रैल, 2008

संगठन संरचना

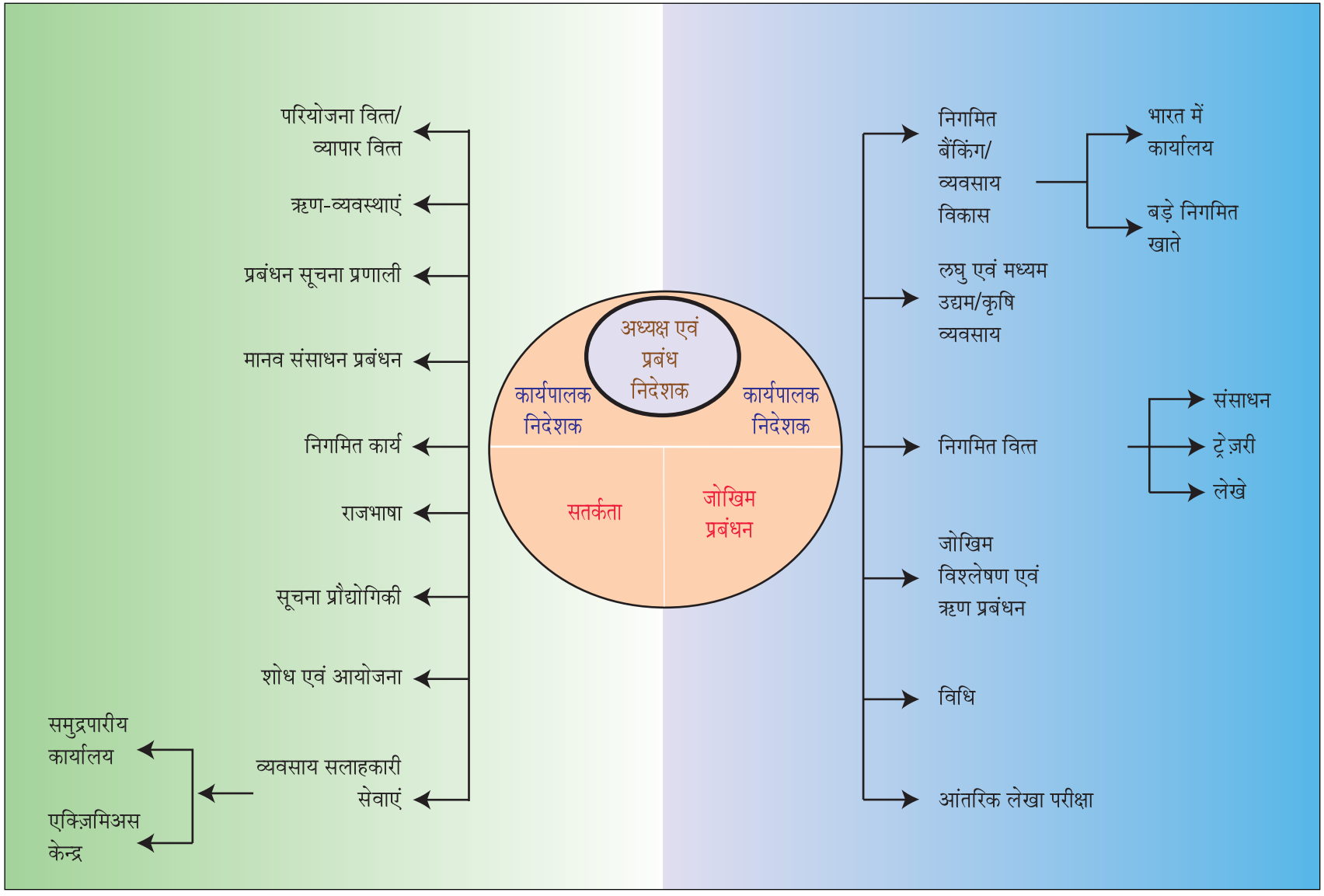
परियोजना वित्त/
व्यापार वित्त
ऋण-व्यवस्थाएं
प्रबंधन सूचना प्रणाली
मानव संसाधन प्रबंधन
निगमित कार्य
राजभाषा
सूचना प्रौद्योगिकी
शोध एवं आयोजना
व्यवसाय सलाहकारी
सेवाएं
समुद्रपारीय
कार्यालय
एक्ज़िमिअस
केन्द्र
अध्यक्ष एवं
प्रबंध
निदेशक
कार्यपालक
निदेशक
कार्यपालक
निदेशक
सतर्कता
जोखिम
प्रबंधन
निगमित
बैंकिंग/
व्यवसाय
विकास
भारत में
कार्यालय
बड़े निगमित
खाते
लघु एवं मध्यम
उद्यम/कृषि
व्यवसाय
निगमित वित्त
संसाधन
ट्रेज़री
लेखे
जोखिम
विश्लेषण एवं
ऋण प्रबंधन
विधि
आंतरिक लेखा परीक्षा

एक्ज़िम बैंक का प्रमुख संसाधन : इसकी मानव पूँजी
Exim Bank's Key Resource: Its Human Capital

प्रबंधन दल
Management Team

बाँएं से बैठे हुए

जॉन मैथ्यू, मुख्य महाप्रबंधक
डी. जी. प्रसाद, मुख्य महाप्रबंधक
एस. आर. राव, कार्यपालक निदेशक
टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एन. शंकर, कार्यपालक निदेशक
आर. डब्ल्यू. खन्ना, मुख्य महाप्रबंधक
पी. आर. दलाल, मुख्य महाप्रबंधक
डेविड रस्किन्हा, मुख्य महाप्रबंधक

बाँएं से खड़े हुए

प्रहलादन अय्यर, महाप्रबंधक
मुकुल सरकार, महाप्रबंधक
डेविड सिनाटे, महाप्रबंधक
सुनीता सिंदवानी, महाप्रबंधक
टी. वी. राव, महाप्रबंधक
सॅम्युअल जोसेफ, महाप्रबंधक

Sitting from left:

John Mathew, Chief General Manager
D.G. Prasad, Chief General Manager
S.R. Rao, Executive Director
T.C. Venkat Subramanian, Chairman & Managing Director
N. Shankar, Executive Director
R.W. Khanna, Chief General Manager
P.R. Dalal, Chief General Manager
David Rasquinha, Chief General Manager

Standing from left:

Prahalathan Iyer, General Manager
Mukul Sarkar, General Manager
David Sinate, General Manager
Sunita Sindwani, General Manager
T. V. Rao, General Manager
Samuel Joseph, General Manager

क्षेत्रीय प्रमुख

Regional Heads

भारत स्थित कार्यालय

Indian Offices

अहमदाबाद
रिकेश चंद
Ahmedabad
Rikesh Chand

बैंग्लोर
रविदास प्यागे
Bangalore
Ravidas Pyage

चेन्नै
टी. डी. सिवाकुमार
Chennai
T. D. Sivakumar

गुवाहाटी
सौमार सोनोवाल
Guwahati
Saumar Sonowal

हैदराबाद
एम. श्रीनिवास राव
Hyderabad
M. Srinivasa Rao

कोलकाता
जोगिंदर सिंह
Kolkata
Jogender Singh

मुंबई
विक्रमादित्य उगरा
Mumbai
Vikramaditya Ugra

नई दिल्ली
सुनील त्रिखा
New Delhi
Sunil Trikha

पुणे
विनोद गोयल
Pune
Vinod Goel

विदेश स्थित कार्यालय

Overseas Offices

डकार
ओ'नील राणे
Dakar
O'Neil Rane

दुबई
निर्मित वेद
Dubai
Nirmit Ved

जोहॉनिस्बर्ग
संजीव कुमार पवार
Johannesburg
Sanjeev Kumar Pawar

लंदन
गौरव भंडारी
London
Gaurav Bhandari

सिंगापुर
दीपाली अग्रवाल
Singapore
Deepali Agrawal

वॉशिंग्टन डी. सी.
तरुण शर्मा
Washington D. C.
Tarun Sharma

एक्ज़िम बैंक का उद्देश्य भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संवर्धन करना है। यह प्रतीक चिह्न इस उद्देश्य को प्रकट करता है। इस प्रतीक चिह्न का दोतरफा वैशिष्ट्य है। आयात से संबंधित भुजा निर्यात वाली भुजा से पतली है। यह चिह्न निर्यातों में मूल्य योजन के उद्देश्य को भी प्रकट करता है।

The Exim Bank aims to promote India's international trade. The Logo reflects this.The Logo has a two-way significance. The import arrow is thinner than the export arrow. It also reflects the aim of value addition to exports.

उद्देश्य

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना " देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तथा माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई है..."

: भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981.

Objectives

The Export-Import Bank of India was established "for providing financial assistance to exporters and importers, and for functioning as the principal institution for co-ordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade ..."

: The Export-Import Bank of India Act, 1981.

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

मुख्यालय

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400 005.
फोन: (022) 22172600 फैक्स: (022) 22182572
ई-मेल : cag@eximbankindia.in वेबसाइट : www.eximbankindia.in

HEADQUARTERS

Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex,
Cuffe Parade, Mumbai 400 005.
Phone: (022) 22172600 Fax: (022) 22182572
E-Mail : cag@eximbankindia.in Website : www.eximbankindia.in

कार्यालय OFFICES

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद
साकार II,पहली मंज़िल,
एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के आगे,
एलिसब्रिज पी. ओ., अहमदाबाद 380 006.
फोन : (079) 26576852/48
फैक्स : (079) 26578271
ई-मेल : eximbankahro@dataone.in

बैंगलोर
रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल,
18, एम. जी. रोड, बैंगलूर 560 001.
फोन : (080) 25585755/25589101-04
फैक्स : (080) 25589107
ई-मेल : eximbro@eth.net

चेन्नै
यू टी आइ हाउस,पहली मंज़िल,
29,राजाजी साल्वै, चेन्नै 600 001.
फोन : (044) 25224714/49
फैक्स : (044) 25224082
ई-मेल : chro@dataone.in

गुवाहाटी
चौथी मंज़िल, सन्मति प्लाजा,
सेंटिनेल बिल्डिंग के पास,
जी.एस. रोड, गुवाहाटी 781 005.
फोन : (0361) 2462951 / 2450618
फैक्स : (0361) 2462925
ई-मेल : gro@eximbankindia.in

हैदराबाद
गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल,
6-3-639/640, राज भवन रोड,
खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद 500 004.
फोन : (040) 23307816-21
फैक्स : (040) 23317843
ई-मेल : eximhyd@vsnl.net

कोलकाता
वाणिज्य भवन (अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण केंद्र),
चौथी मंज़िल, 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता 700 016.
टेली. : (033) 22833419/22833420
फैक्स : (033) 22891727
ई-मेल : eximca@dataone.in

मुंबई
मेकर चेंबर्स IV, आठवीं मंज़िल,
222, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.
फोन : (022) 22830793/22823320
फैक्स : (022) 22022132
ई-मेल : eximwrro@vsnl.com

नई दिल्ली
तल मंज़िल, स्टेट्समैन हाउस,
148, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली 110 001.
फोन : (011) 23326625/6254
फैक्स : (011) 23322758/23321719
ई-मेल : eximnd@vsnl.com

पुणे
44, शंकरशेठ रोड, पुणे 411 037.
फोन : (020) 26403000
फैक्स : (020) 26458846
ई-मेल : eximpune@dataone.in

विदेश स्थिति कार्यालय

डकार
हली मंज़िल, 7, रूए फेलिक्स फाउरे,
बी. पी. 50666, डकार, सिनेगल (दक्षिण अफ्रिका)
फोन : (00 221 33) 8232849
फैक्स : (00 221 33) 8232853
ई-मेल : eximdakar@eximbankindia.in

दुबई
लेवल 5, टेनेंसी 1बी, गेट प्रीसेंट बिल्डिंग नं.3,
दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र,
पो ओ बॉक्स नं. 506541, दुबई, यू ए ई
फोन : (00 971 4) 3637462
फैक्स : (00 971 4) 3637461
ई-मेल : exim.dubai@dubaiinternetcity.net

जोहॉनिस्बर्ग
158, जन स्मट्स, तल मंज़िल, 9, वाल्टर्स एवेन्यु,
रोज़बैंक, जोहॉनिस्बर्ग 2196, पी. ओ. बॉक्स 2018,
सेक्सनवॉल्ड 2132, जोहॉनिस्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका
फोन : (00 27 11) 4428010/4422053
फैक्स : (00 27 11) 4428022
ई-मेल : eximindia@icon.co.za

लंदन
88/90, टेम्पल चेंबर्स, 3-7, टेम्पल एवेन्यु,
लंदन इ सी 4 वाय ओ एच पी, यूनाइटेड किंगडम.
फोन : (00 44) 20-73538830
फैक्स : (00 44) 20-73538831
ई-मेल : eximlondon@eximbankindia.in

सिंगापुर
20, कोलियर की, # 10-02, तुंग सेंटर,
सिंगापोर 049319.
फोन : (00 65) 65326464
फैक्स : (00 65) 65352131
ई-मेल : eximbank@singnet.com.sg

वाशिंग्टन डी.सी.
1750 पेनसिल्वेनिया एवेन्यू एन. डब्ल्यू,
सूट 1202, वाशिंग्टन डी. सी. 20006,
यू.एस.ए.
फोन : (001) 202 2233238
फैक्स : (001) 202 7858487
ई-मेल : indexim@att.net

AHMEDABAD
Sakar II, Floor 1,
Next To Ellisbridge Shopping
Centre, Ellisbridge P.o.,
Ahmedabad 380 006.
Phone : (079) 26576852/48
Fax : (079) 26578271
E-mail : eximbankahro@dataone.in

BANGALORE
Ramanashree Arcade, Floor 4,
18, M. G. Road, Bangalore 560 001.
Phone : (080) 25585755/25589101-04
Fax : (080) 25589107
E-mail : eximbro@eth.net

CHENNAI
UTI House, Floor 1,
29, Rajaji Salai, Chennai 600 001.
Phone : (044) 25224714/49
Fax : (044) 25224082
E-mail : chro@dataone.in

GUWAHATI
Floor 4, Sanmati Plaza,
Near Sentinel Building,
G. S. Road, Guwahati 781 005.
Phone : (0361) 2462951/2450618
Fax : (0361) 2462925
E-mail : gro@eximbankindia.in

HYDERABAD
Golden Edifice, Floor 2,
6-3-639/640, Raj Bhavan Road,
Khairatabad Circle, Hyderabad 500 004.
Phone : (040) 23307816-21
Fax : (040) 23317843
E-mail : eximhyd@vsnl.net

KOLKATA
Vanijya Bhawan (International Trade
Facilitation Centre), Floor 4,
1/1 Wood Street, Kolkata 700 016.
Tel : (033) 22833419/22833420
Fax : (033) 22891727
E-mail : eximca@dataone.in

MUMBAI
Maker Chambers IV, Floor 8,
222, Nariman Point, Mumbai 400 021.
Phone : (022) 22830793/22823320
Fax : (022) 22022132
E-mail : eximwrro@vsnl.com

NEW DELHI
Ground Floor, Statesman House,
148, Barakhamba Road,
New Delhi 110 001.
Phone : (011) 23326625/6254
Fax : (011) 23322758/23321719
E-mail : eximnd@vsnl.com

PUNE
44, Shankarseth Road,
Pune 411 037.
Phone : (020) 26403000
Fax : (020) 26458846
E-mail : eximpune@dataone.in

OVERSEAS OFFICES

Dakar
Floor 1, 7, rue Félix Faure, B.P. 50666,
Dakar, Senegal (W. Africa).
Phone : (00 221 33) 8232849
Fax : (00 221 33) 823853
E-mail : eximdakar@eximbankindia.in

Dubai
Level 5, Tenancy 1B, Gate Precinct
Building No.3, Dubai International
Financial Centre,
PO Box No. 506541, Dubai, UAE.
Phone : (00 971 4) 3637462
Fax : (00 971 4) 3637461
E-mail : exim.dubai@dubaiinternetcity.net

Johannesburg
158, Jan Smuts, Ground Floor, 9,
Walters Avenue, Rosebank,
Johannesburg 2196, South Africa.
Phone : (00 27 11) 4428010/4422053
Fax : (00 27 11) 4428022
E-mail : eximindia@icon.co.za

London
88/90, Temple Chambers,
3-7, Temple Avenue,
London EC4Y OHP, United Kingdom.
Phone : (00 44) 20 73538830
Fax : (00 44) 20 73538831
E-mail : eximlondon@eximbankindia.in

Singapore
20, Collyer Quay, # 10-02, Tung Centre,
Singapore 049319.
Phone : (00 65) 65326464
Fax : (00 65) 65352131
E-mail : eximbank@singnet.com.sg

Washington D.C.
1750 Pennsylvania Avenue NW,
Suite 1202, Washington D.C. 20006,
U.S.A.
Phone : (00 1) 202 2233238
Fax : (00 1) 202 7858487
E-mail : indexim@att.net

संयुक्त उद्यम • ग्लोबल प्रोक्यूरोमेंट कंसल्टैंट्स लि., मुंबई, वेबसाट : www.gpcl.in

Joint Venture • Global Procurement Consultants Ltd., Mumbai, Website: www.gpcl.in